तीय माला, खंड 47, अंक 1 बुधवार, 3 नवम्बर, 1965/12 कार्तिक, 1887 (शक)
Third Series, Vol. XLVII, No. 1 Wednesday, November 3, 1965/Kartika 12, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Laminated
Parliament Library

[खंड 47 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 1—बुधवार, 3 नवम्बर, 1965/12 कार्तिक, 1887 (शक)

No. 1—Wednesday, November 3, 1965/Kartika 12, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1	सीमा सुरक्षा बल	Border Security Force . .	1–3
2	उड़ीसा सरकार के लेन-देन पर विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	Special Audit Report on Orissa Government Transactions .	3–7
3	प्रशासन की उन्नतिशीलता	Re-orientation of Administration	8–11
4	पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान की गई गिरफ्तारियां	Arrests made during Pak. Aggression	12–19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
5	शिक्षा आयोग	Education Commission . .	19–20
6	नागरिक सुरक्षा के लिये विद्यार्थियों का प्रशिक्षण	Student's Training for Civil Defence	20
7	रूस से मिट्टी का तेल	Kerosene Oil from Russia .	21
8	कोचीन तेल-शोधक कारखाना	Cochin Refinery	21
9	शिक्षकों का वेतन	Pay of Teachers	22
10	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	Central Universities . .	22
11	केन्द्रीय स्कूलों में प्रवेश	Admission to Central Schools .	22–23
12	उर्वरक कारखाने	Fertilizer Plants . . .	23
13	प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालायें	National Laboratories for Defence needs	23
14	आसाम में तेल क्षेत्र	Oilfields in Assam . .	24
15	औद्योगिक लाइसेंस देना	Issue of Industrial Licences	24
16	विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता	Student Indicipline . .	24–25
17	मिट्टी के तेल और डीज़ल तेल की कमी	Shortage of Kerosene and Diesel Oil	25
18	संयुक्त परामर्श योजना	Joint Consultation Scheme .	25–26
20	पाकिस्तानियों को नज़रबन्द करना	Internment of Pakistanis . .	26
21	अत्यावश्यक वस्तुयें तथा खाद्यान्न विनियमों का उल्लंघन	Violations of Essential Commodities and Foodgrains Regulations	26–27

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य नें वास्तवमें पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
22	क्लर्क श्रेणी का समाप्त किया जाना	Elimination of Clerk Category .	27–28
23	आसाम के पर्वतीय क्षेत्रों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन	Report of Assam Hill Areas Commission	28
24	पूर्वी तट के पास तेल भण्डार	Off-Shore Oil Deposits on East Coast	28
25	कैरो हत्याकाण्ड	Kairon Murder Case . .	29
27	नागरिक सुरक्षा	Civil Defence . . .	29
28	नागालैंड में गुप्त ट्रान्समिटर	Secret Transmitter in Nagaland	29–30
29	पेट्रोलियम मूल्य नीति सम्बन्धी तालुकदार समिति	Talukdar Committee on Petroleum Price Policy . . .	30
30	पाठक आयोग का प्रतिवेदन	Report of Pathak Commission .	30

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1	केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड	Central Sanskrit Board .	31
2	राऊज़ एवेन्यू, नई दिल्ली में महिला पालीटेकनिक	Women's Polytechnic, Rouse Avenue, New Delhi. . .	31
3	खाद्य आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां	Arrests for Food Agitation .	31
4	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा	Automobiles Engineering Diplomas	32
5	नज़रबन्द संसद्-सदस्यों के लिये सुविधायें	Facilities for M.P. Detenus .	32
6	नज़रबन्द लोगों की शिकायतें	Grievances of Detenus .	32–33
7	अण्डमान के विद्यार्थियों के लिये स्थान सुरक्षित करना	Reservation of Seats for Andaman Students	33
8	केरल में अंशकालिक अध्यापक	Part-Time Teachers in Kerala .	33
9	केरल लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन	Kerala Public Service Commission Report . . .	33
10	केरल में नज़रबन्द साम्यवादियों को परिवार-भत्ता	Family Allowance to Communist detenus in Kerala . .	34
11	तीन-वर्षीय विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम	Three Year University Course .	34
12	उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों को अनुदान	Grants to Universities in U.P. .	35
13	विश्वविद्यालय और कालिज	Universities and Colleges .	35
14	नागा विद्रोहियों द्वारा अपहरण	Kidnapping by Naga Hostiles .	35
15	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Migrants from East Pakistan . . .	35–36
16	हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था	Security Arrangements at Airport	36
17	अपहृत बच्चे	Kidnapped Children . . .	36

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
18	गुजरात का तेलशोधक कारखाना	Gujarat Refinery . .	[36
19	"वोग में प्रकाशित फोटो"	Photos Published in Vogue	36–37
21	शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप	Educational Activities .	37
23	खेलों के लिये सामान	Equipment for Games . .	37
24	दिल्ली में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Delhi	38
25	दिल्ली पुलिस मोटार गाड़ी का चोर पकड़ दल (आटो थैपट स्वैड)	Auto-Theft Squad of Delhi Police	38
26	जासूसी करने वाले सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Government Servants for Spying	38–39
27	अवशिष्ट पुनर्वास समस्या	Residuary Rehabilitation Problem	39
28	दिल्ली में गुंडागर्दी	Goonda Menace in Delhi .	39
29	दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों का परिरक्षण	Preservation of Historical Monuments in Delhi . . .	39–40
30	अखिल भारतीय शिक्षा सेवा	All India Educational Service .	40
31	लाजपत राय मार्केट, दिल्ली	Lajpat Rai Market, Delhi	40–41
32	स्कूल के लड़कों के लिये खाने के पैकेट	Lunch Packets for School Boys .	41
33	शिक्षकों की स्थिति	Teachers' Status . . .	41
34	काल्काजी में भूमि का विकास	Development of Land in Kalkaji, New Delhi	41–42
35	गोहटी तेल-शोधक कारखाने की तरल पेट्रोलियम गैस को बोतलों में भरना	Bottling of Liquid Petroleum Gas from Gauhati Refinery .	42
36	गौहाटी-तेल शोधक कारखाना	Gauhati Refinery . . .	42
37	स्कूलों और कालिजों में राइफल क्लब	Rifle Clubs in Schools and Colleges	42–43
38	बंकुरा जिले में विस्फोट	Explosion in Bankura District .	43
39	केरल में मिट्टी के तेल का राशन	Rationing of Kerosene oil in Kerala	43
40	नया शिक्षा कार्यक्रम	New Educational Programme .	44
41	भारतीय उच्च अध्ययन संस्था के लिए पुस्तक	Books for Indian Institute of Advance Studies . . .	44
42	कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मित्तर की आयु सम्बन्धी विवाद	Dispute re. Age of Justice Mitter of the Calcutta High Court .	44
43	मद्रास तेल-शोधक कारखाना	Madras Refinery . . .	45
44	केरल के सरकारी कर्मचारियों को बचत बांडों के रूप में भुगतान	Payment to Kerala Government servants in Savings Bonds .	45
45	आसाम में मटिया शिबिर	Matia Camp in Assam . .	45–46

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
46	प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन-प्रतिवेदन	Study Report on Primary Education	46
47	बीजापुर में पुरातत्वीय खोज	Archaeological Finds in Bijapur	46–47
48	नज़रबन्द लोगों की रिहाई के बारे में अभ्यावेदन	Representations re. Release of Detenus	47
50	हावड़ा पुल के फोटों लेने वाले संदिग्ध-व्यक्ति	Suspects taking Photographs of Howrah Bridge	47
51	आदर्श (मांडल) विश्वविद्यालय विधेयक	Model University Bill	47–48
52	लक्कादीव तथा मिनीकाय द्वीपसमूह में पुलिस दल	Police Force in Laccadive and Minicoy Islands	48
53	लक्कादीव से चिकित्सा के लिये भारत आने वाले रोगी	Patients from Laccadives coming to Mainland for treatment	48–49
54	सप्रू समिति का प्रतिवेदन	Sapru Committee Report	49
55	पेट्रो-केमिकल उद्योग-समूह	Petro-Chemical Complexes	49–50
56	मीनमबक्कम हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी	Arrest of Pak. Spy at Meenambakkam Airport	50
57	मध्य प्रदेश में विशेष क्षेत्रों का सर्वेक्षण	Survey of Special Areas in M.P.	50–51
58	आर्थिक पुंज (इक्नामिक पुल)	Economic Pool	51
59	जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा देय ऋण	Loan Due from J. & K. Government	51
60	अखिल भारतीय वन सेवा	All-India Forest Service	51
61	बम्बई में जापानी लोगों के साथ कथित दुर्व्यवहार	Alleged Manhandling of Japanese in Bombay	51–52
62	आसाम में ब्रिटिश राष्ट्रजनों की गतिविधियां	Britishers Role in Assam	52
64	दिल्ली में हवाई हमले के सूचक भौंपू (साइरन)	Air raid sirens in Delhi	52
65	पंजाब में तमावरण (ब्लैक-आउट)	Black out in Punjab	52–53
66	देवनागरी लिपि	Devanagari Script	53
67	दिल्ली में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था का व्यय	Expenditure on Civil Defence in Delhi	53
68	अध्यापकों के वेतनक्रम	Pay Scales of Teachers	53
69	राज भाषा अधिनियम	Official Languages Act	53–54
70	हिन्दी में मध्य प्रदेश जिला गजेटयर	M.P. District Gazetteer in Hindi	54
71	आसाम में प्रव्रजक	Migrants in Assam	54
72	दिल्ली में आग बुझाने का प्रशिक्षण	Fire Fighting Training in Delhi	54

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
73	दिल्ली में मकान निर्माण समितियां	House-Building Societies in Delhi	55
74	गुजरात में गैस का मूल्य	Price of Gas in Gujarat .	55
75	साम्प्रदायिक सद्भाव	Communal Harmony	55
	दिनांक 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 687 के उत्तर की शुद्धि	Correction of Answers to Unstarred Question No. 687 dated 25-8-1965	55
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re : Motion for Adjournment (Queries)	56–58
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	59–65
	विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills .	66
	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय—	Jawaharlal Nehru University—	
	(1) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(1) Report of Joint Committee	66
	(2) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	(2) Evidence before Joint Committee	67
	करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक	Taxation Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Bill	67
	करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) अध्यादेश, 1965 के बारे में विवरण	Statement re : Taxation Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Ordinance—1965	67
	प्रेस काउन्सिल विधेयक—	Press Council Bill— .	
	राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
	श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	Shri J. P. Jyotishi	68–69
	श्री अल्वारेस	Shri Alvares .	69–70
	श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma .	70
	डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	70–71
	श्री मुथिया	Shri Muthiah . .	71–72
	श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	72
	श्री पु० रा० पटेल	Shri P. R. Patel .	73
	श्री चे० रा० पट्टाभिरामन	Shri C. R. Pattabhi Raman	73–76
	खण्ड 2 से 23 और 1	Clauses 2 to 23 and 1	76–90
	पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
	श्री चे० रा० पट्टाभिरामन	Shri C. R. Pattabhi Raman	90
	केरल के सम्बन्ध में उद्घोषणा को जारी रखे जाने के सम्बन्ध में संकल्प—	Resolution re : Continuance of Proclamation in respcet of Kerala—	
	श्री हाथी	Shri Hathi . . .	90

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)
अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)
अकम्मादेवी, श्रीमती (नीलगिरी)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)
अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)
अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल वहीद, श्री (वैल्लोर)
अरुणाचलम, श्री (रामनाथपुरम्)
अलगेशन, श्री (चिंगलपट)
अल्वारेस, श्री (पंजिम)

आ

आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फिरोजपुर)
इम्बीचिबावा, श्री इ० कु० (पोन्नाणि)
इलयापेरुमाल, श्री (तिरुकोइलूर)
इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

उ

उइके, श्री म० गं० (मंडला)
उटिया, श्री (शहडोल)
उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)
उमानाथ, श्री (पुद्दुकोट्टै)
उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापुट)

ए

एंथनी, श्री फ्रैंक (नाम-निर्देशित--आँग्ल भारतीय)
एरिंग, श्री डा० (नाम-निर्देशित--उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्रनगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)
कच्छवाय, श्री हुकम चन्द (देवास)
कजरोलकर, श्री सदोबा नारायण (बम्बई मध्य)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडाडी, श्री मांदेप्पा बंदप्पा (शोलापुर)
कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)
कन्डप्पन, श्री (तिरूचेंगोड)
कन्नमवार, श्रीमती ताई (चांदा)
कपूर सिंह, श्री (लुधियाना)
कबिर, श्री हुमायून (बसिरहाट)
कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)
करुथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कामले, श्री तु० द० (लातूर)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किशन वीर, श्री (सतारा)
किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)
कुन्हन, श्री प० (पालघाट)
कुमारन, श्री मे० क० (चिरयिन्कील)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)
कृपा शंकर, श्री (डुमरियागंज)
कृपालानी, श्री जी० भ० (अमरोहा)
कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)
कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)
केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)

क—क्रमशः

केप्पन, श्री चेरियान (मुवात्तुपुजा)
केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कोया, श्री मुहम्मद (कोजीकोड)
कोलाको, डा० (गोआ, दमन और दीव)
कोहोर, डा० राजेन्द्र (फूलबनी)
कौजलगी, श्री हे० वी० (बेलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)
खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)
खां, श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)
खां, डा० पूर्णेन्दु नारायण (उलुबेरिया)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खाडिलकर, श्री र० के० (खेड़)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह राव, श्री (गुड़गांव)
गणपति राम, श्री (मछलीशहर)
गयासुद्दीन अहमद, श्री (धुबरी)
गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंहराव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)
गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)
गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मैनपुरी)
गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली—सदर)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोनी श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तु (तिरुपत्तूर)
गौड़, श्री वीरन्ना (बंगलौर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची—पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बेरकपुर)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतर सिंह, श्री (चम्बा)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रभान सिंह, डा० (बिलासपुर)
चन्द्रशेखर, श्रीमती मा० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचूर)
चव्हाण, श्री दा० रा० (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (नासिक)
चांडक, श्री भी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावड़ा, श्रीमती जोहराबेन (बनस्कंठा)
चुनीलाल, श्री (अम्बाला)
चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)
चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)
चौधरी, श्री त्रिदब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा)
चौधरी, श्री सचीन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम)
जमीर, श्री स० चु० (नामनिर्देशित—नागालैंड)
जमुना देवी, श्रीमती (झबुआ)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)
जयरामन, श्री (वांडीवाश)
जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड)
जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)
जेधे, श्री गुलाबराव केशवराव (बारामती)
जना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)
जोशी, श्री आनन्दचन्द्र (सीधी)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)
ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री योगेन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागोर)

त

तनसिंह, श्री (बाडमेर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिमम्या, श्री डोडा (कोलार)
तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुला राम, श्री (घाटमपुर)
तेवर, श्री बेरावा (थणावूर)
त्यागी, श्री महावीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्रीकृष्ण देव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मन्दसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थांगल, श्री नल्लाकोया (नामनिर्देशित—लकदीव, मिनिकाय, और अमीनदीवी द्वीप समह)
थेनवोंडर, श्री गोपालस्वामी (नागपट्टिनम्)

द

दफले, श्री (मिरज)
दलजीत सिंह, श्री (उना)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा–पूर्व)
दांडेकर, श्री नारायण (गोंडा)
दाजी, श्री होमी (इंदोर)
दास, श्री (तिरुपति)
दास, श्री नयन तारा (जमुई)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, डा० मनमोहन (ओसग्राम)
दास, श्री सुधांशु भूषण (डायमन्ड हार्बर)
दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
दिनेश सिंह, श्री (सालोन)
दिक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर-उत्तर)
दुरै, श्री काशीनाथ (अरूप्पुकोट्टै)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालहांडी)
देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)
देवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)
देशमुख, श्री भा० द० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्रीमती विमलाबाई पंजाबराव (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजीराव शंकरराव (परभणी)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)
धवन, श्री (लखनऊ)
धुलेश्वर मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (साबरकंठा)
नम्बियार, श्री आनन्द (तिरुचिरापल्लि)
नाथपाई, श्री (राजापुर)
नायक, श्री दे० जी० (पंचमहल)
नायक, श्री महेश्वर (भंज)
नायक, श्री मोहन (भंजनगर)
नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)
निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)
निरंजन लाल, श्री (नाम-निर्देशित—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह)
नेसामनी, श्री (नागरकोइल)

प

पंत, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)
पण्डित, श्रीमती विजय लक्ष्मी (फुलपुर)

पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)
पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढ़ेंकानाल)
पटेल, श्री छोटूभाई (भड़ौच)
पटेल, श्री नानू भाई नि० (बुलसार)
पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (पाटन)
पटेल, श्री मानसिंह पृ० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पट्टाभिरामन, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)
पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)
परमशिवन, श्री स० क० (इरोड)
पराधी, श्री भोलाराम (बालाघाट)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)
पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री मा० भ० (रामटेक)
पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)
पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)
पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)
पाटिल, श्री सं० बं० (बीजापुर---दक्षिण)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई---दक्षिण)
पाण्डेय, श्री राम सहाय (गुना)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाण्डेय, श्री सरजू (रसड़ा)
पाराशर, श्री (शिवपुरी)
पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडोन)
पिल्ले, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)
पुरी, श्री दे० द० (कैथल)
पृथ्वीराज, श्री (दौसा)
पोट्टेकाट्टु, श्री (टेलीचेरी)
प्रताप सिंह, श्री (सिरमूर)
प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली--करोलबाग)

फ

फिरोड़िया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)
बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)
बड़े, श्री रामचंद्र (खारगोन)
बदरुद्दुजा, श्री (मुर्शिदाबाद)
बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)
बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्लचन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री प० चं० (कूच-बिहार)
बसन्त कुमारी, श्रीमती (केसरगंज)
बसवन्त, श्री सोनूभाई दगडू (थाना)
बसुमतरी, श्री ध० (ग्वालपाड़ा)
बाकलीवाल, श्री (दुर्ग)
बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौली)
बालकृष्णन, श्री (कोइलपट्टी)
बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)
बासप्पा, श्री (तिपतुर)
बिष्ट, श्री जं० ब० सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा---पश्चिम)
बूटा सिंह, श्री (मोगा)
बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)
बृजराज सिंह, श्री (बरेली)
बृजराज सिंह-कोटा, श्री (झालावाड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित---आंग्ल--भारतीय)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्मप्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भ—क्रमश:

भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)
भगवती, श्री वि० चं० (दर्रांग)
भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी (खामगांव)
भट्टाचार्य, श्री च० का० (रायगंज)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)
भानुप्रकाश सिंह, श्री (रायगढ़)
भार्गव, पंडित मुं० बि० ला० (अजमेर)
भील, श्री प० ह० (दोहद)

म

मण्डल, श्री जियालाल (खगरिया)
मण्डल, डा० प० (विष्णुपुर)
मण्डल, श्री यमुना प्रसाद (जयनगर)
मंत्री, श्री द्वारका दास (भीर)
मच्छराजू, श्री प० (नरसीपटनम)
मजीठिया, श्री सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मनोहरन, श्री (मद्रास—दक्षिण)
मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)
मरुथैया, श्री (मेलर)
मलाईछामी, श्री (पेरियाकुलम)
मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लया, श्री उ० श्री० (उदोपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रु० (राजकोट)
मसुरिया दीन, श्री (चैल)
महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)
महतो, श्री भजहरि (पुरुलिया)
महन्ती, श्री गोकुलानन्द (बालासोर)
महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)
महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़—उत्तर)
महीड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)
माथुर, श्री शिवचरण (भीलवाड़ा)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
माली मरियप्पा, श्री (तुमकुर)
मिनीमाता, श्रीमती अगमदास गुरु (बालोदा बाजार)
मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)
मिश्र, श्री विभुद्येन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नागिरी)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता-मध्य)
मुकने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवण्डि)
मुजफ्फर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवली)
मुन्जनो, श्री डेविड (लोहरदगा)
मुरभू, श्री सरकार (बलूरघाट)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहम्मद यूसूफ, (श्री सीवन)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमलापुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्लि)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई—उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मुकन्दपुरम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)
मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेहदी, श्री सै० अ० (रामपुर)
मेहरोत्रा, श्री ब्रज बिहारी (बिल्हौर)
मैंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)
मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)
मोरे, डा० कृ० ल० (हतकंगले)
मोरे, श्री शं० शा० (पूना)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)

म—क्रमशः

मोहसिन, श्री (धारवाड़—दक्षिण)
मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, (कैराना)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)
यादव, श्री रामसेवक (बाराबंकी)
यादव , श्री राम हरख (आजमगढ़)
युद्धवीर सिंह, श्री (महेन्द्रगढ़)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)
रंगराव, श्री र० व० गो० कु० (चीपुरुपल्लि)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुरामैया, श्री को० (गुंटूर)
रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)
रणजीत सिंह, (संगरूर)
रतन लाल, श्री (बांसवारा)
राऊत, श्री भोला (बतिया)
राघवन, श्री अ० व० (बडागरा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, श्री चित्तरंजन (जूनागढ़)
राजा राम, श्री (कृष्णगिरि)
राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)
राजू, डा० द० स० (राजामंड्री)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)
राणे, श्री शिवरामरंगो (बुलडाना)
राम, श्री तु० (सोनबरसा)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
रामधनीदास, श्री (नवादा)
रामनाथन चेट्टियार, श्री (करूर)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामभद्रन, श्री (कडलूर)
राम सिंह श्री (बहराइच)
रामसुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)
राम सेवक, श्री (जालोन)
रामस्वरूप, श्री (रार्बट्सगंज)
रामस्वामी, श्री व० क० (नामक्कल)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)
रामेश्वर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)
राय, डा० सारादीश (कटवा)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)
राव, श्री जगन्नाथ (नौरंगपुर)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
राव, श्री रमापति (करीमनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)
राव, हनुमन्त (मेदक)
रावनदले, श्री (धुलिया)
रेड्डियार, श्री वेंकटसुब्बा (तिन्डीवनम)
रेड्डी, श्री यें० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री नरसिम्हा (राजमपेट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)
रेड्डी, डा० बें० गोपाल (काबलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रा० सुरेन्द्र (महबूबाबाद)
रेड्डी, श्री हु० चा० लिंग (चिकबलापुर)

ल

लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्मम)
लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)
लखमू भवानी, श्री (बस्तर)
ललित सेन , श्री (मण्डी)

ल—क्रमशः

लहरी सिंह, श्री (रोहतक)
लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)
लाटन चौधरी, श्री (सहरसा)
लास्कर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (मुंगेर)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)
लोहिया, डा० राम मनोहर (फर्रुखाबाद)

व

वर्मा, श्री कुं० कृ० (सुल्तानपुर)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)
वर्मा, श्री रविन्द्र (तिरुवल्ला)
वर्मा, श्री सूरजलाल (सीतापुर)
वाडीवा, श्री (स्योनी)
वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदु (नानदरबार)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)
विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम)
विजय राजे, श्रीमती (छपरा)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (होशियारपुर)
विमला देवी, श्रीमती (एलुरू)
विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
वेंकटासुब्बया, श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)
वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनालि)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (साबरमती)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, श्री अ० प्र० (बक्सर)
शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शामनाथ, श्री (दिल्ली—चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)
शास्त्री श्री रामानन्द (रामसनेहीघाट)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहली-गढ़वाल)
शिंकरे, श्री (मरमागोआ)
शिन्दे, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)
शिवनंजप्पा, श्री (मंड्या)
शिव नारायण, श्री (बांसी)
शिवप्रधाशन, श्री कु० (पांडिचेरी)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपेरुमबुदूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमन्द)
श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)
श्री निवासन, डा० (मद्रास उत्तर)

स

सत्यनारायण, श्री बिड्डिका (पार्वतीपुरम)
सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)
सनजी रूपजी, श्री (नामनिर्देशित—दादरा तथा नगर हवेली)
समनानी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
सहगल, श्री अ० सिं० (जंजगीर)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री स० चं० (तामलक)
साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)
साहू, डा० रामेश्वर (रोसेरा)
सिंघवी, डा० लक्ष्मीमल्ल (जोधपुर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)
सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री कृष्ण कान्त (महाराजगंज)
सिंह, श्री गोविन्द कमार (मिदनापुर)
सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)

स —क्रमशः

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)
सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)
सिंह, श्री यज्ञ नारायण (सुन्दरगढ़)
सिंह , श्री युवराज दत्त (शाहाबाद)
सिंह, श्री स० टो० (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह , श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिद्दय्या, श्री (चामराजनगर)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिद्धान्ती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (पटना)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्बारामन, श्री (मदुरै)
सुब्रह्मण्यम, श्री चि० (पोल्लाची)
सुब्रह्मण्यम, श्री टेंकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)
सेझियान, श्री इरा (पैरम्बलूर)
सेठ, श्री विशनचन्द्र (एटा)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)
सेन, डा० रानेन (कलकत्ता-पूर्व)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)
सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह (कैरा)
सौंदरम रामचन्द्रन, श्रीमती (डिंडिगल)
स्नातक, श्री नरदेव (हाथरस)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालन्धर)
स्वामी, श्री मंडलावेंकट (मसुलीपटनम)
स्वामी, श्री म० ना० (ओंगोल)
स्वामी, श्री म० प० (टकासी)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)
स्वैल, श्री ज० गि० (आसाम-स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)
हक, श्री मु० मो० (अकोला)
हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)
हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)
हरवानी, श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोड़डा)
हिम्मतसिंहजी, श्री (कच्छ)
हुकम सिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्ति राव

सभापति तालिका

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी
श्री तिरुमल राव
श्री खाडिलकर
डा० सरोजिनी महिषी
श्री सोनावने

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री
गृह-कार्य मंत्री—श्री गुलजारी लाल नंदा
वित्त मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी
सूचना और प्रसारण मंत्री—श्रीमती इंदिरा गांधी
वैदेशिक-कार्य मंत्री—श्री स्वर्ण सिंह
रेलवे मंत्री—श्री स० का० पाटिल
विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री—श्री अ० कु० सेन
प्रतिरक्षा मंत्री—श्री यशवन्तराव चव्हाण
इस्पात और खान मंत्री—श्री संजीव रेड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम
पेट्रोलियम और रसायन मंत्री—श्री हुमायून कबिर
संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्यनारायण सिंह
शिक्षा मंत्री—श्री मु० क० चागला
श्रम और रोजगार मंत्री—श्री दामोदर संजीवय्या
पुनर्वास मंत्री—श्री महावीर त्यागी

राज्य-मंत्री

निर्माण और आवास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना
वाणिज्य मंत्री—श्री मनुभाई शाह
परिवहन मंत्री—श्री राज बहादुर
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे
स्वास्थ्य मंत्री—डा० सुशीला नायर
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा प्रविधिक विकास मंत्री—श्री को० रघुरामैया
पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री अलगेशन
रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० राम सुभग सिंह
विधि मंत्रालय में तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग में राज्य-मंत्री—श्री रं० म० हजरनवीस
सिंचाई और विद्युत् मंत्री—डा० कु० ल० राव
योजना मंत्री—श्री ब० रा० भगत
प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री—श्री अ० म० थामस
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री—श्री त्रि० ना० सिंह

उपमंत्री

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री—डा० म० नो० दास
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां
वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी
परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री—श्री अहमद मुहीउद्दीन
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति
गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र
शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चव्हाण
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री चे० रा० पट्टाभिरामन
सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री—श्रीमती मारागाथम चन्द्रशेखर
विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव
रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाम नाथ
प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—डा० द० स० राजू
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दिनेश सिंह
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री विभुधेन्द्र मिश्र
संचार विभाग में उपमंत्री—श्री विजयचन्द्र भगवती
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र
इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाश चन्द्र सेठी
श्रम और रोज़गार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय
वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रामेश्वर साहू
शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्री भक्त दर्शन
स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर

सभा-सचिव

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव—श्री अन्नासाहेब शिन्दे
गृह-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री डा० एरिंग
सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव—श्री सै० अ० मेहदी
प्रधान मंत्री के सभा-सचिव—श्री ललित सेन
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री सै० चु० जमीर
इस्पात और खान मंत्री के सभा-सचिव—श्री डोडा तिम्मय्या

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 3 नवम्बर, 1965/12 कार्तिक, 1887 (शक)

Wednesday, November 3, 1965/Kartika 12, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सीमा सुरक्षा बल

+

*1. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बसुमतारी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री हरि विष्णु कामंत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमा सुरक्षा बल बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : सीमा सुरक्षा बल का निर्माण मुख्य रूप से अधिकतर सम्बन्धित राज्यों द्वारा फिलहाल सीमाओं पर नियुक्त सशस्त्र पुलिस दलों को पुनर्गठित तथा सशक्त बनाकर किया जाना है। इस बात के महानिदेशक की नियुक्ति कुछ दिन हुये की गई थी। उन्होंने अभी हाल के कुछ सप्ताह सीमा-क्षेत्रों में दौरा करके व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की और राज्यों के प्राधिकारियों से विभिन्न तफसीलों के बारे में वार्तालाप किया। मुख्यालय के संगठन का तेजी से निर्माण किया जा रहा है और आशा है कि अगले कुछ दिनों में पूरी तरह कर्मचारी-वर्ग की नियुक्ति का काम कर लिया जायगा। क्षेत्रों तथा उपक्षेत्रों की कमाण्डों की स्थापना और सीमा सुरक्षा दलों के नियंत्रण के महानिदेशक को हस्तांतरण के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और इस कार्य-क्रम को अविलम्ब अमल में लाने का निश्चय किया गया है।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : इस प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकारों ने जो उत्तर दिया है क्या इस से भारत सरकार सन्तुष्ट हैं और खर्च उठाने के लिये कितने राज्य सहमत हो गये हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : व्यय तो भारत सरकार ने ही वहन करना है। इस बारे में राज्य सरकारों ने जून में हुई एक बैठक में एकमत से फैसला किया है।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या यह सच है कि कुछ सीमावर्ती राज्यों ने, जिन में असम भी शामिल है, इस प्रस्ताव का विरोध किया है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उन की सीमाओं पर केन्द्र द्वारा प्रशासित तथा नियंत्रित सेना को लगाया जाये, और यदि हां, तो क्या इस सेना के प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के लिये सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ल० ना० मिश्र : नहीं महोदय, जैसा कि मैं ने पहले बताया है यह सब राज्यों का सर्वसम्मत फैसला था और इस पर किसी राज्य ने कोई आपत्ति नहीं की।

श्री द्वा० ना० तिवारी : इस सीमा सुरक्षा दल और वहां नियुक्त किये गये सैनिकों में समन्वय कैसे होगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : समन्वय के लिये प्रत्येक उप-क्षेत्र में सीमा पुलिस की एक समन्वय समिति होगी, जिसका राज्यों के साथ भी परस्पर सम्बन्ध होगा। जैसा कि मैं ने पहले कहा है हमने कई उप-क्षेत्र बनाये है। प्रत्येक उप-क्षेत्र की समन्वय समिति के सदस्य पुलिस के महा निरीक्षक (इन्स्पैक्टर जनरल), स्थानीय कमांडर और सीमा सुरक्षा दल के कमांडर होंगे और राज्य का मुख्य सचिव इस समिति का सभापति होगा।

श्री लिंग रेड्डी : क्या सीमा सुरक्षा दल के लिये भर्ती की जा रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जैसा कि मैंने पहले बताया है हम इस कार्य को राज्य सरकारों की वर्तमान सीमा पुलिस से आरम्भ कर रहे हैं और उस के बाद हम कुछ नई भर्ती भी करेंगे।

श्री श्रीनारायणदास : क्या सारे व्यय को केन्द्र सरकार वहन करेगी या इस व्यय को राज्य सरकारें भी उठायेंगी, और यदि हां, तो अनुपात क्या होगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने श्रीमती बड़कटकी को उत्तर देते समय कहा था कि इस सारे व्यय को केन्द्र सरकार वहन करेगी।

श्री बसुमतारी : क्या पूर्वी बंगाल और असम की सीमाओं के साथ एक बस्तीहीन सुरक्षा पट्टी बनाने के लिये गृह-कार्य मन्त्री को एक प्रस्ताव पेश किया गया था और यदि हां तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह एक बिल्कुल ही अलग प्रश्न है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य के सीमा पुलिस दल इस बारे में अकुशल और निष्प्रभव सिद्ध हुए हैं और क्या विशेष संपर्क अधिकारी द्वारा केन्द्र सुरक्षा दल की गतिविधियों और कामों को सैनिक दल की कमांड के साथ समन्वय किये जाने के लिये सरकार के सम्मुख कोई प्रस्ताव है ?

श्री ल० ना० मिश्र : वे किसी प्रकार भी निष्प्रभव सिद्ध नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने काम को अच्छी तरह किया है। परन्तु प्रश्न तो उस में सुधार करने का है और उस को अच्छा प्रशिक्षण देने, अच्छे हथियार देने और जहां तक सम्भव हो उन को सीमा के दूसरी ओर के पड़ौसी के सीमा दल के बराबर स्तर पर लाने का है। जहां तक समन्वय के प्रश्न का सम्बन्ध है प्रत्येक राज्य में एक समन्वय समिति बनाई जायेगी, परन्तु यह सीमा पुलिस से स्वतंत्र होगी। यह सेना अधिकारियों के अधीन नहीं होगी।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the intention of the Government is that the arrangements now being made by the border police may remain with the State Governments and those of the military guards might be taken over by the Central Government ? Is it not a fact that the cause of failure to guard the border is due to the fact that our intelligence did not work properly ?

Shri L. N. Mishra : It is wrong to say that they have failed in guarding the border. It is an injustice to those policemen who have protected the borders so bravely. But it is a fact that we want to bring improvements in that force. If the border police are given better weapons, better training and kept under the Central control that will prove more effective. Police Force of the States will maintain the internal law and order.

Shri Yashpal Singh : Three thousand Nagas have came back after getting training and you are saying that the border police has not proved a failure.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इन सब सीमा सुरक्षा दलों के लिये, वर्तमान वेतन स्तरों तथा सेवा की शर्तों के स्थान पर अच्छे वेतन स्तर तथा सेवा की उत्तम शर्तें जारी करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ल०ना० मिश्र : यदि मुझे ठीक याद है तो प्रस्ताव यह है कि उन को केन्द्रीय रक्षित पुलिस के वेतन के बराबर वतन दिये जायेंगे और ये वेतन-क्रम सेना के कर्मचारी वर्ग को दिये जाने वाले वेतन-क्रम से अधिक हैं। इस प्रकार उस दल के लोगों को वर्तमान दर से अधिक दर पर वेतन और अन्य उपलब्धियां प्राप्त होंगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : सीमा पर कड़ी सुरक्षा प्रबन्ध करने और सीमा क्षेत्रों को तोड़ फोड़ करने वाले लोगों से साफ करने की बढ़ती हुई जरूरत के बावजूद असम में घुसपैठियों को निकालने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है और राष्ट्रपंजी की तैयारी का काम रोक दिया गया है। क्या सरकार ने असम सरकार की कठिनाइयों का पता लगाया है और यदि हां तो इस बारे में केन्द्र सरकार के क्या सुझाव हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है और किसी दूसरे संदर्भ में ही पूछा जा सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या केन्द्रीय सुरक्षा दलों और सशस्त्र सेनाओं की कमान के बीच सम्पर्क अधिकारी होगा, न कि प्रतिरक्षा मंत्रालय की कमान। उन्होंने कहा है कि एक समन्वय समिति की नियुक्ति की जाएगी। इस समिति की नियुक्ति कौन करेगा ? क्या इस में दोनों मन्त्रालयों के प्रतिनिधि होंगे या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : वह केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री ल० ना० मिश्र : प्रत्येक राज्य में समन्वय समिति होगी और राज्य का मुख्य सचिव इस का सभापति होगा। इसके सदस्य सशस्त्र सेनाओं, स्थानीय कमाण्डर, सीमा पुलिस के स्थानीय कमांडर और पुलिस का महा निरीक्षक होंगे। ऐसी समितियां सातों सीमावर्ती राज्यों में बनाई जायेंगी।

उड़ीसा सरकार के लेन-देन पर विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

+

*2. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री प्र० के० देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान 3 सितम्बर, 1965 को उड़ीसा विधान सभा को पेश किये गये विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है, जो उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों सर्वश्री बीजू पटनायक तथा बीरेन मित्र से संबंधित फर्मों के साथ उड़ीसा सरकार के लेन-देन संबंधी मामलों के बारे में था ;

(ख) क्या सरकार ने 16 मार्च, 1965 को प्रधान मंत्री द्वारा सभा में दिये गये आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए कोई कार्यवाही आरम्भ की है ; और

(ग) क्या यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपनी प्रारम्भिक जांच के पश्चात् सरकार को पेश किये गये किन्हीं तथ्यों की पुष्टि करता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने लोक-लेखा समिति से अपना प्रतिवेदन जल्दी देने के लिये कहा है ताकि यदि जरूरी हो तो आगामी कार्यवाही की जा सके।

(ग) विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन केन्द्रीय जांच ब्यूरों के प्रतिवेदन की अपेक्षा अधिक लम्बी अवधि के बारे में है और कुछ ऐसी मदों को भी इसमें लिया गया है जो केन्द्रीय जांच ब्यूरों के प्रतिवेदन में नहीं थी।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह रिपोर्ट आपके विनिर्णय के बाद गोपनीय है ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महालेखापरीक्षक को केवल कुछ मामलों के बारें में ही कहा गया था, जिन्होंने उड़ीसा सरकार के स्पष्टीकरण और विवरण की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला था, कि श्री बीरेन मित्र के अभिकर्ताओं के साथ किये गये सौदों में राजकोष को 18 लाख रुपये तक का धोखा हुआ था, और दूसरी फर्मों के साथ 8 करोड़ रुपये का व्यापार किया गया था, जिन से श्री बीजू पटनायक सम्बन्धित थे। अब जब कि प्रमाण विद्यमान है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की संम्भावना पर विचार करेगी ?

श्री हाथी : जैसा मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया है, विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के हर पहलू पर लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जायेगा। हो सकता है कि न केवल वे तथ्य जो माननीय सदस्य ने बताये हैं, परन्तु दूसरे तथ्य भी सिद्ध हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इस लिये हमें इस प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। यदि कुछ और तथ्य भी सामने आते हैं तो स्वाभाविक है कि कानून के अन्तर्गत हर सम्भव कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह तो प्रधान मन्त्री द्वारा यहां दिये गये आश्वासन के प्रतिकूल है। मैं माननीय मन्त्री को अगस्त 1963 में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री द्वारा लोक लेखा समिति के बारे में किये गये उल्लेख का स्मरण कराना चाहता हूं। और 15 मार्च 1965 को भी प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर देते समय कहा था कि जब महा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उपलब्ध हो जायेगी तो हर प्रकार से पूरी जांच की जायेगी।

इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार स्वयं कोई कार्यवाही करेगी या नहीं क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए प्रधान मंत्री ने ऐसा आश्वासन दिया था ? अब वह इस प्रश्न को क्यों टाल रहे हैं ? श्री नन्दा को बताना चाहिये।

श्री हाथी : प्रधान मन्त्री ने जो कुछ कहा था, मुझे पूरी तरह याद है। प्रधान मन्त्री ने वही कहा था जो माननीय सदस्य ने अब कहा है और यह भी कहा था कि प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर कदम उठाये जावेंगे। प्रतिवेदन अभी राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। किसी भी संसदीय कार्यप्रणाली के अन्तर्गत इस पर लोक लेखा समिति द्वारा, जिस के सभापति श्री सिंहदेव हैं, किया जाना है। मुख्य मंत्री ने हमें प्रार्थना की है। हमें जल्दी में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जो प्राप्त होने वाले परिणामों को बिगाड़ दें। इस प्रश्न पर विलम्ब करने या इस पर कोई कार्यवाही न करने का कोई प्रश्न नहीं है। जो कार्यवाही आवश्यक होगी, की जायगी, परन्तु हमें प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सभा यह मान ले कि यद्यपि विशेष लेखा प्रतिवेदन उड़ीसा के विधान मण्डल और उड़ीसा सरकार की मार्फत लोक सम्पत्ति बन चुकी है, और केन्द्रीय सरकार जानबूझ कर इस प्रतिवेदन से अभी तक अपरिचित बनी हुई है, और यदि ऐसी बात नहीं है तो क्या सरकार या मंत्रिमण्डल की उप-समिति को विश्वास है कि ये दो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री अनौचित्य से अधिक आरोपों के लिए दोषी हैं। इस लिये क्या सरकार इन को स्थायी रूप से सरकारी पदों से विवर्जित करने का विचार कर रही है, जैसा कि 15 मार्च को शिक्षा मन्त्री ने कहा था कि वे किसी भी पद के योग्य नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को उन को स्थायी रूप से सरकारी पदों के लिये विवर्जित करने का विचार है?

श्री हाथी : अनौचित्य के लिये सरकार जो कार्यवाही करना चाहती थी, उस पर राजनैतिक कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह छल है, षड़यन्त्र है!

(अन्तर्बाधा)

श्री हाथी : कोई और कानूनी कार्यवाही इस के बाद की जायेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : राजनैतिक कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? उन को स्पष्ट करके बताना चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav : Police action is needed and not political action.

Shri Speaker : I have no police action.

श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : क्या सरकार का हानि की वसूली करने का विचार है और उस के लिये क्या तरीका अपनाया जायेगा?

श्री हाथी : यदि कोई कार्यवाही करनी पड़ी तो वह उड़ीसा सरकार का काम होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : चंकि अब जांच का काम लोक लेखा समिति के सभापति के पास चला गया है, क्या इसके बाद सरकार और पूर्ण जांच के लिये किसी आयोग की नियुक्ति करने का विचार कर रही है?

श्री हाथी : लोक लेखा समिति के इस प्रतिवेदन पर विचार कर लेने के बाद ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।

Shri Kishen Pattanayak : Has the hon. Minister made an estimate of the extent of embezzlement of fund, and has the anti-corruption department or the hon. minister ever thought that the amount embezzled by Shri Biju Patnaik and Bharat Sevak Samaj was much enough to off-set the land revenue charged from petty farmers.

Mr. Speaker : First part of the question may be answered.

Shri Kishen Pattanayak : Both the parts are inter-related.

Mr. Speaker : I separate them. First part of the question may be answered.

Shri Hathi : The information is not available with me at present.

Shri Madhu Limaye : It has been stated that the action will be taken on receipt of the report from P.A.C. I want to point out to the hon. minister that the assurances were given on the floor of the House. We should not depend for an action on the happening in the Orissa Assembly. May I know from the hon. minister whether the facts stated in the report of the C.B.I. and that of the Public Accounts Committee were common ? Another thing which I would like to know is how the assurances given in this house will be implemented ?

Shri Hathi : It is very difficult to separate these two things because one report pertains to the period from 1962-1963 and the other is from 1959 onwards. These are inter-related.

श्री रंगा : इन दोनों भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों को, जिन्हें सरकारी पदों से वंचित करके राजनीतिक अनुशासन में बांध दिया गया है। परन्तु अपने दल में राष्ट्रीय तथा राज्यों के उच्चतम स्तरों पर उनकी बात मानी जाती है। क्या यह बात उन की राजनीतिक बुद्धिमत्ता अथवा राजनीतिक कौशल का प्रमाण है ?

श्री हाथी : मेरा विचार है कि उन्होंने त्याग पत्र दिये हैं।

श्री प्र० के० देव : राष्ट्रपति को जो ज्ञापन पेश किया गया है उस में उन पर अधिकार का दुरुपयोग, प्रशासनिक अनौचित्य और दूसरी बातों के 56 आरोप लगाये गये हैं। महा लेखा परीक्षक ने केवल इस के वित्तीय पहलू की ही जांच की है जो कि अब लोक लेखा समिति के विचाराधीन है। जहां तक वित्तीय पहलू का सम्बन्ध है, महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को देखते हुए क्या सरकार दूसरों आरोपों की जांच के लिये किसी जांच आयोग की स्थापना का विचार कर रही है ?

श्री हाथी : मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि जब इस पर लोक लेखा समिति विचार कर लेगी तो इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री प्र० के० देव : लोक लेखा समिति वित्तीय पहलू के अलावा दूसरे आरोपों पर विचार नहीं कर सकती।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को समझना चाहिये कि वह तर्क नहीं दे सकते।

श्री प्र० के० देव : वह लोगों की आंखों में धूल भी नहीं झोंक सकते।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह मामला बहुत दिनों से लटका हुआ है और दो कुख्यात व्यक्ति इस देशके नाम को लगातार धब्बा लगा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन में जो कि सभा पटल पर रखा गया है, जो कि एक सार्वजनिक दस्वावेज है और जनता को उपलब्ध है, और विशेष लेखा-प्रतिवेदन में बहुत सी चीजें समान हैं। उड़ीसा विधान सभा में कुछ लोगों ने सरकार की ओर से गलत काम करने वालों को बचाने के लिये वकालत भी करनी चाही थी। इस बात को और उन लोगों को सार्वजनिक जीवन में बड़े पदों पर और दुराचरण के दोषी हैं उनको निवारक दण्ड देने के लिए सर्वसम्मति से स्वीकृत बात को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस विषय की कुछ तकनीकी बातों का उल्लेख करके इस को दबाना चाहती है या सरकार जनता में फिर से विश्वास कायम करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): जहां तक संसद् या सरकार का संबन्ध है किसी बात को दबाने की कोई इच्छा या इरादा नहीं है। प्रधान मंत्री ने यही आश्वासन दिया था जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। इस आश्वासन को पूरा किया जायेगा। परन्तु इस के लिये कुछ प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। महालेखा परिक्षक का प्रतिवेदन और उन की टीका-टिप्पणी उपलब्ध है जिन पर लोक लेखा समिति विचार कर रही है। उस स्थिति को अभी पार करना शेष है और इसके फलस्वरूप . . .

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह सच है कि लोक लेखा समिति के कांग्रेसी सदस्यों को, जिन का समिति में बहुमत है, निर्देश दिया गया है कि वे इस प्रतिवेदन के विरुद्ध कुछ न कहें ?

श्री नन्दा : स्थिति यह है कि मुख्य मंत्री ने लोक लेखा समिति के सभापति को लिखा है कि यह कार्य बिना विलम्ब शीघ्र किया जाये। इसलिये इरादा नहीं . . .

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह तो सारे मामले पर पर्दा डालने वाली बात है।

श्री प्र० के० देव : दूसरे आरोपों के बारे में क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति: इस प्रकार बैठ कर प्रश्न नहीं किये जा सकते। क्या माननीय मन्त्री को कुछ और कहना शेष है ?

श्री नन्दा : मेरे विचार में वे और दूसरे प्रश्न करने को उतावले हो रहे हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्रीमन्, यह दुर्भाग्य की बात है कि उन दो सज्जनों ने यह कुख्याति अर्जित की है . . .

एक माननीय सदस्य : सज्जन पुरुष ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इस घोटाले से भिन्न, जो कि सरकार और सारे देश की जानकारी में आया है, प्रश्न यह है कि क्या सरकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 7 में दिये गये मूल कानून को मानने को तयार नहीं हैं कि ऐसे लोगों को, जिन का सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क है, किसी पद के लिये या विधान सभा का सदस्य बनने या इस सभा का सदस्य बनने के लिये अनर्हित कर दिया जायेगा ? क्या सरकार वही व्यवस्था नहीं करेगी, जैसी कि विश्व में अन्य लोकतन्त्रात्मक देशों में विद्यमान हैं ?

श्री नन्दा : यह विचार करने योग्य प्रश्न है।

श्री राम चन्द्र मलिक : क्या यह सच है कि लेखा-प्रतिवेदन में किसी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है ओर इसलिये श्री आर० एन० सिंह देव, उड़ीसा की लोक लेखा समिति के सभापति, जो अब प्रति-पक्ष दल के नेता हैं, इस विषय को स्थगित करना चाहते हैं और इस विषय में जानबूझकर विलम्ब किया जा रहा है जबकि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने इस विषय पर जितनी जल्दी सम्भव हो सके, चर्चा करने को कहा है ?

श्री नन्दा : जी हां, यह एक ठीक और वास्तविक बात है।

(कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। गृह-मंत्री के लिये यह कहना, कि यह एक वास्तविक बात है, तो क्या उनके पास कुछ तथ्य यह सिद्ध करने के लिये उपलब्ध हैं कि लोक लेखा समिति के सभापति इस विषय में विलम्ब करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति : मैंने श्री यादव को पुकारा था परन्तु वह उस समय खड़े नहीं हुए। अब वह खड़े हुए हैं तो मैं उनको अनुपूरक प्रश्न करने की आज्ञा नहीं दूंगा।

प्रशासन की उन्नतिशीलता

+

*3. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**

श्री वारियर :

श्री दाजी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण के संदर्भ में सरकार ने अपने प्रशासन को किस ढंग से उन्नतिशील बनाया है ; और

(ख) कौन सी अग्रेतर कार्यवाही विचाराधीन है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों, खास तौर पर सीमावर्ती राज्यों की सरकारों, सभी के प्रशासनों ने कुल मिलाकर पाकिस्तानी हमले से उत्पन्न स्थिति का बड़ी अच्छी तरह सामना किया। इन्होंने अपने आपको नई और आवश्यक समस्याओं के अनुरूप तेजी से ढाल लेने में समर्थ सिद्ध कर दिया और इसे हर तरह से परितुष्टिकारक ही कहा जा सकता है। नवीन स्थितियों में प्रशासन को पुनरूस्थापित करने के लिये जो कदम उठाये गये हैं या विचाराधीन हैं उनमें से अधिक महत्वपूर्ण में से कुछ उस विवरण में दिखाये गये हैं जो सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5021/65।]**

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : गृह-कार्य मंत्री जिस श्रेय का दावा करते हैं, मैं उस से इन्कार नहीं करता। हाल ही में समाचार पत्रों में जो रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं, उन के बारे में उनकी अपनी धारणा क्या है ? उदाहरणत: "गृह मंत्रालय अपने पर देखता है" शीर्षक के अधीन एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। श्री जय प्रकाश नारायण ने भी इस बात की आलोचना की है। आपातकालीन स्थिति को कोई अनुभव नहीं करता और काम युद्ध-स्तर पर नहीं हो रहा है। गृह-कार्य मंत्रालय ने अपने विवरण में बताया है कि यह निर्देश दिये गये हैं। परन्तु वर्तमान कार्यप्रणाली के बारे में उनकी धारणा क्या है ?

श्री हाथी : मैंने वर्तमान परिस्थितियों में कार्य-संचालन के निर्धारण के बारे में मुख्य प्रश्न के उत्तर में बता दिया है। जहां तक काम के मूल्यांकन का सम्बन्ध है, गृह-कार्य मंत्रालय अपने पर ही ध्यान नहीं दे रहा, वास्तव में प्रधान मंत्री ने सभी मंत्रालयों को हाल ही के अनुभव को ध्यान में रख कर अपनी योजनाओं, नीतियों और कार्यकरण के बारे में भविष्य को ध्यान में रखकर फिर से अनुमान लगाने को कहा है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है अर्थात् उन टिप्पणियों का, जिन का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या गृह-कार्य मंत्री सरकारी तंत्र के ही प्राधिकृत साधनों द्वारा की गई आलोचना से अवगत हैं कि यदि हम कर्मचारी वर्ग में 50 प्रतिशत कमी कर देंगे तो प्रशासन बहुत अच्छा हो जायेगा ? क्या उन्होंने इस पहलू पर भी विचार किया है, विशेषकर वर्तमान संदर्भ में, और यदि हां तो उनका इस विषय में क्या मत है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यह पहलू बड़ी सीमा तक हमारे मस्तिष्क में है। इस विचार को ध्यान में रखकर विभिन्न मंत्रालयों के काम की एक एक करके जांच करने का काम आरम्भ किया जा रहा है। वहां पर अतिरेक कर्मचारियों की समस्या है, जिन की इन कामों के लिये जरूरत नहीं है। उन के लिये कुछ और करना होगा। यह उन निर्देशों में से एक है, जिनको ध्यान में रखकर हमें प्रशासन के नवीकरण का काम करना है।

श्री वारियर : क्या अखिल भारतीय स्तर पर कोई ऐसा आयोग स्थापित करने का सरकार का विचार है, जो न केवल केन्द्र में परन्तु राज्यों में भी प्रशासन के नवीकरण के प्रश्न पर विचार करेगा ?

श्री नन्दा : हम शीघ्र ही एक आयोग स्थापित करेंगे जो इस प्रश्न की विस्तार पूर्वक जांच करेगा। इसकी घोषणा बहुत जल्दी कर दी जायेगी ।

श्री दाजी : सब ओर ऐसा विश्वास किया जाता है कि राष्ट्रीय जीवन के हर पहलू में आपातकालीन स्थिति को महसूस किया जाता है, सिवाये सरकारी प्रशासन के । सरकारी तंत्र में अविलम्बता की कोई भावना नहीं है। यह इस वक्तव्य से ही सिद्ध हो जाता है। इस वक्तव्य में चार कंड़िकायें ऐसी हैं, जिन का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है और उनसे ऐसी जानकारी मिलती है जो मांगी नहीं गई थी। केवल अंतिम कंडिका इस प्रश्न से संबंधित है ।

सम्बन्धित भाग भी केवल पहले कही गई बात को ही दोहराता है, अर्थात् यह कि इस विषय की जांच के लिये समिति बना दी गयी है। यही उत्तर गृह-कार्य मंत्री ने दो वर्ष पूर्व बजट वाद-विवाद के उत्तर में दिया था। क्या सरकारी तंत्र में अविलम्बता की यही भावना है जिसका वह प्रशासनिक सुधारों के विषय में प्रदर्शन कर रही है जबकि उसे कपटी पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करना है।

श्री नन्दा : यह कहना गलत है कि सारे प्रशासन में अविलम्बता का बिल्कुल अभाव है। सरकारी मशीनरी के प्रशासन द्वारा ही कार्य किये जाते हैं। निश्चय ही भूल और असफलताएं होती हैं, परन्तु ऐसा बहुत कम होता है। इस लिये यह कहना, कि सब चीज प्रशासन के सहयोग और सहायता के बिना की गई है, अनुचित आलोचना है ।

श्री दाजी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे प्रश्न को गलत समझा गया है। मेरा प्रश्न यह है कि प्रशासन की पुनरनुस्थापना के लिये क्या किया गया है। यह प्रशासन के काम न करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री नन्दा : प्रश्न यह नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : विवरण में बताया गया है कि पाकिस्तानी आक्रमण से जो लोग उजड़ गये हैं, उन की देख भाल के लिये मंत्रि मण्डल सचिवालय के अधीन एक पुनर्वास संगठन बनाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पुनर्वास संगठन ने राजस्थान में अपना काम आरम्भ कर दिया है, जहां के बहुत से लोग उजड़ गये हैं, और बहुत लोगों को पाकिस्तान से राजस्थान में धकेल दिया गया है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न संगठन के ब्योरे के बारे में है। हम इस पर ध्यान देंगे। मैंने जो कुछ कहा है वह यह है कि इस को कैसे पुनरनुस्थापित किया गया है या क्या कदम उठाये गये हैं : जहां तक दूसरे ब्यौरे का सम्बन्ध है, इस से मेरा सम्बन्ध नहीं है। इसलिये ब्यौरा बताना मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : वर्तमान आपत्कालीन स्थिति और प्रशासन के कार्य को शीघ्र करने के आदेश और प्रशासन में अधिक कार्यकुशलता लाने के लिये क्या सरकार के सम्मुख प्रशासन से "क्लर्कों और असिस्टैंटों" के संवर्ग को हटाने का प्रस्ताव है ?

श्री हाथी : जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने अभी बताया है हम निर्माण तथा आवास मंत्रालय में "आफिसर-ओरिएंटिड योजना" का अध्ययन कर रहे हैं इसके अन्तर्गत क्लर्क और असिसस्टैंट कम होंगे और फाइलों का निपटारा शीघ्र हो सकेगा तथा निर्णय भी शीघ्र लिये जा सकते हैं। यह प्रयोग किया जा रहा है ।

श्री दाजी : क्लर्कों की नहीं, परन्तु अधिकारियों की संख्या कम कीजिये। अधिकारी वेतन अधिक लेते हैं और काम कम करते हैं।

श्री हाथी : दोनों।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि भारत के विभिन्न राज्यों में प्रतिरक्षा असैनिक विभागों ने बहुतही असावधानी से कार्य किया है और अधिकतर राज्यों में होमगार्डज़ ने अपने बारे मे बहुत घटिया प्रमाण दिया है, यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इन विभागों को कायम रखने तथा दूसरी चीज़ें देने के स्थान इन्हें बन्द कर देना अधिक अच्छा होगा।

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि इन के बारे में ठीक अनुमान लगाया गया है। उनका कार्य बहुत अच्छा रहा है।

Shri Hukam Chand Kachhaviaya : The way in which Central Government is getting the co-operation of all the parties, state Governments are not getting the Co-operation of political parties, social institutions etc. in the same way. May I know whether the Central Government will pay attention to it, so that they may also get the co-operation of parties in an appropriate matter ?

Shri Hathi : Wherever it is needed it will be done.

Shri Sarjoo Pandey : It has been stated in para 3 of the statement that short-term measures are being adopted to solve the food problem but so far all the news which we got from the newspapers are about kitchen gardens only. May I know whether the Government has any other plan except the kitchen gardens to make the country self-reliant in regard to the food as soon as possible ?

Mr. Speaker : How Home minister can give information about it.

Shri Sarjoo Pandey : Mr. Speaker. There is reference about the increase in the food production in the statement which has been laid on the table of the House by him. I would like to know the main schemes ? All these schemes come under the administration.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : No Sir. This question is about the general-orientation of the administration. In this question details regarding particular department can not be asked.

Shri Bade : As the centre has decided to make economy in the expenditure may I know if the states have also been directed or advised to make necessary cut in the expenditure and they have also been advised to take the help or cooperation of the other political parties and social institution which intend to provide help or cooperate for the distribution of food ?

Shri L. N. Mishra : In whatever field the need of their co-operation is felt that will be taken.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्षेत्रीय स्तर पर जो कुछ भी पुनरनुस्थापित किया जा चुका है क्या सरकार उसके परिणाम से सन्तुष्ट है और अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन या क्या दूसरी योजनायें इसके फलस्वरूप प्रगति कर रही हैं ?

श्री नन्दा : पिछले १५ दिनों में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है यह बताना सम्भव नहीं है।

Shri Rameshwara Nand : The hon. Minister has just now stated that they take the cooperation of those people from whom they considered it essential. May I know whether there is any test for that ? May I also know whether such persons who have detained Member of Parliament like me for three hours are deliberately taken in that department ?

Mr. Speaker : The question is so difficult that it cannot be answered.

Shri Rameshwara Nand : After all you are the protector of our rights. He has just now stated that they take the help of those people from whom they considered it necessary, then may I know whether they take only such persons who detain member of Parliament like me for three hours and what to talk of the difficulties of other thousands of people.

Shri Brij Raj Singh : Is it difficult to answer this question or to allow it ....

Mr. Speaker : Yes. It cannot be permitted.

Shri Rameshwara Nand : You are protector of our rights and if you will say that it is difficult to answer this question, then I do not know to whom I should contact ?

Mr. Speaker : Swamiji. Your case is being taken up separately. Regarding the treatment meted out to you and arising out of your supplementary that such persons have been taken there—it is a separate matter altogether—We will decide about it separately. This is under our consideration. The hon. Home Minister told me that all these cases are being brought together and a reply can be given at the proper opportunity and now when there is no proper opportunity what reply can he give ?

Shri Ram Sewak Yadav : I rise on a point of order.

Mr. Speaker : No point of order arises from this question.

Shri Ram Sewak Yadav : Please you just listen to me. What is the basis for taking cooperation and what is the criteria for selection of the people for taking this Co-operation ?

Mr. Speaker : This is another question.

Shri Rameshwara Nand : I also said this thing that whether there is any test for the selection of the people ?

Mr. Speaker : You please sit down.

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या जांच के बाद अतिरेक लोग जहां कहीं भी होंगे उनकी कमी के अलावा सरकार के नियमों तथा विलम्बकारी प्रक्रिया में सरकार पक्के परिवर्तन करेगी ?

श्री हाथी : प्रशासन में सुधार करने के सारे प्रश्न पर जांच करने के लिये यह आयोग स्थापित किया जा रहा है ।

पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान की गई गिरफ्तारियां

+

*4. श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हेम बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री किशन पटनायक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ हाल में हुए संघर्ष के दौरान राष्ट्र-विरोधी कार्यों के कारण राज्य-वार कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया ; और

(ख) उनके विरुद्ध न्यायालयों में मुकद्दमें चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : राज्य सरकारें और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government has the information regarding the number of Pakistani citizens among the persons arrested ?

Shri L. N. Mishra : As much I know there are about 54 thousand Pakistani infiltrators in our country and out of them about three thousand have been arrested whereas there are about 30 thousand Indians in Pakistan and all of them have been arrested.

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government have the facts about the number of persons who were being given shelter and protection and also whether any action has been taken against those persons who were providing the protection ?

Shri L. N. Mishra : I do not have the necessary information but action has been taken against everyone, whosoever tried to give them protection.

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know whether Government have any information regarding the number of Indian citizens who have been arrested in this country.

Mr. Speaker : That information has already been given.

Shri L. N. Mishra : That is a fact that we have arrested not only Pakistani citizens but Indian citizens also. We have arrested persons from each community. All those persons who were jeopardising the defence of the country have been arrested.

श्री दाजी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : संख्या क्या है।

Shri L. N. Mishra : I will give the number. About one thousand nine hundred Indians have been arrested.

Shri M. L. Dwivedi : The notice of this question was given about one month back but the hon. Minister has stated in his answer that the figures are being collected from the States. I would like to know the reasons for their delay and also the number of persons arrested from the Centrally administered territories ?

Shri L. N. Mishra : Yes. I can give this information. Many persons were arrested in West Bengal and majority of them were released later on. As far as Centrally administered areas are concerned the number of those arrested area-wise is—about 70 in Delhi, 2 in Himachal Pradesh, none in Manipur, Tripura, Goa, Pondichery, Andaman & Nicobar Islands and Laccadive.

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जो लोग पकड़े गये थे और बाद में छोड़ दिये गये थे उन के संख्या के बारे में जानकारी भी सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : 1900 में वे सब लोग भी शामिल हैं जिनको पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के सम्बन्ध में पकड़ा गया था ।

श्री रंगा : प्रश्न का उचित ढंग उत्तर नहीं दिया गया है । प्रश्न यह है कि क्या उनमें से किसी को छोड़ा गया है ।

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने संख्या पहले बता दी है । क्यों कि मैं ने उत्तर हिन्दी में दिया था इस लिये शायद मेरे माननीय मित्र इसको समझ नहीं सके हैं । मैं ने कहा था कि बंगाल में उन में से लगभग 50 प्रतिशत लोगों को छोड़ दिया गया था और दूसरे राज्यों में भी पगड़ गये लोगों को छोड़ा जा रहा है ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस बात से अवगत है कि पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न हुई इस आपात के दौरान भारत सुरक्षा अधिनियम का उद्धारतापूर्वक प्रयोग किया गया है और कि वे राष्ट्रवादी भी, जिनकी राजनिष्ठा पर सन्देह नहीं किया जा सकता, या तो व्यक्तिगत द्वषों पर या रूलिंग पार्टी के राजनीतिक लोगों को ध्यान में रखते हुये, पकड़े गये है और यदि हां.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना प्रश्न कह सकते हैं ।

श्री हेम बरुआ : देश में निर्दोष लोगों और राष्ट्रवादी तत्वों पर किये गये इस अन्याय को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि इन सारे मामलों का पुनर्विलोक करेगी क्योंकि दिल्ली मुस्लिम कन्वैन्शन में एक सुझाव के उत्तर में श्री त्यागी ने ऐसा आश्वासन दिया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । कहीं कहीं कुछ गलती हो सकती है और मैं ने राज्य सरकारों को प्रार्थना की है कि वे जांच करके ऐसी गलती को ठीक करे ।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि उन्होंने राज्य सरकारों को ऐसे मामलों की जांच के लिये अनुदेश दिये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों ने जांच की है या वे करने को तैयार हैं क्योंकि अधिकतर राज्य इस विषय में कोई बात मानने को तैयार नहीं है ?

श्री नन्दा : वे कर रहे हैं ।

Shri S. M. Banerjee : May I know whether the hon. Minister is aware that two Aggarwal businessmen of Kanpur who are also brothers were arrested on the charge that they were regularly supplying corrugated sheets to Pakistan and that the U. P. Government have not even mentioned their names in the Assembly and are even trying to sit tight over their case who were indulged in such anti-national activities ? I would like to know whether this case has come to the Home Ministry and is being looked into ? May I also know the charges levelled against these persons ?

Shri L. N. Mishra : We do not have any information regarding this case. But as the hon. member has said if such a thing has happened necessary action will be taken.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सारे प्रश्न पर केवल उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं परन्तु सारे देश के लोग उतावले हो रहे हैं और कि इसका पूर्ण प्रतिवेदन केन्द्र को भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी, जिनके लिये मेरे दिल में बड़ा मान है, इन लोगों का नाम विधान सभा में नही बताया है क्यों कि इस व्यक्ति ने लगभग सभी अधिकारियों और मंत्रियों के ट्रांसिसटर रेडियो दिये हैं और यही कारण कि वे ऐसा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले की सूचना केन्द्र को दी गई है और कि केन्द्र भी कुछ कार्यवाही करने से हिचकचा रहा है .....

अध्यक्ष महोदय : इस में व्यवस्था का कौन सा प्रश्न है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र को यह सूचना उपलब्ध है और माननीय मन्त्री ने उत्तर नहीं में दिया है परन्तु मैं जानता हूं कि गृह मन्त्री को इस मामले का उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने नहीं कहा है तो इस में व्यवस्था का कौन सा प्रश्न है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को यह मामला भेज दिया गया है तो फिर 'सुना है' का कोई प्रश्न नहीं हो सकता...

श्री बडे : इस में केन्द्र का नैतिक उत्तरदायित्व है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। अब श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं यह समझ लूं की दोनों सरकारें इन भ्रष्ट लोगों को बचा रही हैं।

एक माननीय सदस्य : वे बचा रही है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं ने श्री इन्द्रजीत गुप्त को पुकारा है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पिछले मास समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि कलकत्ता में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत दो लखपति व्यापारियों श्री गजधारी सारोगी तथा उन के पुत्र श्री पन्नालाल सारोगी को गिरफ्तार किया गया था.....

अध्यक्ष महोदय : क्या हमें यहां व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा करनी चाहिये ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जिस साक्ष्य के आधार पर वे पकड़े गये थे वे यह है कि यह लोग पाकिस्तान में इसपाहनी और दूसरे व्यापारियों के साथ व्यापार कर रहे थे और कि संयुक्त व्यापार से प्राप्त धन को भारत विरोधी गतिविधियों में लगा रहे थे और यदि हां तो इन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, यदि कोई ऐसी बात हुई है तो हम इस पर ध्यान देंगे ।

श्री नन्दा : मैं इतना और बता दूं कि हमें जैसे ही कानपूर वाले मामले का पता लगा मैं ने स्वयं कार्यवाही आरम्भ कर दी, इस बात का भी ध्यान नही रखा था कि ऐसा करना मेरे क्षेत्राधिकार में है या नहीं । मैं जानना चाहता था कि क्या हो रहा है । मैंने जांच करवाई है और जो कुछ हो रहा है उस से मैं सम्पर्क बनाये हुये हूं । इसलिये माननीय सदस्य को आक्षेप नहीं करना चाहिये और न ही हमारे उपर सब प्रकार के आरोप लगाने के लिये प्रश्नकाल के अवसर प्रयोग करना चाहिये । ऐसा करना उचित नहीं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has just now stated in his reply that about 1900 persons have been arrested. I would like to know the number of Government employees, persons belonging to political parties and members of legislatures and Parliament in them ?

Shri L. N. Mishra : As far as Members of Parliament are concerned perhaps one member from Bengal was arrested. At this moment I cannot give the names of other people. I do not have the information regarding Government employees but perhaps there was nobody.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How many were the members of Legislative Assembly among them ?

श्री रेणू चक्रवर्ती : क्या सरकार को यह जानकारी है कि आपात को ध्यान में रखते हुये बड़े पैमाने पर लोगों को पकड़ा गया था जिनको बाद में छोड़ना पड़ा था ? क्या माननीय मंत्री इस की जांच करेंगे जिसका प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने वचन दिया है या यह कार्यवाही करना राज्य सरकारों के अधीन है जिन्होंने राजनीतिक कारणों से इन लोगों को पकड़ा था ? मेरे दल के बहुत से मुस्लमान सदस्यों को लड़ाई आरम्भ होने के शीघ्र बाद पकड़ लिया गया था । क्यों ?

श्री नन्दा : उस समय जो कुछ हुआ वह आपत कालीन स्थिति को देखते हुये था । अब भी आपात कालीन स्थिति बनी हुई है । उस समय जो कुछ सूचना भी उपलब्ध थी उसी के आधार पर स्थानीय अधिकारियों ने कार्यवाही की थी । शेष कार्यवाही के लिये सरकार पर विश्वास किया जा सकता है जिस मुख्य मन्त्री और दूसरे सब हैं । इसलिये मेरा विचार नहीं की प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की जांच केन्द्र सरकार को करनी है ?

श्री कोया : क्या पकड़े गये लोगों को अवसर दिया गया था ताकि वे सिद्ध कर सकें कि इन मामलों में उनका हाथ नहीं और कि वे गलत सूचना पर या निजी शत्रुता या राजनैतिक शत्रुता के कारण पकड़े गये थे ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रत्येक मामले में विधि का आम तरीका अपनाया जायेगा ।

Shri P. L. Barupal : Sir, I want to know whether Government has made any enquiry about those persons who were doing smuggling between India and Pakistan before the Pakistani aggression and how many have been arrested among them ? Such persons who have not been arrested, may I know whether they can

remain faithful to the nation. If not, may I know whether Government is proposing to keep them under detention ?

Shri L. N. Mishra : I have stated earlier and to-day I repeat that many persons were arrested on the charge of smuggling and many have been arrested this time also. Some of them have been released but they will be kept under watch so that they can be arrested if need arises ?

श्री दाजी : अब जब कि सभा में बहुत सी घटनायें आ चुकी है और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुकी है तो क्या मैं जान सकता हूं कि तोड़फोड़ करने वाले या दूसरे अभिकर्ता को जो पाकिस्तान वालों के साथ मिला करते हैं किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रक्षीण किया गया है और कि उस को इतना दण्ड दिया गया है ताकि वह दूसरे के लिये उदाहरण बन सके और कि और लोग देश के गद्दार न बने ?

श्री ल० ना० मिश्र : ब्यौरा बताना मेरे लिये कठिन है। मुझे इस प्रश्न के लिये सूचना चाहिये।

श्री दाजी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे आप का संरक्षण चाहिये। प्रश्न बहुत सरल है। अब वह कैसे कोई जानकारी या स्पष्टीकरण चाहते हैं जबकि इस के लिये विशिष्ट सूचना दी गई थी ? प्रश्न बहुत सरल है कि क्या किसी एक तोड़फोड़ करने वाले के विरुद्ध भी मुकद्दमा चलाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न में भी था। इस का उत्तर दिया जाना चाहिये।

श्री ल० ना० मिश्र : प्रश्न में प्रक्षीण के बारे में नहीं है। यदि आप प्रश्न को पढ़े तो आप को मालूम होगा कि यह केवल पकड़े गये लोगों की संख्या के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का भाग (ख) उन के न्यायालय में प्रक्षीण के सम्बन्ध में है।

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे खेद है। अभी तक न्यायालय में किसी का भी प्रक्षीण नहीं किया गया है। वे अभी नजरबन्द हैं। प्रत्येक मामले की गुणदोष के आधार पर जांच की जा रही है।

Shri Onkar Lal Berwa : There are two groups in the ministers in Rajasthan. If one group arrests the person the other group got him released and *vice versa*. May I know whether Government has received any report about the persons who committed high handedness and were arrested under D.I.R. but subsequently released ? I have seen it with my own eyes.

Shri L. N. Mishra : If the hon. member has seen with his own eyes then it might be correct but I do not have such information and I also don't admit it.

श्री वासुदेवन नायर : क्या माननीय मन्त्री ने श्री बदरुद्दुजा, जो कि संसद में प्रतिपक्षी दल के सदस्य है, और जिन को पाकिस्तान के आक्रमण के समय पकड़ा गया था के उपर लगाये गये आरोपों की व्यक्तिगत रूप से जांच कराई है या उन पर विचार किया है ? ऐसा पता लगा है कि पच्छिमी बंगाल में कुछ लोगों को इन से निजी द्वेष है। क्या सरकार ने उनके मामले का पुनर्विलोकन किया है ? वह संसद के सदस्य हैं। जहां तक हम जानते हैं वह पाकिस्तान के आक्रमण में सरकार का समर्थन करते रहे हैं।

श्री ल० ना० मिश्र : हमने उनके मामले का पुनर्विलोकन नहीं किया है। इस पर विचार करना राज्य सरकार का काम है और उन को झगड़ा आरम्भ होते ही गिरफ़तार कर लिया था।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी आपत्ति केवल इतनी है कि राज्य सरकारें राजनैतिक प्रयोजनों के लिये पक्षपोशी रुप कार्य कर रहीं है इस लिये हम यह चाहते है कि इस कार्य को केन्द्र आपने हाथ में ले और देखे कि कुछ सदस्य जो भारत सुरक्षा कानून के अन्दर बिना कारण पकड़े गये हैं उन के साथ न्याय होता है। यहां तक कि संसद के एक सदस्य भी पकड़े गये हैं और केन्द्र सरकार ने उन के लिये कोई जांच नही करवाई है। मेरा विचार है कि आप सरकार पर अपना प्रभाव बरतेंगे ताकि जोकि संसद सदस्य पकड़े गये हैं उन के मामले का पुनर्विलोकन ही या फिर न्यायालय के समक्ष उन का प्रक्षीण हो।

श्री सिंहासन सिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री हेम बरुआ को पुकारा नही गया था और फिर भी वह बोल रहे हैं। आपने माननीय सदस्य को रोका नहीं और वह बोलते रहे।

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय ने उन को बोलने की आज्ञा दी इसी से सिद्ध है कि उस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नही था।

श्री सिंहासन सिंह : यद्यपि आपने श्री किसन पटनायक को पुकारा था फिर भी वह बोलते रहे।

श्री हेम बरुआ : मुझे नही मालूम था कि संसद में कुछ सदस्य दूसरों से इर्षा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना कहूंगा कि यदि यह कार्यप्रणाली बुरी है तो उन को इसे नही अपनाना चाहिये और मेरे साथ सहयोग करना चाहिये।

श्री सिंहासन सिंह : मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न पर बोला था।

Shri Kishen Pattnayak : During the period of conflict, in the areas inhabited by the minority community in my constituency, Sambalpur, the police had announced that any body who wanted to go out should first report to the police station and nobody should move on the road after 8 P.M. May I know whether Home Minister had any hand in it, if not, what he is proposing to do in this regard ?

Shri L. N. Mishra : There are some ways for maintaining internal security. It was done because of some Pakistanis living there .....

Shri Kishen Pattnayak : Not Pakistanis but people belonging to minority community of India.

Shri L. N. Mishra : It was not applicable on Indian citizens. We arrested some of the Pakistanis. As I have said about 3 thousand Pakistanis were arrested out of 54 thousand. A restriction was imposed on the Pakistanis that if any one of them wants to go out for more than 24 hours he should inform the local police station. If any more restrictions were imposed by any State Government there would have been some reasons for that. I have no information about that.

श्री ही० ना० मुकर्जी : मेरे साथी बदरुद्दूजा के अलावा ऐसे प्रमाणिकृत समाचार हैं कि वास्तविक राष्ट्रवादी मुसलमान जिन में साम्यवादी दल के कुछ सदस्य और पदधारी शामिल हैं, बिना प्रक्षीण पकड़े गये हैं। मैं किसी व्यक्ति को विचार-धारा के आधार पर बिना प्रक्षीण जेल में रखे जाने की बात को तो समझ सकता हूं परन्तु यदि उस व्यक्ति को यह बताया जाये कि वह राष्ट्र विरोधी है और राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है या करने की इच्छा रखता है और यदि उस को अपने बचाव के लिये न्यायालय के समक्ष अवसर नहीं दिया जाता तो यह एक घातक कार्य-प्रणाली है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार ने राज्य सरकारों को इन मामलों के जांच के काम को तेज करने और इस में उचित संशोधन करने के निर्देश दिये है जबकि समाचार पत्रों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक बड़े भारतीय व्यापारी ने

पाकिस्तान की सैनिक निधि में 20 लाख रुपये दिये हैं और सरकार उस पर कोई कार्यवाही करती प्रतीत नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं।

श्री नन्दा : जैसा मैं ने पहले कहा मैं ने कुछ पूर्वोपाय किये थे और बाद में मैं ने यह आवश्यक समझा कि इस बात को राज्य सरकारों के ध्यान में लाया जाये और मैं ने टैलीफून तथा पत्र द्वारा उन को बता दिया था। 8 तारीख को मुख्य मन्त्रियों तथा गृह मन्त्रियों की एक बैठक होने वाली है। मैं उस में लोगों के डराने धमकाने और अन्याय के विरुद्ध रक्षा के प्रश्न को उठाऊंगा।

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Home Minister had stated earlier in the House that thousands of Pakistani citizens were living in India who had come either without a pass-port or whose date of pass-ports had lapsed. May I know whether such persons have been arrested during these arrests or whether some steps have been taken to send them back to Pakistan ?

Shri L. N. Mishra : A number of such persons had also been arrested who were not in possession of valid documents. Some Indians have also been arrested. As far as the question of sending them back is concerned, how can I send them back ? Our citizens are also there in Pakistan. We also want that those Indians should be allowed to come back. In such circumstance when our citizens with valid passports are there in Pakistan and they are not allowed to come back...

Shri Prakash Vir Shastri : Our citizens had gone there with passport.

Shri L. N. Mishra : At present there is no question of sending those men who are without passports. There is a question of reciprocity in it. When they will allow our citizens to come back, we will also allow their citizens to go back.

Shri Kashi Ram Gupta : The hon. Minister has stated that about 3,000 Pakistanis were arrested in those days. May I know whether they were living with their relatives or separately ? I would also like to know whether most of them were arrested in the border areas or in other areas also ?

Shri L. N. Mishra : They were arrested from border areas as well as from other areas. It is clear that most of them were arrested from border areas. They were living with their relatives as well as independently.

श्री मं० रं० कृष्ण : सरकार ने उन भारतीयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हुये हैं। शेख अब्दुल्ला जिन्होंने विदेशों में ऐसा कार्य किया है के पुत्र जिन पर बड़ी मात्रा में धन खर्च किया गया है, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है। क्या उन के विरूद्ध कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं घरेलु मामलों के बारे में उत्तर दे रहा हूं न कि विदेशी देशों के बारे में।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या वह भारतीय नागरीक नही हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि वह अब भी भारतीय नागरीक हैं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक नया प्रश्न है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि पोर्ट ब्लेयर में एक भारतीय नागरिक को पकड़ा गया था जिस के पास वायरलस सैट था और जो कि लगातार पाकिस्तान को खबरें भेज रहा था। यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मेरे पास इस के बारे में कोई सूचना नहीं है।

Shri Priya Gupta : May I know whether persons other than those of Muslims community have also been arrested, if so, what is their number ? May I know whether the charges levelled against Shri Badradduja, a member of this House, have been looked into by the Home Minister and whether he has found them true or not ? If not what is his decision about that ?

Shri L. N. Misra : Home Minister himself has stated that he will look into the matter of Shri Badradduja. I want to remove one misconception. The hon. Member should not stress on this thing that any person has been arrested because of his community. Each person has been arrested for his activities irrespective of the fact whether he is a Hindu, or Muslim or a Christian. It is a fact that person from minority community have also been arrested.

श्री प्रिय गुप्त : मेरा एक सूचनार्थ प्रश्न है। यह प्रश्न केवल तस्कर व्यापार करने वाले के लिये नहीं परन्तु पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों और प्रचार करने वालों के लिये भी है। कितने गैर मुसलमानों को पकड़ा गया है ? क्या यह उन की जानकारी में है ?

Mr. Speaker : The number has already been indicated.

Shri Ram Sewak Yadav : The Indian citizens who have been arrested particularly on the ground that they got some connection with Pakistan, may I know the nature of the charges levelled against them ? I would also like to know the reasons for the release of some persons out of them ?

Shri L. N. Misra : I may state that every State Government follows its own procedure and keeps a list of such persons accordingly and they are classified according to their activities. I can not give details here for each and every one. But according to the final list, suspected persons and the persons against whom the charges were proved were arrested. Some of them were released in respect of whom it was decided that they might be released after ceasefire ?

Shri Ram Sewak Yadav : How many have been released ?

Shri L. N. Mishra : I can not give the number but in West Bengal about 680 persons have been released. Many persons have been released in this way ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

शिक्षा आयोग

*5. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री जसवन्त मेहता : **श्री मधु लिमये :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : **श्री बागड़ी :**

क्या शिक्षा मंत्री 18 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के संबंध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच शिक्षा आयोग से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

नागरिक सुरक्षा के लिये विद्यार्थियों का प्रशिक्षण

* 6. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी आक्रमण और चीन की धमकी से उत्पन्न हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों से स्कूल और कालेजों के युवकों को इस प्रकार संगठित करने और प्रशिक्षण देने के लिये कहा गया है कि नागरिक सुरक्षा कार्यों के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके, और

(ख) यदि हां, तो दिये गये सुझावों का ठीक-ठीक स्वरूप क्या है और वे कहां तक क्रियान्वित किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : इस मंत्रालय ने ग्राम स्वयं-सेवक दल के विषय में राज्य सरकारों को सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय द्वारा भेजे गए परिपत्र का ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करते हुये उनसे अनुरोध किया है कि वे शिक्षा संस्थाओं तथा शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित शिक्षा संस्थाओं और प्रशासनिक अधिकारियों को समुचित अनुदेश भेजें कि वे ग्राम स्वयं सेवक दल के सुचारू संगठन और संचालन में प्रभावशाली सहयोग दें। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इस दिशा में स्कूल और उसके स्टाफ के लोग शहरी क्षेत्रों में भी विभिन्न नागरिक सुरक्षा संगठनों के जरिए समाज की रुचि बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।

राष्ट्रीय छात्र सेना (नेशनल केडेट कोर) के महा निदेशालय ने भी सभी राज्यों के एन० सी० सी० के निदेशकों को अनुदेश भेजे हैं कि वे 17 वर्ष और अधिक आयु वाले एन० सी० सी० अफसरों तथा छात्रों की सेवाओं को नागरिक सुरक्षा कार्यों के लिए जिसमें रक्षात्मक हवाई बचाव भी शामिल हो, उपयोग में लाएं।

ये अनुदेश कहां तक कार्यान्वित किए गए है, यह अभी तक मालूम नहीं हैं।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने नागरिक सुरक्षा कार्यों में स्कूल छात्रों के प्रशिक्षण तथा उनके सक्रिय भाग लेने के लिए ब्यौरेवार आयोजनाएं भी तैयार की है। शिक्षा मंत्री सभी मुख्य मंत्रियों को लिख रहे हैं कि वे दिल्ली योजना के नमूने पर आयोजनाएं बनाएं।

रूस से मिट्टी का तेल

*7. **श्री प्र० के० देव :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलन्की :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अक्टूबर, 1965 के 'स्टेट्समैन' पृष्ठ 9, कालम 3 में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि रूस भारत को मिट्टी के तेल की वर्तमान भारी कमी को दूर करने के लिये और अधिक मात्रा में यह अत्यावश्यक वस्तु शीघ्र भेज रहा है;

(ख) यदि हां, तो रूस कुल कितना मिट्टी का तेल और अन्य पैट्रोलियम उत्पाद देने के लिये सहमत हुआ है, और

(ग) क्या इससे देश में मिट्टी के तेल की आवश्यकता में कमी पूरी हो जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : (क) और (ख) : जी हां। इण्डियन आयल कारपोरेशन ने रूस से मिट्टी के तेल को शामिल करते हुए पैट्रोलियम उत्पादों के 12,15,000 मीटरी टन के आयात के लिए ठेका किया है और कारपोरेशन चालू वर्ष में उक्त देश से पैट्रोलियम उत्पादों के कई अतिरिक्त आयातों के लिए बातचीत कर रही है।

(ग) जी हां। परन्तु इसमें वह मात्रा नहीं है जिसे रक्षा की आवश्यकताओं के लिये इस्तेमाल करना पड़ेगा।

कोचीन तेल-शोधक कारखाना

*8. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन तेल-शोधक कारखाने की प्रारम्भिक अनुमानित लागत बढ़ कर पांच करोड़ रुपये हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके पूरा होने तक इसके और बढ़ जाने की संभावना है ; और

(घ) इसके निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर): (क) और (ख) : शोधनशाला की लागत का अनुमान अब 21.92 करोड़ रुपये लगाया गया है जो कि 1962 में मूल्यों के आधार पर लगाये गये प्रारम्भिक अनुमान की अपेक्षा 4.07 करोड़ रुपये अधिक है। मूल्यों में बढ़ौती और उपकरणों एवं सामग्री पर लगने वाली चुंगी की बढ़ी हुई दर तथा डौक (dock) सुविधाओं के निर्माण पर होने वाले आकस्मिक व्यय का सम्मिलन इस वृद्धि का कारण है।

(ग) जी नहीं।

(घ) निर्माण कार्य प्रगति पर है और वित्तीय वर्ष के अन्त में शोधनशाला के चालू होने की सम्भावना है।

Pay of Teachers

***9. Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri P. L. Barupal :
Shri S. N. Chaturvedi :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a scheme that the minimum pay of teachers in the country should be Rs. 100 p. m.

(b) if so, whether Government are aware that it is not possible to meet the family expenses even with Rs. 100 p. m. in these days of high prices and as such the teachers cannot discharge their duties satisfactorily;

(c) the time by which Government are likely to implement this scheme; and

(d) the amount likely to be incurred by Government thereon.

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No Sir.

(b), (c) & (d). Do not arise.

Central Universities

***10. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Brij Raj Singh :
Shri Gokaran Prasad :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 657 on the 15th September, 1965 and state :

(a) the further progress made in the scheme for the establishment of Central Universities in all the States during the Fourth Five Year Plan;

(b) the decision taken by the University Grants Commission in this regard; and

(c) whether some States have also favoured this scheme?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). The question of establishing Central Universities in States was considered by the University Grants Commission at its meeting held on 6th October, 1965 and the Commission desired that this question might be referred to the Education Commission.

(c) The State Governments have not yet been consulted.

Admission to Central Schools

***11. Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the admission to Central schools, started in different States and financed by the Centre, is restricted to the children of Government employees only or it is open to other students also;

(b) the percentage of other students;

(c) the number of students with Hindi medium and English medium separately in those schools; and

(d) how far this scheme has proved useful?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran) : (a) No Sir, but priority is given to children of transferable Central Government employees.

(b) The percentage varies from school to school.

(c) and (d). Both these languages are the ultimate media of instruction in these schools; some have started with English medium and some with Hindi medium. This scheme has proved useful inasmuch as that the children whose parents move about from one part of the country to another prefer to have instruction in both these languages so as to reduce dislocation in their studies.

उर्वरक कारखाने

*12. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी बैंकटल निगम ने कुछ उर्वरक कारखाने खोलने का पुनरीक्षित प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालायें

*13. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेडा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से काम लिया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) प्रयोगशालायें किस प्रकार का काम करेंगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : रक्षा तकनीकी विकास और संभरण के प्रतिनिधियों के साथ 1962 में एक स्टियरिंग कमेटी (मार्ग-परिवर्तन समिति) रक्षा समस्याओं का अध्ययन करने, उनमें एकरुपता लाने तथा उनका हल ढूंढने के हेतु आगे की कारवाई निर्धारित करने के लिए स्थापित की गयी थी। इस समिति की सहायता 'रक्षा समन्वय यूनिट' द्वारा की जाती है जो रक्षा मंत्रालय के निकट सहयोग में कार्य कर रही है और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को बड़ी संख्या में परियोजनाएं सौंप दी गई हैं, जो या तो पूरी हो गयी हैं अथवा विकास की विभिन्न स्थितियों में हैं। 29 वस्तुओं का रक्षा मंत्रालय के लिए संभरण किया जा रहा है, जो कि विभिन्न प्रयोगशालाओं। संस्थाओं के पाइलेट संयंत्रों द्वारा पैदा की गयी हैं। हाल ही में कई नई विकास सम्बन्धी प्रायोजनाएं हाथ में लेने की शक्यता की जांच के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को भेज दिया गया है।

आसाम में तेल क्षेत्र

*14. **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पाराशर :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री बृजराज सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल ही में आसाम में रुद्रसागर तथा लकवा तेल क्षेत्र के बीच किसी स्थान पर तेल का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना तेल मिलने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक लाइसेंस देना

*15. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री बासप्पा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 22 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 774 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था बनाने के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ठीक-ठीक गठन, कृत्य और कार्य-प्रणाली क्या होगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता

*16. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का एक कारण राजनीतिक हस्तक्षेप है,

(ख) यदि हां, तो क्या राजनीतिक दलों से ऐसी कोई अपील की गई है कि वे प्रदर्शनों तथा हड़तालों में भाग लेने के लिये विद्यार्थियों से न कहें, और

(ग) विद्यार्थियों में नये भारत के निर्माण में भाग लेने की भावना उत्पन्न करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : जी, हां। राजनैतिक दलों से यदा कदा अनौपचारिक अपीलें की गई हैं कि वे विद्यार्थियों से प्रदर्शन तथा हड़तालों में भाग लेने के लिए न कहे।

(ग) स्कूल छात्रों की राष्ट्रीय स्वस्थ सेना योजना (नेशनल फिटनेस कोर स्कीम) और कालेज छात्रों की अनिवार्य राष्ट्रीय छात्र सेना योजना (Compulsory National Cadet Corps Scheme) के अतिरिक्त, जो कि पहले से ही अमल में लाई जा रही है—एक वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा-योजना शुरू करने का विचार किया गया है। यह योजना माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले सभी छात्रों के लिए होगी।

मिट्टी के तेल और डीज़ल तेल की कमी

*17. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ब० कु० दास :
डा० सरोजिनी महिषी :
श्री रा० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० के देव :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :
श्री रामसेवक यादव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मों० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में मिट्टी के तेल, डीज़ल तेल तथा पेट्रोल की कमी के दूर करने में आज तक सरकार को कितनी सफलता मिली है; और

(ख) सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में देश को पेट्रोलियम उत्पादों और रसायन के मामले में आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : (क) हमारी आवश्यकताओं की तुलना में पेट्रोल का उत्पादन अधिक होने से देश के किसी हिस्से में पेट्रोल की आम तौर से कोई कमी नहीं है। रूस से डीज़ल तेल के आयात के लिए किये गये प्रबन्धों के कारण जुलाई, 1965 से डीज़ल तेल की भी कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान से लड़ाई शुरु होने के बाद रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रता देने के कारण पिछले तीन महीनों में मिट्टी के तेल की कमी को महसुस किया गया है। रुपये मुद्रा में अदायगी पाने वाले देशों से मिट्टी के तेल की सप्लाई की वृद्धि और स्थानीय उत्पादन के समाकलन (Rationalisation) की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित अतिरिक्त शोधनशाला क्षमता अधिकतर पैट्रोलियम उत्पादों में देश को आत्मनिर्भर कर देगी। रसायनों के उत्पादन को बढ़ाने और चौथी पंचवर्षीय योजना में देश के संसाधनों की संगति से यथासम्भव देश को आत्मनिर्भर बनाने के उपाय योजना आयोग के अभी विचाराधीन है।

संयुक्त परामर्श योजना

*18. **श्री अ० प्र० शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्राय: सभी केन्द्रीय कर्मचारियों, मजदूर संघों तथा संस्थाओं ने संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य पंच फैसले की योजना स्वीकार कर ली है, योजना को कर्मचारियों और उनके मंत्रालयों के बीच झगड़ों को निपटाने के लिए, विशेष रूप से रेलवे और प्रतिरक्षा विभागों में, लागू करने में देर होने के क्या कारण है;

(ख) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय इस योजना को इसलिये क्रियान्वित नहीं कर रहा है कि सम्बन्धित मंत्रालय इसके विरुद्ध है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या विशेष कारण हैं और योजना का कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) : कुछ कर्मचारी संघों/संस्थाओं ने सारी की सारी योजना को ज्यों का त्यों मंजूर नहीं किया है। इसलिये इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका। जहां तक सम्भव हो सके सरकार इस योजना में मतैक्य प्राप्त करने के लिये उत्सुक है, जिसे प्राप्त करने के लिये बैठकें की जा रही हैं। इनमें से आखिरी बैठक 21-10-65 को हुई थी। मतभेद और भी कम हो गए और हमें उम्मीद है कि इस योजना को जल्दी ही लागू कर सकेंगे।

पाकिस्तानियों को नज़रबन्द करना

*20. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री व० बा० गांधी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में कुछ पाकिस्तानियों को नज़रबन्द किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या उनसे भारत छोड़ देने के लिए अथवा पाकिस्तान से उन्हें वापिस बुला लेने के लिए कहा गया है।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र.) : (क) और (ख) : जी हां। उनकी संख्या 3,064 है।

(ग) पहले उन्हें स्थानीय रूप में नज़रबन्द किया गया था और जत्थों की शक्ल में एक केन्द्रीय नजरबन्दी कैम्प में उनको स्थानांतरित किया जा रहा है।

(घ) भारत में नज़रबन्द पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में नज़रबन्द भारतीयों के साथ अदला-बदली के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार के साथ वार्तालाप किया जा रहा है।

अत्यावश्यक वस्तुयें तथा खाद्यान्न विनियमों का उल्लंघन

*21. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री बृजराज सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न की चोर बाजारी करने वालों तथा खाद्यान्न की जमाखोरी करने वाले लोगों को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत हिरासत में लेकर अत्यावश्यक वस्तुएं तथा खाद्यान्न विनियमों के उल्लंघनों को समाप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ज़ोरदार अभियान प्रारम्भ करने की सलाह दी है;

(ख) इस प्रकार के उल्लंघनों के मामलों में अब तक कितनी गिरफ्तारियां राज्यवार की गई है;

(ग) समाज-विरोधी कार्यों संबंधी समाचारों के आधार पर कितने व्यापारियों को नज़रबन्द किया गया है; और

(घ) खाद्यान्न आदेश के उल्लंघन के सम्बन्ध में कितने मुकद्दमे चलाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : उत्तर के लिये सामग्री एकत्रित की जा रही है ।

Elimination of Clerk Category

*22 **Shri Sidheshwar Prasad :** **Shri P. C. Borooah :**
Shri S. M. Banerjee : **Shri Brij Raj Singh :**
Shri K. N. Tewary : **Shri R. S. Pandey :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in order to eradicate red-tapism, a scheme for administrative reforms is being formulated under which category of clerks will be immediately eliminated;

(b) if so, the salient features of the scheme; and

(c) the steps being taken to train the clerks in stenography?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) A study was made of the Works Division of the Ministry of Works & Housing, on the basis of which that division has been reorganised. The reorganisation of the staff structure and work procedures eliminates examination of cases at 'office' level, and this reduces the number of levels of consideration.

(b) The salient features of the scheme, briefly are—

(i) enhanced delegation of powers to the Chief Engineer, C. P. W. D.;

(ii) introduction of a single file system eliminating the mainteance of dulicate files in the recipient office and duplicate consideration at 'office' level in the secretariat, and consequent reduction of staff at 'office' level, mainly assistants;

(iii) introduction of a scientific filing system eliminating the disadvantages of the present system;

(iv) reduction in levels of consideration from 5 to 3; that is, at the head, a joint secretary; at the middle level, deputy secretaries and at the bottom level, under secretaries or section officers;

(v) provision of a stenographer or steno-typist for each under Secretary or section officers;

(vi) a registry for the division as a whole to handle work relating to receipt, despatch, typing, etc.

(c) A scheme for training staff in stenography is under consideration.

आसाम के पर्वतीय क्षेत्रों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन

*23. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री रविन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :
श्री बसुमतारी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्र संबंधी आयोग (आसाम) ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वी तट के पास तेल भण्डार

*24. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सोवियत जहाज द्वारा भारत के पूर्वी तट पर किये गये प्रारम्भिक अध्ययन से तट से कुछ दूर तेल का बड़ा भण्डार होने की आशा पैदा हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी खोज करने के लिए और क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : (क) और (ख) : सोवियत जहाज़ द्वारा कारोमण्डल तट से कुछ दूर किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षणों से उक्त क्षेत्र में अवसादीय (sedimentary) चट्टान रचना की काफी मोटाई और दो सम्भाव्य दिलचस्प अपनत संरचनाओं (anticlinal structures) की विद्यमानता का पता लगा है। सीमीप्य भूमि क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षणों एवं व्यधन कार्यों से सम्बन्धित और अन्वेषण कार्य प्रगति पर हैं और जब कभी आवश्यकता हुई तो अतटीय व्यधन कार्य को हाथ में लिया जायेगा ।

कैरों हत्याकांड

*25. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 18 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 88 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने कैरों हत्याकाण्ड की जांच पूरी कर ली है और प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नागरिक सुरक्षा

*27. **श्री मधु लिमये :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बागड़ी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागरिक सुरक्षा के लिये एक स्थायी अखिल भारतीय सम्बन्धित संगठन बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा की गतिविधियों में तालमेल उत्पन्न करने के लिये केन्द्र में गृह मंत्रालय के अधीन पहले ही महानिदेशक के मातहत एक संगठन मौजूद है ।

नागालैंड में गुप्त ट्रान्समिटर

*28. **श्री हेम बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री व० बा० गांधी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री काजरोलकर :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत कुछ समय से नागालैण्ड में एक गुप्त ट्रान्समिटर अवैध रूप से चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस ट्रान्समिटर का पता लगाने और उसे कार्य करने से रोकने के लिये कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख): 20 और 23 सितम्बर, 1965 के दौरान नागालैण्ड में एक ट्रान्समीटर चलता रहा जिसका पता नहीं चल सका। इसका पता लगाने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

पेट्रोलियम मूल्य नीति सम्बन्धी तलुकदार समिति

*29. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री दे० जी० नायक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री रा० बरूआ :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोलियम मूल्य नीति सम्बन्धी तलुकदार समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : (क) और (ख): 18-8-1965 को तेल-मूल्यों के कार्यवाही दल द्वारा, जिसके प्रधान श्री जे० एन० तलुकदार थे, पेश की गई रिपोर्ट की अभी जांच हो रही है। सरकार ने इस पर अभी निर्णय नहीं किया है।

पाठक आयोग का प्रतिवेदन

*30. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
डा० मा० श्री० अणे :
श्री हुकमचन्द कच्छवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 18 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 85 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठक आयोग ने अब तक इस कथन की जांच पूरी कर ली है कि कुछ व्यक्तियों को महात्मा गांधी की हत्या करने की योजना की पहले से जानकारी थी और सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक दिये जाने की संभावना है और विलम्ब होने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आयोग का प्रतिवेदन 31 दिसम्बर, 1965 तक दिया जाना है। आयोग को बहुत बड़ी संख्या में साक्षियों और पुराने अभिलेखों की जांच करनी है, और इस लिये अभी तक अपने प्रतिवेदन को अंतिमरूप देना उसके लिये सम्भव नहीं हो सका।

केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड

1. **श्री राम हरख यादव :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में संस्कृत के प्रचार तथा विकास के लिये केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) इसके मुख्य कार्य क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया दखिये संख्या एल० टी० 5022/65।**]

राऊज़ एवेन्यु, नई दिल्ली में महिला पॉलीटेकनिक

2. **श्री राम हरख यादव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राऊज़ एवेन्यू, नई दिल्ली की महिला पॉलीटेकनिक में दी जाने वाली तकनीकी शिक्षा की कुछ शाखाओं में दिये जाने वाले डिप्लोमाओं को मान्यता प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस विशेष मान्यता के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्र सरकार के अधीन उचित क्षेत्रों में सेवाओं तथा अधीनस्थ पदों पर नियुक्ति के लिये लाइब्रेरी विज्ञान, साचविक कार्यप्रणाली, आरचीटैकचरल असिसटैन्टशिप, वाणिज्य कला और इन्टीरिय डैकोरेशन और डिसप्ले में, डिप्लोमों को मान्यता प्रदान कर दी गई है।

(ग) प्राधिकृत संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी मण्डलों की ओर से दिये जाने प्रमाणपत्रों/डिप्लोमों को मान्यता प्रदान करने के आम सिद्धान्तों के अन्तर्गत ही इन डिप्लोमों को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है।

Arrests for Food Agitation

3. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total arrests made in the States of Bihar, Maharashtra and West Bengal during July and August, 1965 in connection with food agitation;

(b) the number of places where firing took place; and

(c) the names of places where enquiry was conducted into the firing?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा

4. **श्री राम हरख यादव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, भोपाल द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के डिप्लोमाओं को मान्यता दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में नौकरी मिलने के विषय में इस मान्यता से क्या भाव पड़ेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) यह मान्यता केन्द्रीय सरकार के अधीन उपयुक्त क्षेत्रों में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को सहायक पदों और सेवाओं में नियुक्ति की पात्रता प्रदान करती है।

नजरबन्द संसद्-सदस्यों के लिये सुविधायें

5. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये संसद सदस्यों को विशेष सुविधायें दिये जाने के बारे में अनुदेश दिये थे;

(ख) यदि हां, तो वे विशेष सुविधायें क्या हैं; और

(ग) क्या इन अनुदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) राज्य सरकारों के विचारार्थ कुछ सुझाव बनाये गये थे।

(ख) और (ग): इन सुझावों का संबंध मामले की गति को तीव्र करना, सम्बन्धित को कम-से-कम परेशानी पहुंचाते हुए गिरफ्तारी करना, जिनमें अगर जरूरी हो तो तैयारी के लिये काफी छूट देना, उसकी शिक्षा तथा उस जीवन पद्धति आदि के अनुरूप जिसका वह अभ्यस्त हो श्रेणी निर्धारित करना, और यदि जेल की परिस्थितियों के बारे में उसे कोई शिकायत हो तो उसका निवारण।

नजरबन्द लोगों की शिकायतें

6. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में वामपक्षी साम्यवादी नजरबन्द लोगों द्वारा सितम्बर, 1965 में कोई भूख-हड़ताल की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया;

(ग) जिन मुख्य शिकायतों के बारे में राज्य सरकार से अभ्यावेदन किया था तथा जिन के कारण उनको भूख-हड़ताल करनी पड़ी, वे शिकायतें क्या हैं;

(घ) उन शिकायतों के सम्बन्ध में कहां तक जांच की गई तथा उन्हें कहां तक दूर किया गया; और

(ङ) यदि उन शिकायतों को दूर नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) भूख हड़ताल के तीन दिनों में क्रमशः 132, 134 और 149 व्यक्तियों ने भाग लिया।

(ग) और (घ): शिकायतों का सम्बन्ध परिवार भत्ते, पाठ्य सामग्री की प्राप्ति, कानूनी मशवरे और हस्पताल में भरती बन्दियों की रिहाई से था। राज्य सरकार द्वारा इन सभी मामलों में पहले ही यथोचित कार्यवाही की जा चुकी है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अण्डमान के विद्यार्थियों के लिये स्थान सुरक्षित करना

7. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 और 1965-66 में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के विद्यार्थियों के लिए देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में (एक) आर्टस कालेजों और (दो) तकनीकी कालेजों में यदि कोई स्थान सुरक्षित रखे गये तो कितने; और

(ख) इस अवधि में अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह के कितने विद्यार्थियों ने इससे लाभ उठाया ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) (i) **आर्टस् कालेज :** कोई नहीं।

(ii) **तकनीकी कालेज :** 1964-65 तथा 1965-66 प्रत्येक में 4.

(ख) कुल 4 स्थान प्रतिवर्ष व्यवहार में लाए गए।

केरल में अंशकालिक अध्यापक

8. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल के सरकारी स्कूलों में कितने अंशकालिक अध्यापक हैं;

(ख) उन्हें प्रति मास कितना वेतन दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार को उनका वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) से (घ) : राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त की जा रही है और यथाक्रम सभा-पटल पर रखी जायेगी।

केरल लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन

9. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल लोक सेवा आयोग ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है;

(घ) इसकी सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए प्रति वर्ष कितनी अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी; और

(ङ) आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) से (ङ): प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केरल में नज़रबन्द साम्यवादियों को परिवार-भत्ता

10. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की जेलों में नज़रबन्द साम्यवादियों ने अगस्त, 1965 में भूख-हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं;

(ग) क्या उनकी पैरोल पर रिहाई के सम्बन्ध में उदारता बरतने तथा परिवार-भत्तों पर पुनर्विचार करने जैसे कोई आश्वासन दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो तदुपरांत कितने लोगों को पैरोल पर रिहाई की सुविधायें दी गई तथा कितने लोगों को परिवार-भत्ता दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) उनकी मांगें इस प्रकार थीं :—

(1) या तो वामपक्षी साम्यवादियों को बिना शर्त रिहा किया जाय और या उन पर लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिये उन पर अदालतों में मुकदमा चलाया जाय ।

(2) बन्दियों के परिवारों को उपयुक्त परिवार भत्ता दिया जाय ताकि वे यथोचित आराम के साथ रह सकें। यह भत्ता कम-से-कम 100 रु० प्रति मास होना चाहिये ।

(3) पैरोल पर रिहाई की सुविधा में उदारता ।

(4) बन्दियों को और ज्यादा अच्छी चिकित्सा सुविधायें दी जायें जिनमें विशेषज्ञों द्वारा इलाज भी शामिल है ।

(5) सभी बन्दियों को श्रेणी एक का बन्दी माना जाय ।

(6) राज्य में बिगड़ती हुई खाद्य-स्थिति को सुधारने के लिये तत्काल कदम उठाये जायें, और राज्य की जरूरतों पर और ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जाय ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 35 नजरबन्दों को पैरोल पर छोड़ा गया । 27 को नये सिरे से परिवार भत्ता दिया गया और 9 के मामले में भत्ता बढ़ाया गया ।

तीन-वर्षीय विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम

11. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चालू करने में यदि कोई प्रगति हुई है तो कितनी; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया जाने वाले अनुदान बन्द करने का है जो तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चालू नहीं करते ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों में त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चालू करने का प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है ।

आनर्स के छात्रों के लिये इंटरमिडियेट के बाद त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम अपनाने का बंबई विश्वविद्यालय का विचार है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों को अनुदान

12. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वैज्ञानिक शिक्षा के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो विभिन्न अनुदान दिये गये उनका ब्योरा क्या है तथा (एक) उन विश्वविद्यालयों/कालेजों के नाम क्या हैं; (दो) उन्हें कितना-कितना अनुदान दिया गया है; और (तीन) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में अब तक किस प्रयोजन के लिये अनुदान दिये गये थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायगी ।

विश्वविद्यालय और कालिज

13. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) कितने डिग्री कालेज हैं; और

(ग) ऐसी कितनी उच्चतर संस्थायें हैं जिन्हें भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—5023/65 ।]**

नागा विद्रोहियों द्वारा अपहरण

14. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र नागा विद्रोहियों के एक गिरोह ने 19 सितम्बर, 1965 को मनीपुर के उखरूल सब-डिवीजन में चोइथर गांव से छः नागाओं का, जिनमें एक सरकारी अध्यापक भी था, अपहरण किया; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये अपहृत नागा छोड़ दिये गये हैं, और क्या इसके लिए उत्तरदायी नागा विद्रोहियों को पकड़ लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सशस्त्र नागा विद्रोहियों द्वारा 19-9-1965 को चार देहातियों को चोइथर गांव से अपहरण किया गया । अपहृत व्यक्तियों में एक सरकारी अध्यापक तथा एक सरकारी हरकारा भी था ।

(ख) अपहृत व्यक्ति छोड़ दिये गये है । अभियुक्त अभी तक नहीं पकड़े जा सके ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों का पुनर्वास

15. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से विभिन्न कैम्पों में आये कितने लोगों को अब तक बसाया जा चुका है; और

(ख) कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी बसाया जाता है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) अब तक पूर्वी पाकिस्तान से आये 6,128 नये विस्थापित परिवारों को विभिन्न राज्यों में पुनर्वास स्थानों में भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त 1,501 परिवारों को नियमित रोजगार पर लगाया गया है।

(ख) 51,000 परिवार जो शिबिरों में हैं, उन्हें अभी बसाया जायेगा।

हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था

16. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 628 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति की सभी सिफारिशों पर कार्यवाही पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्रमवार प्रत्येक सिफारिश पर जो कार्यवाही की गई है उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। इन सिफारिशों की अभी तक विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में जांच हो रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपहृत बच्चे

17. **श्री यशपाल सिंह** :

श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 25 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 199 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खोए हुए बच्चों को पाने में और क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : खोये हुये बच्चों को तलाश करने की भरसक कोशिशों के बावजूद दिल्ली पुलिस उनका कोई सुराग नहीं लगा सकी। तलाश अभी तक जारी है।

गुजरात का तेलशोधक कारखाना

18. **श्री यशपाल सिंह** :

श्री बसुमतारी :

श्री प्र० चं० बरूआ :

श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात का तेल-शोधक कारखाना चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान उत्पादन-दर क्या है; और

(ग) इसमें इष्टतम क्षमता के अनुसार उत्पादन कब तक होने लगेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) और (ख) : जी हां। 11 अक्तूबर, 1965 को शोधनशाला का पहला मिलियन मीटरी टन यूनिट चालू हुआ था और प्रति दिन 1,000 मीटरी टन से लेकर 1,500 मीटरी टन तक उत्पादन कर रहा है।

(ग) वर्ष के अन्त से पहले एक मिलियन मीटरी टन की क्षमता के प्राप्त होने की आशा है।

"वोग" में प्रकाशित फोटो

19. **श्री यशपाल सिंह** :

श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 'वोग' में प्रकाशित फोटुओं के बारे में 22 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2674 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच उक्त पत्रिका की प्रति प्राप्त करके उसकी जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार का विचार इस पत्रिका के सम्बन्धित अंक के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का नहीं है ।

शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप

21. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **शिक्षा** मंत्री 1 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1234 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिसमें कृषि तथा चिकित्सा संबंधी शिक्षा भी सम्मिलित है, शिक्षा संबंधी सभी क्रियाकलापों को एक छत्र के नीचे लाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख): विषय अभी विचाराधीन है ।

खेलों के लिये सामान

23. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् ने देश में शिक्षा संस्थाओं के लिए खेल के मैदानों तथा सामान की व्यवस्था सम्बन्धी कोई योजना पेश की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या योजना के वित्तीय पहलू पर विचार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : देश में खेल कूद के विकास के लिये चौथी पंच-वर्षीय योजना में शामिल करने के लिए प्रस्तावों का मस्विदा तैयार करने के कार्य में अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् भी शामिल थी । इन प्रस्तावों में 1,500 कालेजों, 16,000 हाई/हायर सकेन्डरी स्कूलों तथा 10,000 मिडल स्कूलों में खेलके मैदान बनाने का प्रबन्ध था । कालेजों में खेल के मैदानों पर 10,000 रुपये और स्कूलों में खेल के मैदानों पर 5,000 रुपये खर्च करनेका प्रस्ताव था । इन प्रस्तावों में 16,000 हाई/हायर सैकेन्डरी स्कूलों को 1,000 रुपये प्रति स्कूल के हिसाब से खेल-कूद का सामान देने का भी सुझाव दिया गया था ।

(ग) और (घ) : चौथी पंच वर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । फिर भी ऐसा पता लगता है कि सीमित धन उपलब्ध होने के कारण केन्द्रीय सरकार इन स्कूल के लिये खेल-कूद के मैदान तथा सामान के लिये धन नहीं दे सकेगी । चौथी योजना में जहां तक सम्भव होगा, राज्य सरकारों तथा नगर निगम आदि स्कूलों की इन आवश्यकताओं को अपने संसाधनों से पूरा करने की कोशिश करेंगी ।

दिल्ली में मिट्टी के तेल की कमी

*24. श्री प्र० के० देव :
श्री मधु लिमये :
श्री सोलंकी :
श्री बागड़ी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के निवासियों ने मिट्टी के तेल तथा अन्य तेल-उत्पादों की भारी कमी के बारे में शिकायतें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : (क) और (ख) : पाकिस्तान के साथ लड़ाई के कारण अगस्त और सितम्बर में असैनिक जनता के लिए मिट्टी के तेल की सप्लाई में कमी करनी पड़ी । 24 सितम्बर, 1965 को दिल्ली प्रशासन को मिट्टी के तेल को फुटकर बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा । युद्ध-विराम के बाद प्रतिबन्धों में कुछ हद तक छूट दे दी गई है, किन्तु हमारी सीमाओं पर वर्तमान स्थिति के कारण मिट्टी के तेल की सप्लाई में पूरी छूट देना सम्भव नहीं है। दिल्ली में फिलहाल उपभोक्ता अपने चीनी के कार्ड पर एक सप्ताह में 5 लिटर, दो सप्ताह में 10 लिटर या एक मास में एक टीन मिट्टी के तेल खरीद सकते हैं ।

Auto-Theft Squad of Delhi Police

25. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. L. Barupal :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. N. Chaturvedi :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the aims of the Auto-Theft Squad set up five years ago in Delhi and how far it has been able to achieve them ;

(b) the cases of theft detected by it during the last five years ;

(c) the strength of this squad and the annual expenditure incurred on it and the number of automobiles, etc. provided to it; and

(d) whether Government propose to lay a detailed statement regarding the working of this squad on the Table ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. LT-5024/65.]**

Arrests of Government Servants for Spying

26. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri S. C. Samanta :
Shri Parashar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Central and State Government employees apprehended for disclosing defence secrets or passing out information secretly or for doing such things which might endanger the security of India ; and

(b) the action being taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) & (b). Information relating to last five years is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

अवशिष्ट पुनर्वास समस्या

27. **श्री ब० कु० दास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की अवशिष्ट समस्या के बारे में कितनी योजनाएं मंजूरी के लिए पड़ी है;

(ख) इन योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि के अनुदान तथा ऋण देने होंगे; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये वचनबद्ध कुल राशि को पूरा करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को अभी भी कोई योजनाएं प्रस्तुत करनी हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास 27 योजनायें मंजूरी के लिये पड़ी हैं।

(ख) इन योजनाओं के लिये भारत सरकार को 64.55 लाख रुपये ऋण के रूप में तथा 219.27 लाख रुपये अनुदान के रूप में देने होंगे ।

(ग) जी, हां ।

दिल्ली में गुंडागर्दी

28. **श्री मरंडी :**
श्री उटिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में गुण्डागर्दी बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो गुण्डों की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) गुण्डों की गतिविधियों को दबाये रखने के लिये पुलिस द्वारा की जाने वाली सामान्य निगरानी और गश्त के अलावा उनके खिलाफ कानून की स्थायी और निवारक व्यवस्थाओं के अधीन भी कार्यवाही की जाती है । समाजविरोधी तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिये बम्बई पुलिस अधिनियम, 1961 की कुछ धाराएं संघ-राज्य क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू की गई हैं ।

दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों का परिरक्षण

29. **श्री मरंडी :**
श्री उटिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों के परिरक्षण के लिये सरकार ने क्या पग उठाए हैं ; और

(ख) इन स्मारकों की देखभाल पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय होती है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) दिल्ली में 163 ऐतिहासिक स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है । इन को देख भाल भारत पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग करता है और धन की प्राप्तता तथा आवश्यकता को ध्यान में रख कर इन की वार्षिक तथा विशेष मरम्मत की जाती है । इस के अतिरिक्त, यद्यपि दिल्ली की जामामसजिद केन्द्र के रक्षित स्मारकों में नही आती फिर भी इस का सर्वेक्षण कराया गया है और विस्तार पूर्वक मरम्मत करवाई गई है । स्मारकों के आस पास खूबसूरती के लिये जहां कहीं भी पर्याप्त जमीन प्राप्त थी बाग लगाये गये हैं ।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इन स्मारकों की वार्षिक तथा विशेष मरम्मत पर औसतन प्रतिवर्ष 2,55,573 रुपये खर्च किये गये हैं ।

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

30. **श्री मरंडी :**
श्री उटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेडा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के सम्बन्ध में 25 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 208 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उन पदों के बारे में सूचना दें जिन्हें वे भारतीय शिक्षा सेवा में शामिल करना चाहते है । अभी तक केवल एक राज्य ने आवश्यक उत्तर भेजा है । अन्य राज्यों को स्मरण-पत्र भेजा जा रहा है । साथ-ही-साथ अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 में संशोधन करने के लिये विधि-व्यवस्था लागू करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ताकि भारतीय शिक्षा सेवा को भी इसके क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सके ।

लाजपत राय मार्केट, दिल्ली

31. **श्री मंरडी :**
श्री उटिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चांदनी चौक दिल्ली में लाजपत राय मार्केट में नई दुकानें बनाई गयी है ;

(ख) क्या उन्हें अलाट किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो दुकानों को किस आधार पर अलाट किया गया ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) मार्केट में कुल 888 दुकानें दो अवस्थाओं में बनाई जानी थी । पहली अवस्था पूर्ण हो चुकी है और 462 दुकानें वास्तविक व्यक्तियों को अलाट की जा चुकी हैं । दूसरी अवस्था में से 278 दुकानें तैयार हो चुकी है और 148 दुकानें निर्माण अधीन हैं ।

(ख) और (ग) : जी हां, दुकाने पुरानी लाजपतराय मार्केट के उन दुकानदारों को दी गई थीं जो 1958 में इन दुकानों के अलाटमेंट के बारे में हुई लाटरी में सफल हुये थे।

स्कूल के लड़कों के लिये खाने को पैकेट

32. श्री दी० चं० शर्मा : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री झियान : **श्री राम हरख यादव :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में एक मिशन ने स्कूल के लडकों के लिए दोपहर के भोजन के जो कई हजार पैकेट दिये थे उनका दुरुपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शिक्षकों की स्थिति

33. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1965 में शिक्षकों की स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देने तथा शिक्षा आयोग के विचारार्थ तीन प्रतिवेदन पेश करने के लिए शिक्षकों की स्थिति सम्बन्धी तीन दिन की गोष्ठी हुई थी ;

(ख) क्या शिक्षा आयोग को कोई प्रतिवेदन पेश किया गया है और उस पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) शीघ्र ही शिक्षा आयोग को एक प्रतिवेदन पेश किया जायेगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

कालकाजी में भूमि का विकास

34. श्री स० चं० सामन्त :

श्री सुबोध हंसदा :

श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों की प्रस्तावित कालकाजी कालोनी में भूमि का पूर्ण रूप से विकास कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कालोनी का कुल क्षेत्रफल कितना तथा विकास पर प्रति एकड कितनी लागत आई है ;

(ग) आलाटमेंट के लिये प्रार्थना-पत्रों के कब तक मांगे जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा भी कुछ फ्लैटों का निर्माण करके विस्थापित व्यक्तियों को बेचे जाने का विचार है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) जी नहीं ।

(ख) योजना के अन्तर्गत 218.3 एकड क्षेत्र है। विकास कार्य पूर्ण होने पर तथा वास्तविक व्यय मालूम होने पर ही विकास की लागत का पता चलेगा ।

(ग) भूमि के विकास तथा उसका प्लाटों में सीमांकन होने के बाद ही आवेदन पत्र मंगवाये जायेंगे ।

(घ) जी, नहीं ।

गोहाटी तेल-शोधक कारखाने की तरल पेट्रोलियम गैस को बोतलों में भरना

35. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोहाटी तेल शोधक कारखाने की तरल पैट्रोलियम गैस के उत्पादन बोतलों में भरने तथा वितरण के प्रस्ताव के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : शुरू में यह शोधनशाला के विस्तार से सम्बन्धित एक प्रस्ताव के एक भाग में शामिल था। बातचीत के बाद विदेशी सहयोगी तरल पैट्रोलियम गैस परियोजना की एक नई स्कीम को अलग तैयार करने के लिए सहमत हो गया है। अभी इसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

गोहाटी तेल-शोधक कारखाना

36. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहाटी तेल-शोधक कारखाने के विस्तार के लिए परियोजना प्रतिवेदन तयार करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) क्या सरकार ने संसद् के पिछले सत्र में तेल नीति पर हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए गोहाटी तेल-शोधक कारखाने के विस्तार के बारे में अपने निर्णय का पुनर्विलोकन किया है और प्रतिष्ठापित की जाने वाली अतिरिक्त तेल-शोधन क्षमता को आसाम के तेल भण्डारों में उपलब्ध कच्चे तेल के संसाधनों की मात्रा के अनुसार बढा दिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : (क) और (ख) : गौहाटी शोधनशाला की प्रति वर्ष 0.75 मिलियन मीटरी टन की वर्तमान क्षमता को 1.00/1.1 मिलियन मीटरी टन तक विस्तार करने की एक तकनीकी रिपोर्ट की, जिसे मेसर्ज इण्डस्ट्रीयल एक्सपोर्ट, बुखारेस्ट (Messrs Industrial Export, Bucharest) ने तयार किया है, तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टिकोण से जांच की जा रही है ।

स्कूलों और कालिजों में राइफल क्लब

37. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कितने स्कूल तथा कालेज हैं जिनमें राष्ट्रीय सेनाछात्र दल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त राइफल क्लब हैं ; और

(ख) क्या इन क्लबों को सरकार की ओर से सहायता मिलती है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : ऐसे स्कूलों तथा कालेजों की संख्या के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी सरकार कुछ स्कूलों को अनुदान दे रही है

और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को राइफल क्लबों के निर्माण के लिये अनुदान दे रहा है ।

बंकुरा जिले में विस्फोट

38. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** **डा० रानेन सेन :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंकुरा जिले के एक गांव में हाल ही में जो विस्फोट हुआ था उसमें कितने व्यक्ति मारे गये ;

(ख) क्या इससे सम्पत्ति को भी हानि हुई थी ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) 29-9-1965 को विस्फोट के फलस्वरुप 6 व्यक्ति मारे गये ।

(ख) सम्पत्ति की हानि की कोई सूचना नहीं मिली ।

(ग) और (घ) : इस घटना के पीछे ध्वंसात्मक कार्यवाही की कोई आशंका नहीं है ।

Rationing of Kerosene Oil in Kerala

39. **Shri Ram Sewak Yadav :** **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri : **Shri A. K. Gopalan :**

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that kerosene oil has been rationed in the State of Kerala ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken to overcome the shortage of kerosene oil in that State ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) Yes, Sir.

(b) Measures have been introduced to regulate the sale and distribution of kerosene in order to conserve supplies.

(c) Supplies available from indigenous production and imports are being allocated to the Cochin Supply area (which includes the State of Kerala) in as equitable a manner as possible. To ensure fair and equitable distribution within the State, the Government of Kerala has regulated sales at wholesale and retail points by licences and releases to consumers are being made on cards or permits. To prevent misuse of kerosene, the use of kerosene for purposes other than cooking and illumination has been restricted, except on permits issued by the State Governments for essential uses.

नया शिक्षा कार्यक्रम

40. श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री बृजराज सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं में वैज्ञानिक प्रबन्ध इंजीनियरों के लिए प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम में एक नया शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्था के लिये पुस्तक

41. श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश काउन्सिल ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्था, शिमला को उपहार स्वरूप बहुत सी पुस्तकें देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो जिन पुस्तकों को देने की पेशकश की गई है वे कैसी है तथा उनका मूल्य कितना है; और

(ग) क्या संस्था को उपहार का कुछ भाग प्राप्त हो गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : इस संस्था के पुस्तकालय को ब्रिटिश काउन्सिल ने लगभग 3000 पौंड की धर्म तथा दर्शनशास्त्र के तुलनात्मक अध्ययन, ऐतिहासिक तथा सामाजिक विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें उपहार देने की पेशकश की है। 808 पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मित्तर की आयु सम्बन्धी विवाद

42. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश, श्री जे० पी० मित्तर की आयु सम्बन्धी विवाद अन्तिम रूप से निबटाया जा चुका है तथा श्री मित्तर को निर्णय की सूचना दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विवाद की मुख्य मुख्य बातों, इसकी पृष्ठ भूमि तथा इस मामले की अन्तिम निपटाने की मुख्य मुख्य बातों को दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5025/65 ।]**

मद्रास तेल-शोधक कारखाना

43. श्री उमानाथ : **श्री प्र० चं० बरूआ :**

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री बालकृष्णन :**

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्बन्धित सहयोग करारों का अनुमोदन होने से अब तक मद्रास तेल-शोधक कारखाने के निर्माण में बहुत कम प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायन् कबिर) : (क) से (ग) : यद्यपि मार्च 1965 में मसौदे करारों पर कच्चे हस्ताक्षर हुए थे, अन्तिम करारों के होने में देरी हुई है। करारों के निकट भविष्य में हस्ताक्षरित होने की आशा है। इसी बीच में प्रक्रिया रूपांकन (Process design) को तैयार करने और असैनिक एवं स्थल-दूर कार्य की जांच करने में काफी प्रगति हुई है।

केरल के सरकारी कर्मचारियों को बचत बांडों के रूप में भुगतान

44. श्री उमानाथ : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वेतन आयोग सिफारिशों के परिणामस्वरूप केरल में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले बढ़े हुए वेतन की बकाया राशि का कुछ भाग बचत बांडों के रूप में देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सेवा संस्थाओं और कर्मचारियों के विचार पूछे गये थे ;

(ग) यदि हां, तो उनके विचार क्या हैं ; और

(घ) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां। राज्य सरकार ने वेतन आयोग की महंगाई भत्ता बढ़ाने से सम्बन्धित सिफारिश को इस शर्त पर स्वीकार करने का फैसला किया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एक अंश बचत की निम्नलिखित मदों में से किसी एक में जमा किया जायेगा :—

(i) सामान्य भविष्य निधि ।

(ii) संचयी सावधि निक्षेप (क्युमुलेटिव टाइम डिपाज़िट) ।

(iii) दस वर्षीय राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट ।

(iv) बारह वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा सर्तिफिकेट ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

आसाम में मटिया शिबिर

45. श्री गोकुलानन्द महन्ती :

डा० रानेन सेन :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में गोलपाड़ा जिले में मटिया शिविर को बन्द करने तथा शिविर में रखे गये प्रवासियों को अन्य शिविरों में भेजने का विचार है;

(ख) इस शिविर के स्थापित होने से अब तक इसके कितने प्रवासी परिवारों को बसाया गया है; और

(ग) उन्हें कहां और किस प्रकार बसाया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : कोई नहीं। शीघ्र ही 500 कृषि परिवारों तथा 100 मछुए परिवारों को जिला गोआलपारा में पुनर्वास स्थानों तथा 1000 परिवारों को नेफा में पुनर्वास स्थानों पर भेजने की प्रस्तावना है।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन-प्रतिवेदन

46. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री बागड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन से शिक्षा में क्या विशेष कमियों का पता चला है और उन्हें दूर करने के लिये क्या उपाय करने की सिफारिश की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि दाखिल हुए बच्चों में से 23 प्रतिशत बच्चों को मुख्य रूप से घरेलू परिस्थितियों के कारण अपनी पढ़ाई बन्द करनी पड़ी; और

(घ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता पर कहां तक जोर दिया गया है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन द्वारा मालूम हुई मुख्य कमियां इस प्रकार हैं :—

अपर्याप्त पर्यवेक्षण; स्कूल भवन, साज-सामान और अन्य सुविधाओं की कमी; गरीब घरों से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में हाजिरी की कमी, निष्क्रियता और बरबादी; और समुचित योग्यता वाले अध्यापकों की कमी। रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं कि अब तक की गई प्रगति का समेकन ; अच्छे शिक्षण की व्यवस्था; पहाड़ी और दुर्गम स्थानों में सुविधाओं का विस्तार; गरीब बच्चों की पुस्तकों; लेखन सामग्री और वर्दी के रूप में सहायता और प्रारंभिक शिक्षा की विषय-वस्तु और लक्ष्य पर पुनर्विचार।

(ग) जी हां, रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार।

(घ) रिपोर्ट में नियमित प्रशिक्षण की सुविधाओं और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस विस्तार कार्य की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए, जिससे वर्तमान अप्रशिक्षित अध्यापक इससे अधिकतम लाभ उठा सकें।

बीजापुर में पुरातत्वीय खोज

47. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्षा के पानी को बीजापुर शहर में आने से रोकने के लिए पुरातत्वीय विभाग द्वारा बीजापुर में किले की दीवार के पश्चिम में आरम्भ किये गये खाइयां खोदने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्य के लिये कितनी राशि मंजूर की गई थी; और

(ग) अब तक कितनी राशि खर्च हुई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत पुरातत्वीय विभाग पर केवल मक्का दरवाजे से शाहपुर दरवाजे तक किले के साथ इतनी गहराई तक खाई खोदने का उत्तरदायित्व था जिस से पानी आसानी से गुजर जाये। यह कार्य पूर्ण हो चुका है।

(ख) प्राक्कलनों तथा व्यय के लिये औपचारिक अनुमोदन अभी जारी नहीं किया गया है।

(ग) 51,000 रुपये।

नजरबन्द लोगों की रिहाई के बारे में अभ्यावेदन

48. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न राजनतिक दलों के, जिनमें भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) भी शामिल हैं, नजरबन्द लोगों की रिहाई के बारे में प्रधान मंत्री को अथवा गृह-कार्य मंत्री को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है अथवा उनसे कोई प्रतिनिधिमंडल मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन अथवा प्रतिनिधि मण्डल किस तिथि अथवा तिथियों को मिले थे ;

(ग) किन व्यक्तियों ने अभ्यावेदन दिये थे अथवा प्रतिनिधि मंडलों में कौन लोग शामिल थे;

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

Suspects taking Photographs of Howrah Bridge

50. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two persons were taken into custody in Calcutta while taking photographs of Howrah bridge;

(b) if so, the identity of those persons; and

(c) the articles recovered from them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c). On 22nd June, 1965, two foreign tourists who were taking snaps of the Howrah Bridge were taken to the Golabari Police Station for examination. The films were seized by the police.

Model University Bill

51. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Central and State Governments have considered the outlines of Model University Bill prepared by the University Grants Commission;

(b) if so, the changes made or being made in various Universities; and

(c) the causes of delay in arriving at the conclusions ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). The report submitted by the Committee on 'Model Act for Universities' was sent to all the State Governments and Universities for suitable action and comments, if any. As 'Education' is a State Subject, it is for the State Governments to consider the recommendations made in the report and implement them.

So far as the Central Government is concerned, the recommendations of the Committee have been and will be taken into consideration while amending the Acts of the Central Universities.

लक्कादीव तथा मिनीकाय द्वीपसमूह में पुलिस दल

52. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कादीव और मिनिकाय द्वीप समूह में कुल कितनी पुलिस है;

(ख) द्वीप-समूह के निवासियों की जन-संख्या कितनी है;

(ग) पुलिस के प्रशिक्षण के लिए चुने जाने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम योग्यता क्या है ;

(घ) क्या उस द्वीप समूह में इस योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध थे ; और

(ङ) स्थानीय निवासियों को पुलिस में भर्ती न करने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) संघ राज्य क्षेत्र लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदिवि द्वीप समूह पुलिस की शक्ति इस प्रकार है :—

उप–अधीक्षक पुलिस	1
निरीक्षक पुलिस	1
उप–निरीक्षक पुलिस	6
मुख्य आरक्षक	18
आरक्षक	56

(ख) 24,108 (1961 की जनगणना के अनुसार) ।

(ग) पुलिस प्रशिक्षण के लिये सीधे भरती किये जाने वाले पुलिस कान्सटेबिलों के लिये से कम से कम योग्यता इस प्रकार हैं :—

शैक्षणिक : थर्ड फार्म या आठवीं कक्षा तक पढ़ा हो ।

ऊंचाई : 5 फुट 5 इंच

सीना : 32 इंच

(घ) इन योग्यताओं वाले कुछ ही लोग द्वीप समूह में उपलब्ध हैं ।

(ङ) अब तक अपेक्षित योग्यताओं वाले केवल सात निवासियों के पुलिस आरक्षक के रूप में सेवा करने की पेशकश की और उन्हें भरती कर लिया गया ।

लक्कादीव से चिकित्सा के लिये भारत आने वाले रोगी

53. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव से इलाज करवाने के लिए भारत आने वाले निर्धन रोगियों को प्रति व्यक्ति 2 रु० भत्ता दिया गया था;

(ख) क्या हाल ही में यह भत्ता घटा कर 1.50 रुपए कर दिया गया है;

(ग) भत्ता कम करने के क्या कारण है; और

(घ) क्या विशेष रूप से वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण रोगियों को होने वाली कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) खर्च हर साल बढ़ता जा रहा था । उसी को कम करने के ख्याल से यह कमी की गई है ।

(घ) इस बारे में रोगियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

सप्रू समिति का प्रतिवेदन

54. **श्री हेडा :**

श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **शिक्षा** मंत्री 18 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा के विषय को समवर्ती सूची में लाने के सम्बन्ध में सप्रू समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों से प्राप्त हुए उत्तरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अभी तक 10 राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हुये हैं। पंजाब के अलावा शेष सभी राज्य सरकारों ने समिति की सिफारिश का विरोध किया है।

(ख) शेष राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने पर ही आगे कार्यवाही की जायेगी ।

पेट्रो-केमिकल उद्योग-समूह

55. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तथा कोयाली आदि विभिन्न तेल-शोधन कारखानों के आसपास पैट्रो-केमिकल उद्योग समूह स्थापित करने के लिए प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित उद्योग-समूहों द्वारा उपयोग में लाये जानेके लिये प्रत्येक तेल-शोधन कारखाने से कौन कौन से तथा कितने कितने पैट्रोलियम उप-उत्पाद उपलब्ध होते हैं ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जून 1962 में एक दल ने, जिसके प्रधान एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ थे, देश में पेट्रो-केमिकल निर्माण की सम्भाव्यताओं का एक विस्तृत अध्ययन किया । 1963 के शुरू में सरकार को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में इस दल ने विभिन्न पैट्रो-केमिकल निर्माण योजनाओं की सिफारिश की, जिसमें उचित स्थानों, क्षमता और विभिन्न उद्योगों की प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम (phasing) शामिल है । तत्पश्चाद् एक योजना दल ने पैट्रो-केमिकलज़ से सम्बन्धित अप्रैल, 1964 की अपनी रिपोर्ट में पेट्रो-केमिकलज़ को तैयार करने के लिए के लिए विशेष योजनाओं की सिफारिश की, जिनको चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में लिया जा सकता है । इसके बाद घटित तबदीलियों को दृष्टि में रखते हुए नवम्बर, 1964 में एक कायकारी दल की स्थापनाकी गई, जिसे अन्य विषयों के अलावा विभिन्न पैट्रो-केमिकल इण्टरमीडियेटस (Various petro-chemical-intermediates) के उत्पादन के न्यूनतम एवं इच्छित लक्ष्यों का सुझाव देना तथा विशेष योजनाओं,

उनकी स्थिति एवं क्षमताओं की बाबत बताना था। जनवरी, 1965 में पेश की गई उनकी रिपोर्ट की सिफारिशें, चौथी पंचवर्षीय योजना काल में देश में पैट्रो-केमिकलज को तैयार करने की आगामी योजनाओं का आधार हैं। हाल की घटनाओं को दृष्टि में रखते हुये रक्षा आवश्यकताओं के कारण तमाम स्कीमों का पुनरीक्षण और योजना विनिधानों में कमी की दृष्टि से पैट्रो-केमिकल्ज़ के विकास की योजनाओं का पुनरीक्षण किया जा रहा है। कोयाली के इर्द गिर्द पैट्रो-केमिकल उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार और अमरीकन कम्पनियों के एक ग्रुप के बीच बात-चीत उन्नत स्तर पर है। बरौनी क्षत्र के लिए उद्यमकर्ता को एक आशय-पत्र दिया गया है।

(ख) शोधनशाला में, जो उत्पाद इस्तेमाल किये जायेंगे वे अधिकतर कई बायलिंग रेंजिज़ (boiling ranges) के नेफ्था-कटस (naphtha cuts) और शोधनशाला गैस में पाये जाने वाले कई फरैक्शनज़ (fractions) होंगे। यथा समय अन्य फरैक्शनज़ की भी जरूरत होगी। प्रत्येक अपेक्षित फरैक्शन की परिशुद्ध मात्रा भी ठीक चुनी गई प्रक्रिया पर निर्भर होगी।

मीनमबक्कम हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी

56. **श्री ब० बा० गांधी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक वृद्ध व्यक्ति को, जिस पर पाकिस्तानी जासूस होने का सन्देह था, हाल में मीनमबक्कम हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) पिछले चार महीनों में ऐसे कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर पाकिस्तानी जासूस होने का सन्देह था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 2–3 अक्टूबर, 1965 को मीनमबक्कम हवाई अड्डे के पास संदेहास्पद परिस्थितियों में घुमता पाया जाने की वजह से एक वृद्ध व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

(ख) नौ।

मध्य प्रदेश में विशेष क्षेत्रों का सर्वेक्षण

57. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बृजराज सिंह :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री वाडीवा :
श्री पाराशर :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री दाजी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसाधनों के समेकित विकास के लिये मध्य प्रदेश के विशेष क्षेत्रों के सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भिण्ड और मोरेना जिलों में सड़कों के निर्माण के बारे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) विस्थापितों को बसाने के उद्देश्य पुनर्वास मंत्रालय की एक तकनीकी टीम हाल ही में भिण्ड तथा मोरेना जिलों में चम्बल तंग घाटी क्षेत्रों में तंग घाटी क्षेत्रों के सुधार का त्वरित भावी मूल्यांकन करने के लिये गई थी। टीम ने यह बताया है कि इस क्षेत्र में विस्थापितों को बसाने की बहुत कम गुंजाइश है।

मध्य प्रदेश के अन्य पांच उत्तर-पूर्व, रेवा, सतना, सिद्धी, शाहदोल तथा सरगुजा जिलों में त्वरित विकास की उपयुक्तता निर्धारण करने के लिये सर्वेक्षण के बारे में कदम उठाये जा रहे हैं, यदि राज्य सरकार इन जिलों में कृषि पर विस्थापितों को बसाने के लिए भूमि देने के लिये तैयार है ।

(ख) चूंकि, भिंड तथा मोरेना जिलों में विस्थापितों के पुनर्वास की गुंजाईश कम है, इस लिये यह यह निर्णय किया गया है कि फिलहाल विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत इस क्षेत्र को न लिया जाये । इस लिये पुनर्वास मंत्रालय अपने कार्यकलापों के अंतर्गत इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कार्यक्रम के बारे में कोई वचन देने का विचार नहीं करता ।

आर्थिक पुंज 'इक्नामिक पूल'

58. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 8 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 504 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न प्रबन्धकीय पदों को भरने के लिए एक आर्थिक पुंज बनाने के बारे में कोई निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) इस पुंज के लिये लोगों को चुनने तथा उनकी भर्ती करने का क्या तरीका होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : केन्द्रीय आर्थिक पुंज के निर्माण से सम्बंधित विभिन्न पहलू अभी तक विचाराधीन हैं ।

जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा देय ऋण

59. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 1 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1215 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा देय ऋण को वसूल करने में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : इस बारे में और कोई प्रगति नहीं हुई है ।

अखिल भारतीय बन सेवा

60. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 1 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1214 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय बन सेवा के गठन के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : राज्य बन सेवा अधिकारियों की भारतीय बन सेवा के प्रारम्भिक गठन में नियुक्ति पर विशेष चयन बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है । इन अधिकारियों के विवरण अधिकतर राज्य सरकारों से प्राप्त हो चुके हैं और उनकी जांच की जा रही है । बाकी राज्य सरकारों को स्मरण-पत्र भेजा गया है कि वें शीघ्र ही ये विवरण भेज दें ।

बम्बई में जापानी लोगों के साथ कथित दुर्व्यवहार

61. **श्री काजरोलकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले महीने बंबई निवासी कुछ जापानी लोगों के साथ उन पर पाकिस्तान के चीनी जासूस होने के गलत संदेह के कारण दुर्व्यवहार किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको हुई हानि की पूर्ती कर दी गई है; और

(ग) भविष्य में एसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) : दो मामलों में जनता ने जापानी राष्ट्रिकों को घेर लिया और उन्हें गलती से चीनी जासूस समझकर थाने ले गये । उनकी शिनाख्त हो जाने पर उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई । उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची और न ही उनकी सम्पत्ति की हानि हुई ।

(ग) आवश्यक पूर्वोपाय किये गये हैं ।

आसाम में ब्रिटिश राष्ट्रजनों की गतिविधियां

62. श्री रा० बरुआ :

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री टें० सुब्रह्मण्यम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान विघटनकारी तथा आतंकित करने वाली भारत-विरोधी घटनाओं की ओर आकर्षित कराया है जिनमें आसाम में रहने वाले कुछ ब्रिटिश राष्ट्रजनों का हाथ पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) आसाम सरकार ने आसाम के चाय बागान में काम करने वाले कुछ ब्रिटिश राष्ट्रजनों की गतिविधियों का ब्यौरा लिखा था ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली में हवाई हमले के सूचक भोंपू (साइरन)

64. श्री दे० द० पुरी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हवाई हमले के सूचक भोंपू (साइरन) समस्त दिल्ली में सुनाई नहीं देते थे; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में हवाई हमले की चेतावनी देने की इस व्यवस्था को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली की सूचक पद्धति में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :-

(i) और अधिक भोंपू लगाये जा रहे हैं,

(ii) फैक्टरियों/उद्योगों में लगे हुये भोंपूओं को भी दिल्ली की मुख्य सूचक पद्धति के साथ सम्बद्ध कर लिया गया है ।

पंजाब में तमावरण (ब्लैक-आउट)

65. श्री दे० द० पुरी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध विराम के बाद भी केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों पर पंजाब में तमावरण (ब्लैक-आउट) जारी रखा गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इसके कारण राज्य में औद्योगिक उत्पादन को बहुत हानि हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख): पंजाब के कुछ नगरों में सावधानी के तौर पर तमावरण (ब्लैक-आउट) जारी रखना जरूरी समझा गया।

(ग) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया था कि वे तमावरण (ब्लैक-आऊट) की व्यवस्था इस प्रकार करें कि औद्योगिक उत्पादन पर उसका प्रभाव न पड़े।

Devanagari Script

66. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government effected some amendments in the Devanagari script on the recommendations made in the conference of Education Ministers held in August, 1957;

(b) if so, whether it is also a fact that the State Governments where Hindi is used were requested to use the amended script for all official purposes; and

(c) if so, the reaction of State Governments thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No comments have so far been received from any State Government.

दिल्ली में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था का व्यय

67. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था पर इस वर्ष (अब तक) कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : वास्तव में 10,42,028 रु० की राशि खर्च की गई है और 5,90,000 रु० की जिम्मेवारियां ली गई है।

अध्यापकों के वेतनक्रम

68. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **शिक्षा** मंत्री 18 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 86 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों के वेतनक्रमों को बढ़ाने तथा राज्य सरकारोंके परामर्श से वेतनक्रमों में समानता लाने की दिशा में क्या आग्रेतर कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : हाल ही में इस बारे में और कोई कार्यवाही नही की गई है और जिन राज्यों में अध्यापकों के वेतनक्रम बहुत कम थे वहां उन्हें बढ़ा दिया गया है और राज्य सरकारों द्वारा उन पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है। समूचे देश में अध्यापकों के वेतनक्रमों में एकरूपता लाने के लिये कोई कार्यवाही नही की जा रही है।

राज भाषा अधिनियम

69. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय श्री नेहरू के आश्वासनों के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने का उपबंध करने के लिये राज भाषा अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

हिन्दी में मध्य प्रदेश जिला गजेटीयर

70. **श्री वाडिया** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम, 1957 के अनुसार हिन्दी में मध्य प्रदेश जिला गजेटीयर का संकलन करने के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रार्थना की है, जिसके अनुसार भारत सरकार को उस प्रकाशन की 40 प्रतिशत लागत देनी होगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदन दे दिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

आसाम में प्रव्रजक

71. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1964 के पश्चात् आसाम से आये हुए उन विस्थापित व्यक्तियों की जिले वार संख्या क्या है जिन्हें अभी बसाया जाना है; और

(ख) उन को बसाने के लिये सरकार ने कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ करने का विचार किया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) आसाम में जिले-वार कैम्प आबादी के बारे में एक विवरण सभा पटलो पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 5025(i)/65 ।**]

(ख) एक विवरण, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से आये नये विस्थापितों को आसाम में बसाने के बारे में की गई प्रगति का ब्यौरा दिया गया है, सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या, एल०टी० 5025(ii)/65 ।**]

दिल्ली में आग बुझाने का प्रशिक्षण

72. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आग बुझाने, प्रथमोपचार तथा गृह-परिचर्या (होम नर्सिंग) के काम का प्रशिक्षण अब तक कितने व्यक्तियों को दिया गया है; और

(ख) प्रशिक्षण का भावी कार्यक्रम क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना०मिश्र) : (क) (i) अग्नि शमन, (ii) प्रथमोपचार, (iii) गृह-परिचर्या ।

(ख) 18 प्रशिक्षण केन्द्र संगठित किये गये हैं, जिनमें प्रति मास 400 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है । इस प्रशिक्षण में अग्नि शमन का प्राथमिक प्रशिक्षण शामिल है । इसके अतिरिक्त 30 प्रथमोपचार केन्द्र भी चल रहे हैं में जिनमें से प्रत्येक में 25 से 30 तक प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण पा सकते हैं ।

दिल्ली में मकान निर्माण समितियां

73. **श्री शिव चरण गुप्त : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की मकान निर्माण सहकारी समितियों के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक को दिल्ली प्रशासन ने कितनी कितनी भूमि आवंटित की है;

(ख) उन मकान निर्माण सहकारी समितियों के नाम क्या हैं जिनके नकशे (ले आउट प्लान) दिल्ली नगर निगम या दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा पास कर दिये हैं; और उन योजनाओं के अन्तर्गत कितने रिहायशी प्लाट शामिल है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा कुल कितने रिहायशी क्षेत्रों का विकास किया जा चुका है और प्रत्येक योजना के अन्तर्गत जनता को कितने प्लाट आवंटित किये गये हैं और 31 अक्तूबर, 1965 को आवंटन के लिये कितने प्लाट तैयार थे?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

गुजरात में गैस का मूल्य

74. **श्री जसवन्त मेहता : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 18 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 275 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में गैस के मूल्य के बारे में निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) और (ख) : मध्यस्थ ने अभी पंचाट नहीं दिया है ।

Communal Harmony

75. **Shri Hukum Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for permanently maintaining the atmosphere of political and communal harmony which has been created in the country consequent to Pakistani attack;

(b) if so, the full details thereof; and

(c) if not, the difficulties being faced by Government in maintaining the same ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) No, Sir. Measures necessary to maintain communal harmony and prevent out break of violence are under constant review and adequate instructions exist in the matter.

(b) & (c). Do not arise.

(दिनांक 25 अगस्त 1965 क अतारांकित प्रश्न संख्या 687 के उत्तर की शुद्धि)

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों के रूप में भूतपूर्व मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 687 के भाग (ख) के उत्तर में 'एक' के स्थान पर 'दो' रखा जाय ।

स्थगन-प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न)

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT (Queries)

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Mr. Speaker, Sir, I have given notice of an adjournment motion.

Mr. Speaker : I have disallowed that.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to say something about my adjournment motion.

Mr. Speaker : It is very difficult for me. I have received notices of seven adjournment motions. Only this much can be done that I read them one by one and give reasons for disallowing them. One member has given notices of six calling attention notices. A member should not give notices of more than two calling attention notices as I cannot accept more than one.

Shri Rameshwaranand : I have given very first notice during the last four years and that too has been disallowed.

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास एक नोटिस श्री ही० ना० मुकर्जी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री वारियर, श्री सरजू पाण्डेय, श्री इन्द्रजीत गुप्त से मिला है जिसका विषय है—प्रधान मंत्री द्वारा अमरीका यात्रा का निमंत्रण स्वीकार करना जब कि अमरीका की पाकिस्तान के साथ अमरीकी शस्त्र संधि चली आ रही है और अमरीका ने भारत में काश्मीर के विलय के बारे में गोलमोल वाली बात की है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : कृपया क्षमा करें। हम नाम सुनना नहीं चाहते। हमारी रुचि इसके विषय के बारे में है। कई सदस्यों ने इस प्रार्थना पर हस्ताक्षर किये हैं क्यों कि हम समझते हैं कि यह महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि प्रधान मंत्री ने विभिन्न सम्वाददाता सम्मेलनों में भिन्न बातें कही हैं जिससे पेचीदगी पैदा हो गई है और जनता के दिमाग में भ्रम पैदा हो गया है। लगता है कि केवल संसद् से ही बात छुपाई जाती है। आकाशवाणी और अन्य साधनों से समाचार प्रसारित हुआ है कि प्रधान मंत्री ने अमरीका यात्रा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। समाचार पत्रों में यह भी खबर छपी है कि कलकत्ता में उन्होंने सम्वाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा इस समय स्वास्थ्य लाभ करने के कारण और मैं अपने देश में संसद् के कार्य में व्यवस्त रहने के कारण कुछ समय बाद अमरीका जाउंगा लेकिन आज फिर समाचारपत्रों में छपा है कि उन्होंने यह कहा है कि अमरीका यात्रा के बारे में अन्य लोग बातें करते हैं और उनका उनको पता नहीं है। इससे पहले वह अमरीका जाने से इन्कार कर चुके हैं। इस समय अमरीका से भारत को बचन दिया गया सामान का भेजा जाना भी रोक दिया गया है। हमारे सम्मान को पहुंची ठेस को ध्यान में रखते हुए भी क्या प्रधान मंत्री इस संसद् को न बता कर सम्वाददाता सम्मेलनों में वक्तव्य देते रहेंगे।

Shri Rameshwaranand : At this critical moment when we are fighting with Pakistan and China, the Home Minister has created a sense of conflict among people by setting up a Punjabi Suba Committee. This matter should be discussed.

Shri Kishen Pattnaiyak (Sambalpur) : My adjournment motion is regarding famine conditions in Madhya Pradesh, Eastern U. P., Gujarat, Maharashtra and Rajasthan. Thousands of people have left these places. The rice is available at Rs. 3/- per Kg. and drinking water is not available. So I request you that this matter should be discussed in the House.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I have mentioned about the failure of Government to stop cease-fire violations by Pakistan army and seizure

of goods meant for India by Pakistan which was loaded in foreign ships. I have also mentioned about the failure of Government to check rise in prices and corruption.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnaur) : The Government of India have decided to pay a new instalment of 8 crores of rupees to Pakistan under Indus water treaty in consultation with the World Bank on the World Bank guarantee that Pakistan would not utilise this money on the purchase of arms for use against India. When we know that Ichhogil canal was constructed with Indian money and Pakistan seized our goods worth crores of rupees, even then does the Government of India expect from Pakistan, which does not attach any importance to international laws and which used arms received from U.S. to fight China, against us, that she would not utilise this money against us. I hope that this matter should be discussed in this House.

Mr. Speaker : This is a calling attention notice and not an adjournment motion.

अध्यक्ष महोदय : यदि इस तरह से चलता रहा तो हम सभा का कार्य नहीं चला पाएंगे। स्थगन प्रस्ताव की सूचना तभी दी जाती है जब कोई मामला बहुत महत्वपूर्ण हो और माननीय सदस्य ऐसा समझें कि जब तक उस मामले पर विचार न कर लिया जाये और जब तक सरकार कोई संतोषजनक उत्तर न दे पाये तो किसी भी सरकारी कार्य पर विचार नहीं हो सकता। स्थगन प्रस्ताव की सूचना तभी दी जाती है जब इसकी इतनी अत्यावश्यकता हो कि यदि इस पर फौरन विचार न किया गया तो देश के हितों को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जायगा। यहाँ पर अधिकांश स्थगन प्रस्ताव जानकारी प्राप्त करने के लिये होते हैं। वे आवश्यक जरूर होते हैं लेकिन उनकी सूचना प्रश्नों के रूप में दी जा सकती है। इस पर अल्प सूचना प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन स्थगन प्रस्तावों में से किसी पर भी फौरन विचार किये जाने का कोई कारण नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : यदि आप यह पता लगाये कि वास्तव में कितने अल्पसूचना प्रश्न इन्कार किये जाते हैं और कितने मंजूर किये जाते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे पता चलेगा कि कोई अल्प सूचना प्रश्न बड़ा आवश्यक है और उसका उत्तर दिया जाना चाहिये और मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे रहे है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इसको जैसा भी संभव हो सके अगली तिथि में पहला प्रश्न रखा जाये। मैं इतना ही कर सकता हूं।

प्रधान मंत्री जी कई मामलों पर दो या तीन दिन में एक वक्तव्य देंगे।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : शुक्रवार, 5 नवम्बर को।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या इसका यह मतलब है कि जो प्रक्रिया आज अपनायी गयी है वह भविष्य में नहीं अपनायी जायेगी ?

श्रीमती रेण चक्रवर्ती (बैरकपुर) : यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। पहले जब स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी जाती थी तो अध्यक्षपीठ उसकी सूचना देने वाले सदस्य से यह बताने को कहते थे कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय कैसे है। वास्तव में हमने वह प्रथा समाप्त कर दी है। श्री कामत को पता होना चाहिये कि यह कोई नई प्रक्रिया है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने तो यह पूछा था कि "क्या आज जो कुछ हुआ है ऐसा भविष्य में नहीं होगा" ।

Mr. Speaker : I have admitted three calling attention notices. They will be taken up after consulting that.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : On a point of order, Sir, any business relating to Parliament should be first known to the Speaker and the House but it has been reversed. The All India Radio broadcasted and it appeared also in newspapers that Prime Minister will give a statement on Friday but the Speaker has come to know about this only today.

Mr. Speaker : There is nothing strange in it.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : इन स्थगन प्रस्तावों में कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं। सरकार ने भी संभवत: सूखा की स्थिति और अन्य मामलों पर वक्तव्य देने का इरादा किया है। क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि सभा को उन विषयों के बारे में बता दिया जाये जिन पर वक्तव्य दिया जाने वाला है ताकि वह कठिनाई उत्पन्न न हो सके। जब वक्तव्य के विषय का पता लग जाये तो हम पुन: आश्वासित हो जायेंगे और प्रतिपक्षी सदस्य उत्तेजित नहीं होंगे। अत: मेरा सुझाव है कि यह प्रक्रिया अपनाई जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं एक स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता तो इसका यह मतलब नहीं कि उसी प्रश्न को किसी और रूप में नहीं उठाया जा सकता। कई तरह से चर्चा उठायी जा सकती है और यदि उनकी सूचना प्राप्त हो और वे प्रश्न महत्वपूर्ण हों तो मैं उन पर चर्चा की अनुमति दे सकता हूं। मैंने केवल यह निर्णय किया है उन्हें स्थगन प्रस्ताव के रूप में अनुमति न दी जाय। ऐसा नहीं कि उन पर चर्चा ही नहीं हो सकेगी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं तो केवल प्रक्रिया को सुदृढ करना चाहता था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैंने एक ध्यानाकर्षण सूचना की सूचना दी है। आपने अभी बताया कि कुछ ध्यानाकर्षण सूचनाएं विचाराधीन हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि मैंने तीन ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं स्वीकार की हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : हमें बताया गया है कि प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रिगण कुछ वक्तव्य देंगे। समाचारपत्रों से पता चलता है कि पी० एल० 480 पर एक दीर्घकालीन समझौता होने वाला है। क्यों कि सारी सभा को पता है कि वह हर गोली, जिससे हमारे जवान शहीद हुए, अमरीका की दी हुई थी। क्योंकि इस पर हम सभी क्षुब्ध हैं सरकार को हमें विश्वास में लेना चाहिए और समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व सारे मामलों पर चर्चा करनी चाहिये। संसद के परामर्श के बिना कोई निर्णय न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

Shri Kishen Pattnayak : Mr. Speaker, Sir, whether the criterion as prescribed for adjournment motion does not apply on the famine conditions ?

Mr. Speaker : No.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल के राज्यपाल के प्रतिवेदन का सारांश

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं संघीय गृह मंत्रालय को दिये गये केरल के राज्यपाल के दिनांक 17 अक्तूबर, 1965 के प्रतिवेदन का सारांश सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4990/65।]**

रेलवे (सशस्त्र सेना के व्यक्तियों का नियोजन) अध्यादेश, 1965 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला विवरण

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(2) के अन्तर्गत रेलवे (सशस्त्र सेना के व्यक्तियों का नियोजन) अध्यादेश, 1965 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4991/65।]**

वित्तीय अभिकरणों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 599 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (1) मैं वित्तीय अभिकरणों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 599 पर श्री श्रीनारायण दास द्वारा पूछे गये कतिपय अनुपूरक प्रश्नों के 14 सितम्बर, 1965 को दिये गये उत्तरों में शुद्धि करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4992/65।]**

(2) राष्टपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल वन अधिनियम, 1961 की धारा 77 के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 265/64 की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखेंगे जो दिनांक 1 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केरल पहाड़ी लोगों सम्बन्धी नियम, 1964 दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4839/65।]**

अनुच्छेद 123 (2)(क) के अन्तर्गत अध्यादेश

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : मैं, श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) रेलवे (सशस्त्र सेना के व्यक्तियों का नियोजन) अध्यादेश, 1965 (1965 का संख्या 4) जो राष्ट्रपति द्वारा 29 सितम्बर, 1965 को प्रख्यापित किया गया था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4993/65।]**

(दो) करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) अध्यादेश, 1965 (1965 का संख्या 5) जो राष्ट्रपति द्वारा 19 अक्तूबर, 1965 को प्रख्यापित किया गया था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4994/65।]**

[श्री भगवती]

(तीन) भारत का धातु निगम (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, 1965 (1965 का संख्या 6) जो राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्तूबर, 1965 को प्रख्यापित किया गया था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4995/65।]**

(2) भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार यंत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 18 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1364 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5023/65।]**

व्यापारिक नौपरिवहन संशोधन विनियम और केरल राज्य के बारे में अधिसूचनाएं

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : मैं—

(1) व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत व्यापारिक नौपरिवहन (समुद्र में टक्करों की रोक-थाम) संशोधन विनियम, 1965 की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 21 अगस्त, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1169 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4840/65।]**

(2) निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(एक) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 68/65 की एक प्रति जो दिनांक 23 फरवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मोटर गाड़ी (राज्य परिवहन उपक्रम) नियम, 1960 में एक संशोधन किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4998/65।]**

(दो) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा केरल मोटर गाड़ी नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये :—

(क) एस० आर० ओ० संख्या 281/65 जो दिनांक 13 जुलाई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ख) एस० आर० ओ० संख्या 285/65 जो दिनांक 20 जुलाई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ग) एस० आर० ओ० संख्या 335/65 जो दिनांक 24 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(घ) एस० आर० ओ० संख्या 338/65 जो दिनांक 31 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ङ) एस० आर० ओ० संख्या 341/65 जो दिनांक 31 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4998/65।]

(तीन) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (चौथा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति जो दिनांक 8

अक्तूबर 1964 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 20(2)/63-पी आर (टी) में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4999/65।]**

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 आदि के अन्तर्गत नियम

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं श्री हाथी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) दूसरा (संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 21 अगस्त, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1175 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं निवृत्ति-लाभ) पांचवां (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 21 अगस्त, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1176 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं निवृत्ति-लाभ) छठा संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 11 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1306 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5016/65।]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० (पी) 565 की एक प्रति जो दिनांक 17 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, 1957 में कतिपय संशोधन किये गये, तथा उस पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4971/65।]**

(3) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1303 जो दिनांक 11 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिस के द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5017/65।]**

(दो) भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 18 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1365 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5017/65।]**

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 18 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1366 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5018/65।]**

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 9 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1474 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5019/65।]**

[श्री ल० ना० मिश्र]

(पांच) अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1475 जो दिनांक 9 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5016/65 ।]**

(4) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेष सुविधायें) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1395 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5001/65 ।]**

(दो) शस्त्रास्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत शस्त्रास्त्र (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1418 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5002/65 ।]**

(तीन) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल वंशागत ग्राम पद (उन्मूलन) अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत एस० आर० ओ० संख्या 98/64, दिनांक 1 अप्रैल, 1964, जिसके द्वारा केरल वंशागत ग्राम पद (उन्मूलन) नियम, 1961 में एक संशोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 5003/65।]**

(5) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल मद्य निषेध अधिनियम, 1950 की धारा 62 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 258/65 जो दिनांक 22 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिस के द्वारा औषधीय तथा शृंगार की तैयार वस्तुओं जिनमें मद्यसारिक तथा नशीली औषध रखने वाले आसव तथा आरिष्ट सम्मिलित हैं, के दुरुपयोग के निवारण और उनके आयात, निर्यात तथा परिवहन सम्बन्धी नियमों में कतिपय संशोधन किये गये ।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 278/65 जो दिनांक 13 जुलाई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 300/65 जो दिनांक 27 जुलाई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिस के द्वारा औषधीय तथा शृंगार की तैयार वस्तुओं, जिनमें मद्यसारिक तथा नशीली औषध रखने वाले आसव तथा आरिष्ट सम्मिलित हैं, के दुरुपयोग के निवारण और उनके आयात,निर्यात तथा परिवहन सम्बन्धी नियमों में एक संशोधन किया गया ।

(चार) एस० आर० ओ० संख्या 313/65 जो दिनांक 10 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल के स्पिरिट वाले पाकशाला वातित जल और दूसरे सुगन्धि देने वाले सत, अर्क, सुगन्धी और रंग देना नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(पांच) एस० आर० ओ० संख्या 330/65 जो दिनांक 24 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(छः) एस० आर० ओ० संख्या 331/65 जो दिनांक 24 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5004/65।**]

जीवन बीमा निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पदों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों का सारांश

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1223 की एक प्रति जो दिनांक 28 अगस्त, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिस में जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, 1965 का शुद्धि-पत्र दिया गया है जो दिनांक 31 जुलाई, 1965 के भारत के राजपत्र में जी० एस० आर० 1094 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4793/65।**]

(2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पदों सम्बन्धी समिति की सरकार द्वारा अनुमोदित सिफारिशों का सारांश। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5005/65।**]

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति, भारतीय लाख उप-कर समिति तथा भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : श्रीमान्, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) वर्ष 1963-64 के लिए भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे और उन पर परीक्षा प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5006/65।**]

(दो) वर्ष 1963-64 के लिये भारतीय लाख उप-कर समिति का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे और उन पर परीक्षा प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5007/65।**]

(तीन) वर्ष 1963-64 के लिये भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे और उन पर परीक्षा प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5008/65।**]

केरल बाट तथा माप निगम के सम्बन्ध में अधिसूचना तथा कृत्रिम रेशमी कपड़ा नियंत्रण आदेश

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : श्रीमान्, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

1. राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1958 की धारा 43 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 12563/64/एम 1/आर० डी० की एक प्रति जो दिनांक 19 मई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, 1958 में एक संशोधन किया गया। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4877/65।**]

2. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत कृत्रिम रेशमी कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण आदेश, 1962 की एक प्रति जो दिनांक 18 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2883 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5020/65।**]

केरल पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री सें० वें० रामस्वामी : श्रीमान् मैं श्री ब० सू० मूर्ति की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केरल पंचायत (पंचायतों द्वारा सदस्यों का निर्वाचन) नियम, 1963 जो दिनांक 19 नवम्बर, 1963 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 752/63 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 239/65 जो दिनांक 8 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिस के द्वारा केरल पंचायत (पंचायत निधि से यात्रा खर्चों का भुगतान) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 244/65 जो दिनांक 8 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिस के द्वारा केरल पंचायत (खतरनाक तथा घृणित व्यवसायों तथा कारखानों को लाइसेंस देना) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(चार) केरल पंचायत (सभापतियों, उप-सभापतियों तथा सदस्यों द्वारा त्यागपत्र) नियम, 1965 जो दिनांक 8 जून, 1965 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 245/65 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) केरल पंचायत (सार्वजनिक सड़कों के ऊपर अथवा उन में रुकावट डालने का निषेध) नियम, 1965 जो दिनांक 6 जुलाई, 1965 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 276/65 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) केरल पंचायत (सम्पत्ति के हस्तन्तारण पर कर) नियम, 1965 जो दिनांक 17 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 318/65 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) एस० आर० ओ० संख्या 339/65 जो दिनांक 31 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशति हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (व्यय का प्राधिकरण) नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5009/65 ।]

परिसीमन आयोग के अन्तर्गत आदेश

विधि मंत्रालय तथा सामाजिक सुरक्षा विभागमें राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस): श्रीमान्, श्री जगन्नाथ राव की ओर से मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 12 जिस के द्वारा उड़ीसा राज्य में संसद् तथा विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्धारण किया गया और जो दिनांक 16 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2916 में प्रकाशति हुआ था ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5010/65 ।]

(दो) परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 9 जिस के द्वारा मद्रास राज्य में संसद् तथा विधान-सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया और जो दिनांक 16 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2917 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5011/65।]**

(तीन) परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 1-क जिस के द्वारा उसके दिनांक 20 मार्च, 1963 के आदेश संख्या 1 में संशोधन किया गया जो दिनांक 18 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2918 में प्रकाशित हुआ तथा जिसमें दिनांक 7 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3157 द्वारा शुद्धि की गई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5012/65।]**

(चार) परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 2-क जिस के द्वारा उसके दिनांक 24 अगस्त, 1963 के आदेश संख्या 2 में संशोधन किया गया और जो दिनांक 18 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2919 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5013/65।]**

रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम संशोधन नियम

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० द०स० राजू) : मैं रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 की धारा 34 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 18 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 314 में प्रकाशित हुए थे सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5014/65।]**

भारतीय बेतार तार-प्रणाली नियम आदि

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : म निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय बेतार तार-प्रणाली अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत भारतीय बेतार तार-प्रणाली (कब्जा) नियम, 1965 जो दिनांक 11 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1318 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय तार यन्त्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत बेतार-संग्रही यन्त्रों के लिए लाइसेंस देना नियम, 1965 जो दिनांक 11 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1319 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय तार यन्त्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) तथा भारतीय बेतार-तार-प्रणाली अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत वाणिज्यक प्रसार-संग्रही लाइसेंस देना (विक्रेता) नियम, 1965 जो दिनांक 11 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1320 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5015/65।]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT S' ASSENT TO BILLS

सचिव : श्रीमान्, मैं गत अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये निम्नलिखित आठ विधेयक, जिन पर 24 सितम्बर, 1965 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1965
(2) केरल विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1965
(3) केरल विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1965
(4) विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1965
(5) विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1965
(6) विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1965
(7) विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1965
(8) गोवा, दमण और दीव [(सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम (आरबीट्रेशन) अधिनियम का विस्तारण)] विधेयक, 1965

(दो) मैं गत अधिवेशन में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये निम्नलिखित छः विधेयकों की, जिन पर, 24 सितम्बर, 1965 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात्, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रतियां भी सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965
(2) अधिलाभांश की अदायगी विधेयक, 1965
(3) बैंकिंग विधियां (सहकारी समितियों पर लागू करना) विधेयक, 1965
(4) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1965
(5) बीमा (संशोधन) विधेयक, 1965
(6) जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 1965

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस सम्बन्ध में मैं आपको याद दिला दूं कि आपने गत अधिवेशन में यह आश्वासन दिया था की राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्तियों की जांच की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को नियम सम्बन्धी समिति को सौंप रहा हूं ताकि मैं उसकी सिफारिशें प्राप्त कर सकूं ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री अ० ना० विद्यालंकार (हुशियारपुर) : श्रीमान्, मैं दिल्ली में एक विश्वविद्यालय को स्थापित तथा निगमित करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(दो) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री अ० ना० विद्यालंकार : श्रीमान्, मैं दिल्ली में एक विश्वविद्यालय को स्थापित तथा निगमित करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबन्ध विधेयक)

TAXATION LAWS (AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम 1961, सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953, धनकर अधिनियम 1957, दानकर अधिनियम 1958, में अग्रेतर संशोधन करने वाले तथा राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बाँड, 1980 में विनियोजित अप्रकट आय के कतिपय मामलों में कर से छूट देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि आयकर अधिनियम 1961, सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953, धनकर अधिनियम 1957, दानकर अधिनियम 1958, में अग्रेतर संशोधन करने वाले तथा राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बाँड, 1980 में विनियोजित अप्रकट आय के कतिपय मामलों में कर से छूट देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) अध्यादेश, 1965 के बारे में विवरण

STATEMENT RE : TAXATION LAWS (AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ORDINANCE, 1965

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) अध्यादेश, 1965 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बतानेवाला व्याख्यात्मक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4994/65।]**

प्रेस काउन्सिल विधेयक

PRESS COUNCIL BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम, श्री चे० रा० पट्टाभिरामन द्वारा 23 सितम्बर, 1965 को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर और आगे विचार करेंगे :—

"कि प्रेस-स्वातन्त्र्य के परिरक्षण और भारत में समाचार पत्रों के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने के प्रयोजनार्थ एक प्रेस काउन्सिल की स्थापना करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रुप में, विचार किया जाय ।"

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : इस विधेयक में एक उपबन्ध है जिसमें अन्तर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को कुछ व्यक्ति परिषद् में मनोनीत करने होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का संवैधानिक पद है । इस प्रकार न्यायिक पद के व्यक्ति को उस प्रकार गैर-न्यायिक दायित्व डालना ठीक नहीं कहा जा सकता। क्या इसके लिए मुख्य न्यायाधिश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। यह कहा तक उचित है यह सोचने वाली बात है। औचित्य का यह प्रश्न बड़ा महत्व-पूर्ण है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इससे न्यायपालिक की स्वतन्त्रता प्रभावित नहीं होती। मेरा निवेदन यह है कि इस मामले पर भारत के महान्यायवादी का मत जान लेना चाहिए।

श्री नारायण दांडेकर (गौंडा) : डा० सिंघवी को सुनने उपरान्त मेरा भी यही मत है कि यह उचित बात नहीं है ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मेरे विचार में उस में कोई आपत्ति नहीं है। अन्य देशों में ऐसे उदाहरण है। वैसे भी ऐसा पत्रकारों की इच्छा के अनुसार ही किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने भी इस के लिए अपनी अनुमति दे दी है। वैसे भी मुख्य न्यायाधीश कई एक समितियों पर है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मेरे विचार में मंत्री महोदय ने इस मामले पर बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया है। उन्होंने तुरन्त ही इस बारे में निर्णय कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश के मानने अथवा न मानने का यहां प्रश्न ही नहीं है मामलें के औचित्य पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत (हौशंगाबाद) : सभा इस विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मामले का औचित्य कुछ भी हो अन्तिम निर्णय तो सभा को ही करना है । जो कुछ किया जाना चाहिये उसका प्रस्ताव किया जाना चाहिये।

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : This is very unfortunate that people in this country try to earn by exploiting the journalists. I oppose this mentality very strongly. This monopolistic tendencies of running chain newspapers is very deplorable. This council will be able to curb that mentality. This matter has also come before the house whether it is constitutional to authorise Chief Justice of the Supreme Court to nominate the Chairman and the members of this council. I congratulate the Chief Justice that he has accepted this responsibility according to the wishes of this House. I think everybody should give his best cooperation in this direction.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

In addition to his duties the Chief Justice of India accepted this responsibility. This is a step towards the help of democracy. I don't go very deep in the matter of Constitutional propriety. It is upto any person to accept any function in addition to his duties. Moreover this duty will not disturb him much. He has only to select some names out of the panels, which will be submitted to him by the different organizations of the working journalists.

Today nobody can claim to be specialist, everybody today is carrying on, on the basis of common sense. He is expected to know what is in the best interest of the country and the journalists. Even if we take another side, we are setting up, a semi-judicial body, and if man of Chief Justice's eminence is made to accept this responsibility, it is not at all improper.

Shri Raghunath Singh wants more representation of the parliament in this council. I think three members are sufficient to represent us. We don't intend

to up any pressure on the Council. We want the independent development of the Council and it should keep before it the point of view of journalists and not the parliament. Those persons should be taken on the Council, who could work independent of party consideration and take decision which are in the best interest of the nation or the country. Council should be given the powers to punish any Editor for the antinational policies of any paper. You will have to place a check on the expression of tendencies which are ultimately harmful in the best interests of the country.

श्री अल्वारेस (पंजिम) : मुझे इस बात पर विरोध प्रकट करना है कि सरकार ने संयुक्त समिति के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। मुझे इस पर खेद है कि मैं यह बात संयुक्त समिति के सर्व सम्मत निर्णयों के बाद कह रहा हूं। सरकार को यह शोभा नहीं देता कि संयुक्त समिति की सिफारिशें आ जाने के पश्चात उसके कुछ संशोधन करे। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि उद्देश्य यह है कि संयुक्त समिति के कार्य को निष्फल बना दिया जाय। यदि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई और संयुक्त समिति की अवहेलना की गयी तो यह बहुत बुरी परिपाटी होगी। मेरा मत यह है कि जो संशोधन संयुक्त समिति ने किये है वे प्रेस की स्वतन्त्रता के पक्ष में ही है। वे उन उद्देशों के अनुरूप ही है जिसके लिए कि यह विधेयक लाया जा रहा है। परन्तु सरकार के व्यवहार ने सारी स्थिति ही बदल दी है।

इस दिशा में मेरा मत यह है कि यह समिति महसूस करती है कि विदेशी सरकारें हमारें अखबारों पर अपना दबाव डाल सकती है। इसलिए यह प्रैस परिषद् का यह उत्तरदायित्व होना चाहिये कि वह विदेशों से प्राप्त होने वाली ऐसी सहायता के बारे में पुनः अवलोकन करे। परन्तु सरकार जिस आधार पर सजा देने की व्यवस्था करने जा रही है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता। प्रेस की स्वतन्त्रता को जिस प्रकार से आघात पहुंचाया जा रहा है, वह बहुत ही शोचनीय है। कई ढंग अपनाये जा रहे हैं। सरकार द्वारा हस्तक्षेप भी एक ढंग है जिससे इस स्वतंत्रता को आघात पहुंचे। इसलिये तो संयुक्त समिति ने यह व्यवस्था करना उचित समझा है कि प्रेस परिषद द्वारा कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप की जांच कर सकती है। इस खंड को हटाने का मतलब साफ है कि प्रेस की स्वतन्त्रता को छीना जा रहा है।

खंड 4(3)(ग) और 14(दो) (क), (ख) और (ग) जिसके अनुसार जिस ढंग से दस्तावेजों को पेश किया जाना है, वह प्रेस की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के अत्यन्त विरूद्ध है। मेरा मत यह है कि ऐसी स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं है। इसके लिए जानकारी के पगों को प्रकट करने के लिए परिरक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार ने जिस प्रकार विभिन्न संशोधन किये है, मेरा कहना यह है कि उसे देखते हुए विधेयक का समर्थन नहीं किया जाना चाहिये।

यदि संयुक्त समिति समझती है कि प्रेस की स्वतंत्रता की सरकारी हस्तक्षेप से रक्षा की जानी चाहिये तो उसी समय मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर सकते थे। मुझे तो इसे हटाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। प्रेस को किसी ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि प्रेस काउंसिल सरकार की निन्दा करेगी। इस स्वस्थ परम्परा को वापिस लेने का मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता और ऐसा करने से प्रेस की स्वतंत्रता छिन जाएगी।

प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ यह था कि समाचार का स्त्रोत और इस से सम्बन्ध जानकारी देने का अधिकार सरकार को नही है। यदि अब भी इसका यही अर्थ है तो मुझे भय है कि खंड 14(दो) (क) (ख) और और (ग), जिसका प्रयोजन किसी पत्र को पेश करना है तो यह प्रेस की स्वतंत्रता की धारणा के प्रतिकूल है विशेषकर खंड (14) दो का (ख) भाग। आशा हैं मंत्री महोदय उत्तर देते समय इस स्वतंत्रता को बनाये रखने का आश्वासन देंगे। खेद है संयुक्त

[श्री अल्वारेस]

समिति द्वारा भेजे गये विधेयक में सरकार ने दो संशोधन करके इसे बिगाड़ दिया है और इसलिये मैं इसका विरोध कर रहा हूं यद्यपि मैं संयुक्त समिति का सदस्य था।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु मुझे संदेह है कि यह परिषद् इतना महान कार्य कर सकेगी और इसके लिए इतना अधिक धन अथवा कर्मचारी दिये जाएंगे क्योंकि एक प्रकार से यह योजना आयोग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् सतर्कता आयोग और गृह मंत्रालय के एक विभाग जितनी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। पत्र कारों की शिक्षा आदि के संबंध में यह कई विश्वविद्यालयों का कार्य भी करेगी।

जहां प्रेस की स्वतंत्रता अति आवश्यक है वहां इसका अनुचित उपयोग बन्द होना चाहिये। मैं देखता हूं कि आज हमारे देश में सनसनी फैलाने वाले पत्रों की भरमार होती जा रही है जो मनघढ़त, उत्तेजनात्मक और निराधार समाचार छापते रहते हैं। हमारे एक राज्य में छपने वाले एक समाचार पत्र में तो यहां तक छपा था कि वर्तमान युद्ध दो धर्मों के बीच है और तीसरे धर्म को मानने वालों का इससे कोई संबंध नहीं है। यह ठीक है कि प्रेस स्वतंत्र होना चाहिये परन्तु स्वतंत्रता के इस अनुचित उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने की भी बड़ी आवश्यकता है। मंत्री महोदय कहेंगे कि इस प्रकार के साहित्य के बारे में कार्यवाही करना गृह मंत्रालय का काम है। परन्तु मैं चाहता हूं कि यह काम सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को ले लेना चाहिये और प्रेस की दशा में सुधार लाना चाहिये और इसके सब दोष दूर करने चाहिये। आज जो वासनायुक्त संसनी फैलाने वाले, अपमानजनक, देश विरोधी और राष्ट्र का अहित चाहने वाले झूठे लेखों, समाचारों आदि की भरमार है यह जो विदेशी पत्रकारों की खतरनाक और बिना रोकटोक की गतिविधियां हैं उन्हें किस प्रकार रोका जाएगा? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? मेरे विचार से प्रेस परिषद् को न केवल भारतीय समाचार पत्रों परन्तु उन विदेशी संवाददाताओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर सकने का अधिकार दिया जाना चाहिये जिन्होंने भारत में रह कर ही हमारा नाम, हमारे सुरक्षा प्रयासों हमारी सेनाओं को बदनाम किया है और फिर भी वे भारत विरोधी न होने की घोषणा करते रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि भारत में समाचार पत्रों के स्तरों में सुधार होना चाहिये यद्यपि कई समाचारपत्र बहुत ही अच्छे स्तर के हैं। परन्तु यह सुधार तभी संभव है जबकि पहले श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य की शर्तों में सुधार होगा। मंत्री महोदय यदि कहें कि यह श्रम मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में है तो फिर प्रेस परिषद् का क्या लाभ है इस विधेयक का क्या लाभ जबकि इसका दाहिना अंग गृह मंत्रालय ने बांध रखा है और बायां अंग श्रम मंत्रालय ने, इसकी पीठ विदेशी संवाददाता खींच रहे हैं और आगे से वे लोग खींच रहे हैं जो एकाधिकारी कहलाते हैं। कुछ सदस्यों ने संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों में संशोधन किये जाने की आलोचना की है परन्तु यह तो सभा का अधिकार ही है।

जो विषय पत्रकारों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है सामान्य रुपसे उन सब का ज्ञान तो उन्हें होता ही है इसलिये मेरे विचार से इस सब का कोई लाभ नहीं होगा। हां प्रतिरक्षा संबंधी मामलों के ज्ञान का अभाव मैं ने पाया है।

इस परिषद् में सभी सदस्यों को नामनिर्देशन करके रखा जाना अच्छी बात नहीं है। इस परिषद् को केवल निन्दा करने के अधिकार देने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी नौकरशाही में इसका कोई महत्व नहीं रह गया। इसे और अधिकार देना होगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : In India the news coverage of P.T.I. is 50 to 70 per cent and perhaps there is no other organisation in the world which surpasses it in denying freedom of the press and truth, therefore unless the P.T.I. is not overhauled completely the freedom of Press will remain

a farce. This freedom faces constant danger from three directions *viz.*, their owners who are simultaneously industrialists also and who in turn constitute the Board of Directors of P.T.I. Then there are Members of the Cabinet and last but not the least the persons working in P.T.I.

P.T.I. is an expert agency in suppressing, concocting and disfiguring facts. It plays into the hands of these enemies of truth, boldness and uprightness. Full speeches critising Government or any Minister would be totally ignored and speeches of only five minutes duration will get substantial coverage. Any one can understand that such favours do not go unobliged. The result is that the family of the Finance Minister is busy in foreign exchange smuggling and even medicines for children are being adulterated with the motive of profit. The way how my comments in my press conference in Mississippi were twisted and how ideas not expressed were put into my mouth is really deplorable and deserves severest condemnation. While I said there that now I am engaged in fighting injustice and will say something only after I have dealt with it, but here I was quoted to have said that I could speak about our leader the late (Shri Nehru) only upto 1946 and I have nothing to say about him after that period. I appear to be their special target, presumably because I am anti English and because I do not want them to be so handsomely paid for I want even the President of India not to be paid more than Rs. 1,000 per month, and because I am against Birla, Tata and Mukerjee who squander undesirable favours on the officers of the P.T.I.

Also, P.T.I. is both a purchasing as well selling agency of news and such a state of affairs is naturally very ridiculous. Then no news is passed for publication unless it bears 'P' *i.e.* 'Passed' on it. This is virtual censorship of news. An English M.P. ascribed the fall of France to Censorship of the press. Therefore this Censorship of P.T.I. should go. P.T.I., in my opinion should also go.

श्री मुथिया (तिरुनेलवली) : वास्तव में इस विधेयक की काफी समय पहले से ही आवश्यकता थी और प्रेस आयोग ने इसकी सिफारिश 1954 में ही की थी। इस विधेयक में समाचार-पत्रों और अन्य पत्र-पत्रिकाओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों को नियंत्रित करने की व्यवस्था है जिससे वे उचित और सुचारु रूप से कार्य कर सकेंगे। जहां प्रेस की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिये अति आवश्यक है जो लोकतंत्र का जीवन है वहां इस स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग इसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। खेद है कि हमारे देश में अंग्रेजी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में कई समाचार-पत्र आदि प्रकाशित होते हैं जो नौजवानों में अनैतिकता और धार्मिक तथा साम्प्रदायक और जातिवाद को प्रोत्साहन देते हैं। यह प्रवृत्तियां देश के लिये बहुत हानिकारक है अतः सरकार को इन्हें दबाने के लिये हर संभव कार्यवाही करनी चाहिये मुझे हर्ष है कि यह विधेयक इसी कार्यवाही की ओर एक अच्छा प्रयत्न है।

प्रेस परिषद को सम्पादकीय स्वतंत्रता, समाचारों के प्रकाशन में वस्तुनिष्ठ टिप्पणियां देने का औचित्य और प्रेस के आचरण के नियमन को ध्यान में रख कर आपत्तिजनक लेखों और अन्य ऐसे अपराधों पर नियंत्रण रखना चाहिये जो कानूनी तौर पर दण्डनीय नहीं है। इस परिषद को एक आचार संहिता भी प्रेस पर लागू करनी चाहिये ताकि इस व्यवसाय के सम्मान में वृद्धि हो और जो इस संहिता का उल्लंघन करें उनकी निन्दा करे। इसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि पत्र-पत्रिकायें अपना स्तर ऊंचा बनाये रखे और नागरिकों में उनके अधिकारों और कर्तव्य को समझने की भावना जगायें। इसे किसी समाचार-पत्र एवं समाचार एजेंसी को विदेशी स्त्रोंतो से मिली सहायता का पुनरीक्षण करना चाहिये और अन्तमें समाचार-पत्रों के स्वामिस्व के केन्द्रीकरण अथवा एकाधिकार की प्रवृतियों का भी अध्ययन करना चाहिये और इसके निवारण के उपाय सुझाने चाहिये।

[श्री मुथिया]

संयुक्त समिति ने वैज्ञानिकों को प्रेस परिषद् में प्रतिनिधित्व देने संबंधी महत्वपूर्ण सिफारिश की हैं। खण्ड (4) के उपखण्ड (4) के संशोधन में समाचार-पत्रों के समूह के, इस परिषद् में, एक ही प्रतिनिधि रखने का सुझाव है इस के बाद इनका परिषद् पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़ेगा। खण्ड 12 में प्रस्तावित संशोधन से उन समाचार-पत्रों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा जो राष्ट्रविरोधी है और जिनकी निष्ठा यहां के अतिरिक्त कहीं अन्य भी है।

खण्ड 13 के उपबन्धों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि प्रेस परिषद् के निर्णयों को अपीलीय बनाया जा सके। इस परिषद के सभापति का चुनाव करते समय मुख्य न्यायाधीश को सुनिश्चित करना चाहिये कि उसे कानून का पर्याप्त ज्ञान हो और वह विभिन्न सांस्कृतिक रुचियां रखता हो।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : By bringing amendments in the recommendations of the Select Committee, the Government is trying to undo the good work done by it. This is a very undesirable thing and unexpected of the Government. Whereas it has been provided to give representation in the Council to all the departments of press and newspapers, small newspapers do not find any place there. These newspapers also face many difficulties including newsprint quota, discrimination in the allotment of advertisements and the like. Then their publication has become three-fold, they are still getting the same quota, initially allotted to them. This council has also deprived them of their right of appeal. It is earnestly hoped that this Press Council will not be identical with that constituted by the Late Shri Kairon by which all the Journalists and newspapers bowed before him. Today, big newspapers owe their allegiance either to certain Ministers or to the Capitalists. Let us not allow small free lancing newspapers to be treated as orphans. Some foreign correspondents including those of Britain and Canada are actively indulging in anti-Indian activities and their despatches are provocative, mischievous and exaggerated. The Government do not appear to have taken any action against them. They appear to be in collusion with mischief-mongers and anti-national elements because they have anticipated events in their despatches. We must stop such kind of things forthwith. Favouritism and nepotism exists even granting advertisements.

I was pained to find that on 2nd October, practically no newspaper published Gandhiji's photograph, whereas Shri Shastri's photographs were prominently displayed in all the newspapers.

I must add a word of appreciation for the very good work done by the Press during the recent crisis. I, therefore, want the Press Council to be the custodian of the liberty and rights of the press.

There is another thing that is no facilities are provided for the declaration. Much time is wasted in getting the declaration. Those papers should be stopped who are pursuing the anti-Indian policy. A Bombay paper which was held guilty is being rewarded today. That paper should be stopped. The 'Newsweek' of America also comes under the same category. That paper is supporting the Pakistan's demand of plebiscite. But Government have done nothing in this direction. Indian papers are ruthlessly suppressed and the foreign papers enjoy full liberties. All anti-Indian papers should be banned.

I also want to urge that these newspapers should also be banned which publish rude pictures. They create very bad impression on the social health of the people. Small papers should be given some encouragement. Quotas are given to those papers which do not publish more than 100 copies. We must congratulate those papers which cooperated in our struggle for country's independence. Once again, I say that anti-Indian papers should be banned.

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस विधेयक का उद्देश्य प्रेस की स्वतन्त्रता को बनाये रखना तथा अखबारों का स्तर ऊंचा करना है। परन्तु इस दिशा में मुझे एक प्रश्न करना है। वह यह कि आज प्रेस को उतनी स्वतन्त्रता है, जितनी कि 1942 से पूर्व थी। प्रस आज स्वतन्त्रता से वंचित हो रहा है। इसके लिए सरकार उत्तरदायी नहीं, कई एक और इसके कारण हैं। कोई समय था कि समाचार पत्र प्रकाशित करना जीवन में सेवा कार्य माना जाता था, परन्तु आज तो यह एक व्यवसाय बन कर रह गया है। इसी का ही कारण है कि पत्रकारिता का स्तर इतना नीचे चला गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि समाचार पत्रों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए यह बड़ा ही जरूरी है कि सम्पादकों तथा सम्वाददाताओं की सेवा की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। आज स्थिति यह है कि पत्रकारों की नौकरियां प्रबन्धकों की दया पर निर्भर करती हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा विज्ञापनों के बारे में भी कुछ किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रणाली सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। विज्ञापन प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों को सरकार की कृपा का भोजन बनना पड़ता है। अतः स्पष्ट ही है कि इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत स्वतन्त्रता काफी हद तक समाप्त करनी पड़ती है। इस बात का भी मैं आग्रह करूंगा कि प्रस आयोग की सिफारिशों के अनुसार साप्ताहिक पत्रों को जो कि ग्रामीण क्षत्रों में निकाले जा रहे हैं उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

भाषाओं के पत्रों को वह स्तर नहीं दिया जाता जो कि अंग्रेजी के पत्रों को दिया जाता है। अतः जहां तक हो इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी मेरा मत है कि जहा तक काउन्सिल को संगठित करने का प्रश्न है, इसे न्यायपालिका से अलग ही रखा जाना चाहिए। मेरा विचार है कि मुख्य न्यायाधीश को किसी भी परिषद् में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक हो सके उन्हें सरकारी व्यवस्था के सम्पर्क में नहीं आना चाहिए। इस दिशा में चुनाव की अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाना भी ठीक नहीं कहा जा सकता। इसके लिए कोई अच्छा साधन तलाश किया जाना चाहिए। ये पेनिल बनाने और मनोनीत करने के ढंग भी समाप्त होने चाहिए।

खंड 13 के उपखंड (3) के अन्तर्गत यह कहा गया है कि परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा। मेरा निवेदन कि यह व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है। परिषद् के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सम्भव है कि कभी बहुमत का निर्णय गलत हो, तो उसके लिए संरक्षण की कोई व्यवस्था रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त खंड में उल्लिखित कुछ शब्दों, जैसे "पत्रकारिता सम्बन्धी सदाचार सार्वजनिक रुचि" तथा "व्यावसायिक दुराचार" जैसे शब्दों की परिभाषा नहीं की गई हैं। इन शब्दों की परिभाषा परिषद् के सदस्यों की मनमानी पर नहीं छोडी जा सकती। खंड 12(च) भी दोषपूर्ण है। इसमें यह व्यवस्था है कि किसी मामलों पर तब ही विचार हो सकता है जब केन्द्रीय सरकार मामला उसे सौंपे। यदि सरकार को कुछ तथ्यों की जानकारी उपलब्ध हो परन्तु यदि व इस सम्बन्ध में काउन्सिल को निदश न करे तो परिषद् उनकी जांच करने के लिए सक्षम नहीं है।

हमारे देश में बहुत से विदेशी समाचार पत्र पनप रहे है। मेरा कहना है कि विदेशी सहायता से चलने वाले पत्रों को बन्द कर दिया जाना चाहिए। जिन अखबारों ने हाल ही में देश को हानि पहुँचाई है, उन पर यह विधेयक लागू नहीं होगा। इस विधेयक में एक ऐसा खंड समाविष्ट किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत इन समाचार पत्र को भी सेंसर किया जाना चाहिए। इस तरह सेंसर करने से इनका आयात अपने आप बन्द हो जायेगा। अपने आप ही इन पर प्रतिबन्ध लग जायेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : माननीय सदस्यों ने इस दिशा में काफी अच्छे विचार प्रकट किये हैं। उसके लिए मैं उनका आभार मानता हूँ। विभिन्न उपबन्धों पर विभिन्न विचार व्यक्त किये गये हैं। परन्तु मुझे इस बात का अतीव हर्ष है कि देश

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

की सामान्य राय भारत में कानूनी रूप में प्रेस काउन्सिल बनाने के पक्ष में है। मैं इस बात को नहीं मानता और न ही यह कहना उचित है कि यह विधेयक इस समय नहीं लाया जाना चाहिए था। मैं इस दिशा में कुछ स्पष्टीकरण करने का प्रयास करूंगा।

मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि इस विधेयक का आधार प्रेस आयोग की सिफारिश है। तथा यह है कि कुछ माननीय सदस्यों का यह विचार है कि इस विधेयक को लाने में देर की गयी है। 1954 में प्रेस आयोग की सिफारिशें आई थीं और यह विधेयक 1956 को सदन के समक्ष आया था। और इस दिशा में काफी देरी हुई है। यह सुझाव भी उचित नहीं है कि काउंसिल एक स्वेच्छाकारी निकाय होना चाहिए। ब्रिटेन के प्रेस आयोग ने यह अनुभव व्यक्त किया है कि वहां प्रेस काउन्सिल स्वेच्छाकारी होने के कारण सफल नहीं हो सकी। कारण यह हुआ कि वह प्रेस को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ला सकी। प्रेस आयोग की सिफारिशों से स्पष्ट पता लगता है कि यह एक संविहित प्रकार की काउन्सिल होनी चाहिए।

श्री वारियर तथा डा० सिंघवी ने काउन्सिल के संगठन करने के सम्बन्ध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस का सभापति तथा सदस्य नामज़द करने वाले उपबन्ध पर आपत्ति की है। मेरा कहना यह है कि यह भूल नहीं है, ठीक ही किया गया है। नदी जल सम्बन्धी विचार तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में एसे उपबन्ध पहले किये जा चुके हैं। वास्तविकता यह है कि यह उपबन्ध काउन्सिल के लिए चुने जाने वाले व्यक्तियों के प्रति विश्वास तथा आदर बनाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस दिशा में यह देखा जाना चाहिए कि सदस्यता का आधार पर्याप्त रूप से व्यापक है और उसमें प्रेस के विभिन्न अंगों तथा जनता के विभिन्न मांगों को प्रतिनिधित्व देने में सन्तुलन रखा जा सकता है। इस दृष्टि से यह व्यवस्था लाभदायक ही है।

जैसा कि प्रेस आयोग की सिफारिश है कि काउंसिल के 25 सदस्य होंगे और एक सभापति होगा। सम्पादक सहित 13 श्रमजीवी पत्रकार होंगे। 6 प्रतिनिधि मालिकों के होंगे, और 3 सदस्य विज्ञान शिक्षा अथवा साहित्य क्षत्र के विशिष्ट व्यक्ति होंगे। इस तरह सदस्यता का आधार बड़ा व्यापक है। काउंसिल की शक्तियों तथा कृत्यों के सम्बन्ध में विभिन्न मत व्यक्त किये गये है। स्वयं प्रेस आयोग ने यह सिफारिश की है कि प्रेस काउन्सिल को ऐसी संचार संहिता बनानी चाहिए जिससे व्यवसाय का सम्मान बढ़े। जो व्यक्ति इस प्रकार के संहिता के विरुद्ध चले उसे उपयुक्त सजा दी जानी चाहिए। विदेशी पत्र पत्रिकाओं के बारे में यह काउंसिल विचार नहीं कर सकती। यह पत्र पत्रिकाओं का तो दश में आयात किया जाता है। इस कार्य को काउंसिल के अन्तर्गत रखना कठिन है। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारी संसद का कोई कानून देश के बाहर तो लागू नहीं हो सकता। अतः यह प्रस काउन्सिल विदेशी पत्रों के स्तरों को ऊंचा करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं कर सकती। यदि काउन्सिल यह समझे कि घटिया स्तरों के पत्रों का आयात देश में नहीं होना चाहिए तो इस दिशा में अपक्षित संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है। और यदि ऐसी कोई सिफारिश काउंसिल ने की तो सरकार उस पर विचार करेगी।

मझे श्री अ० ना० विद्यालंकार की यह बात समझ में नहीं आई कि यह काउन्सिल केवल सलाहकार समिति है। विधेयक में इस तरह का कोई उपबन्ध नहीं है कि काउंसिल केवल सलाहकार समिति ही बनी रहेगी। मूल खंड 13(2) में शायद कोई भ्रम पैदा करने की गुंजाइश हो कि यह काउन्सिल पुरानी प्रस सलाह समिति के ढंग पर ही बन रही है। प्रेस काउंसिल जिस भी विषय में ठीक समझेगी तो अपने विचार सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगी। इस बारे में संयुक्त समिति ने काफी चर्चा के पश्चात उपखंड हटा दिया था।

एकाधिकार की मनोवृत्ति के बारे में प्रायः उल्लेख आया है। इस तर्क में कुछ वजन है। इस दिशा में सरकार अथवा प्रेस काउंसिल जो कायवाही कर सकती है, वह संविधान द्वारा दी गयी गारन्टी के अनुसार ही होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भाषण करने, अपने विचार व्यक्त करने तथा

कोई भी व्यापार करने में स्वतन्त्र है। अतः काउंसिल का प्राधिकार इस दिशा में सीमित ही है। इस दिशा में तनिक समेत होकर कार्यवाही करनी होगी। इस बारे में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रेस आयोग ने प्रस के एकाधिकार के बारे में तथ्यों के प्रेस काउन्सिल द्वारा समाचारपत्रों के प्रकाशन तथा सरकार को उनके सम्बन्ध में उपचार उपायों सम्बन्धी सुझाव देने के अतिरिक्त और किसी भी कार्यवाही का सुझाव नहीं दिया है। संशोधित विधयक में इसकी काफी व्यवस्था है।

खंड 14 के बारे में भी कुछ कहा गया है। पत्रकारों को अपनी सूचना का स्त्रोत बनाने के बारे में जहां तक इस काउन्सिल का प्रश्न है, इसके समक्ष वाद्य रूप से सूचना का स्त्रोत बनाने के विरूद्ध पत्रकारों के हित की सुरक्षा का प्रश्न है। ऐसा समझना बहुत ही कठिन है कि काउन्सिल के सदस्यों की बहुसंख्या इसे पत्रकारों का विशेषाधिकार समझती है। इस संदर्भ में यह भी याद रखने वाली बात है कि प्रेस आयोग ने भी पत्रकारों के लिए किसी विशेष सुरक्षा की व्यवस्था का विचार व्यक्त नहीं किया था। प्रेस आयोग ने इस दिशा में एक संहिता का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में कहा है कि गोपनीयता का हमेशा आदर किया जायेगा। परन्तु यदि कोई जांच हो तो उससे कोई बात गलत सिद्ध हो जाय तो उस पर तो कार्यवाही की ही जायेगी। अतः यह न समझना चाहिए कि संरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं है। उच्चतम न्यायालय तो यहां भी चाहे हस्तक्षेप कर सकता है, और यह उपबन्ध तो विशेष रूप से श्रमजीवी पत्रकारों के आग्रह पर ही बनाया गया है। यदि कोई बात गलत हो तो 'रिट' किया जा सकता है।

जहां तक प्रेस काउंसिल के लिए वित्त व्यवस्था के प्रबन्धों का प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुये वित्त का स्वयं प्रबन्ध करने की व्यवस्था का करना कठिन होगा। प्रत्येक स्थिति में, काउन्सिल का खर्च सरकार द्वारा दिये गये धन से पूरा करना पड़ेगा। यह भी कहा गया है कि काउन्सिल द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में केन्द्रीय सरकार को पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी। इस बात पर बल दिया जाना चाहिये कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने पड़ते हैं और कुछ अन्य ऐसे मामले हैं जिनके बारे में काउन्सिल को अपने विनियम बनाने होंगे। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार काउन्सिल की प्रक्रिया निर्धारित करने तथा प्रैस की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये अपने तरीके बनाने तथा देश में समाचार-पत्रों के स्तर में सुधार करने के लिए किये गये कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

जहां तक संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बाद किये गये संशोधन का सम्बन्ध है और जिनके बारे में उल्लेख किया गया है, वे आवश्यक थे। यदि उन मामलों में मूल खण्डों को रहने दिया जाये तो यह काउन्सिल एक न्यायालय बन जायेगी। जिसका इस विधेयक में विचार नहीं किया गया है। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक अखबारी कागज के कोटे तथा विज्ञापनों का सम्बन्ध है, इनके बारे में विशेष नियम हैं। परन्तु मेरा विचार है कि उनको कड़ा बनाया जाना चाहिये। इस प्रकार प्रबन्ध किया गया है कि इस काउन्सिल में एक सभापति होगा तथा 25 सदस्य होंगे जिनमें से 13 श्रमजीवी पत्रकार होंगे। इसलिये यदि उप-सभापति के लिये उपबन्ध किया जायेगा तो वह इस सूची से बाहर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह वास्तव में संतुलन खराब करेंगे।

मनोनीत करने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। आयोग के सभापति और सदस्यों की नामजदगी मुख्य न्यायाधीश करेंगे इसके बारे में मेरा कहना है कि यह मांग स्वयं श्रमजीवी पत्रकारों ने की थी। उनका कहना था कि सभापति की नामजदगी मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति न करे। सभापति अथवा सदस्यों के लिए अलग अलग पदावलि के रखने का कोई औचित्य नहीं है। सर्कुलेशन के मामलों में भी कुछ नियन्त्रण रखने की आवश्यकता है। जिन पत्रों का सर्कुलेशन काफी है उनका कागज नहीं बचता। अतः काले बाजार का कोई प्रश्न नहीं। वैसे इसकी देख-रेख की व्यवस्था है। फिर भी हम अच्छा ढंग अपनायेंगे।

[श्री ०चे रा० पट्टाभिरामन]

सारा संसार इस विधेयक की ओर देख रहा है, अन्य देशों से कुछ पूछताछ भी हुई है। यह विधेयक आदर्श विधान के रूप में सामने आयेंगे और अनुभव के साथ साथ इसमें उपयुक्त संशोधन होते चले जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि प्रेस स्वातन्त्र्य के परिरक्षण और भारत में समाचार पत्रों के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने के प्रयोजनार्थ एक प्रेस काउन्सिल की स्थापना करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 2 और 3 को विधेयक में जोड़ दिये गये। /*Clauses 2 and 3 were added to the Bill.*

खण्ड 4

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं अपने संशोधन संख्या 3, 5, 6, 8, 11 और 12 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वारियर (त्रिचूर) : मैं अपने संशोधन संख्या 2, 4, 7, 9 और 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर : मेरे संशोधन संख्या 3 और 8 का पारस्परिक सम्बन्ध है। मेरे संशोधन का आशय है कि उन व्यक्तियों की संख्या 6 से बढ़ा कर 8 कर दी जाये जो कि समाचारपत्र के मालिक हो या उनको चलाते हों। यह ठीक है कई व्यक्ति जो शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, विधि या संस्कृति के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुके इन के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों को पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये जो समाचार पत्र में श्रमजीवी पत्रकार हैं या जो समाचार पत्रों के मालिक हैं। इसी लिये मैंने ऐसे दो व्यक्तियों को बढ़ाने का सुझाव दिया है। इसके फलस्वरूप ही मैंने खण्ड 4 के उपखण्ड (1) में मैंने प्रधान के अतिरिक्त 25 के स्थान पर 27 सदस्यों का सुझाव दिया है। यह प्रश्न सभी पक्षों को संतुलित प्रतिनिधित्व देने का है

मेरा संशोधन संख्या 5 मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामनिर्देशन के बारे में है। मैं माननीय उपमंत्री की बात से प्रभावित नहीं हुआ कि संविधान के उपबन्धों के अनुसार ऐसा कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी अनुमति देंगे, अतः यह कार्य मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जाना ही समझना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह न तो उचित है और न संवैधानिक है कि यह काम मुख्य न्यायाधिपति को सौंपा जाये।

प्रेस परिषद के 13 सदस्य श्रमजीवी पत्रकारों में से होंगे। उनके भी कई वर्ग कर दिये गये है। मेरे विचार में प्रबन्धकों के केवल छः प्रतिनिधि रखना बहुत कम संख्या है। इसीलिये मैं ने इन की संख्या बढ़ा कर 8 करने का सुझाव दिया है।

परिषद के सदस्य चुनने के लिये जो समिति बनेगी उसके प्रधान मुख्य-न्यायाधिपति होंगे। इस कार्य के लिये मुख्य न्यायाधिपति को लगाना ठीक नहीं। उनसे व्यक्तियों का सदस्यों के रूप में चयन कराया जायेगा। मेरे विचार में इस के लिये यह आवश्यक नहीं होना चाहिये। इस कार्य के लिये मेरे

विचार में संघ लोक सेवा आयोग के सभापति को लगाया जाना चाहिये। वह भी तो एक बड़े पद पर नियुक्त व्यक्ति हैं। इस आयोग के सभापति तथा सदस्य भी बहुत अनुभवी व्यक्ति होते है। उन्हें विशेष पदों पर उपयुक्त व्यक्ति चुनने का काम भली प्रकार जच जायेगा। मेरे संशोधन संख्या 11 का यही उद्देश्य है।

मेरे संशोधन संख्या 13 का आशय परिषद के सदस्य चुनने के लिये नियम बनाने के बारे में है। सरकार इस बारे में तालिका बनाने के नियम बनाने का अधिकार रखती है। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार उन चुनने वालों इस बारे में समर्थ नहीं समझती। इस से सरकार प्रैस कौंसिल के कार्यों में अपना पूरा नियंत्रण रखना चाहती है। इस को हटाने के लिये ही मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री वारियर (त्रिचुर) : श्रीमानजी यह खण्ड बहुत महत्वपूर्ण खण्ड है क्योंकि इसके अनुसार ही कौंसिल का गठन होगा। मैं चाहता हूं कि सभापति के अतिरिक्त एक उपसभापति भी होना चाहिये।

काउन्सिल के सदस्यों की संख्या में प्रबन्धकों अधिक प्रतिनिधित्व मिला है। मैं चाहता हूं कि श्रमजीवी पत्रकारों के अधिक सदस्य होना चाहियें। इस में सदस्य प्रतिनिधि होने चाहिये और चुने हुए व्यक्ति कम होने चाहियें। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये।

विधेयक में उपबन्ध है कि एक व्यक्ति दोबारा सदस्य बन सकता है। मेरे विचार में यह ठीक नहीं। मैं चाहता हूं कि सदस्यता की एक वर्ष हो। खण्ड 4 में 13 के स्थान पर 16 कर देना चाहिये। इन 16 में 13 श्रमजीवी पत्रकार होने चाहिये और 3 समाचार पत्रों के सम्पादक हों।

काउन्सिल के सदस्य चुनने के लिये समिति विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि लेकर बनायी जा सकती है। वे श्रमजीवी पत्रकारों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधि होंगे। इन संगठनों को विधेयक में मान्यता देने के सम्बन्ध में उपबन्ध कर देना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये जायेंगे।

श्री श्रीनारायणदास (दरभंगा) : मैंने स्वयं कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है। देशी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों का भविष्य में बहुत महत्व हो जायेगा। ऐसे समाचारपत्रों की संख्या अंग्रेज़ी प्रकाशित होनेवाले समाचारपत्रों से बहुत अधिक है। इन समाचार पत्रों का प्रैस काउन्सिल पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिये। मेरे विचार में इनके कम से कम पांच सदस्य होने चाहिये। इस के अतिरिक्त यह करना भी आवश्यक है कि बारी बारी भारत के संविधान में निहित 14 भाषाओं को प्रतिनिधित्व मिले। यह सुझाव स्वीकार कर लिया जाये। 13 स्थानों में 6 स्थान श्रमजीवी पत्रकारों को मिलने चाहियें जो कि समाचारपत्रों को चलाते न हो और उस के मालिक भी न हो। शेष 7 स्थान समाचारपत्रों के मालिकों द्वारा भरे जायेंगे। इस वर्ग को अधिक स्थान दिये गये है। इस बात पर विचार होना चाहिये और आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिये।

श्री चें० रा० पट्टाभिरामन : हमारे देश में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों की कुल संख्या लगभग 8,000 या 9,000 है। इन में से 6000 या 7000 भारतीय भाषाओं के समाचारपत्र हैं। श्री वारियर ने उपप्रधान के पद के लिये उपबन्ध करने का संशोधन प्रस्तुत किया है। इस विधेयक पर पहले ही अच्छी तरह विचार किया जा चुका है। यह निर्णय किया जा चुका है कि सभापति के अतिरिक्त 25 सदस्य होंगे। यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

समाचारपत्रों में देशी समाचार पत्र भी आ जाते हैं। विभिन्न वर्गों के वर्गीकरण के बारे में संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। 6 सम्पादक जो कौंसिल पर सदस्य के रूप में लिये जायें वे श्रमजीवी पत्रकारों में से होंगे। संघ लोक सेवा आयोग के सभापति को प्रैस कौंसिल के सभापति चुनने का कार्य के लिये इस लिये नहीं दिया जा सकता क्योंकि श्रमजीवी पत्रकारों को मुख्य न्यायाधिपति के अतिरिक्त और कोई मान्य नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3, 5, 6, 8, 11 तथा 12 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।/*Amendments Nos.* 3, 5, 6, 8, 11 *and* 12 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2, 4, 7, 9 और 10 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/*Amendment Nos.* 2, 4, 7, 9 *and* 10 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 4 *was added to the Bill.*

खण्ड 5

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 13, 14, 15, 16, 18, और 19 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वारियर : मैं संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मेरे विचार में प्रधान तथा सदस्यों की कार्याविधि लम्बी होनी चाहिये । काउन्सिल के कार्य ठीक प्रकार से चले इसके लिये यह बहुत आवश्यक है । काउन्सिल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिये तथा सदस्यों की 3 वर्षों के लिये होनी चाहिये ।

मेरे संशोधन संख्या 14 का उद्देश्य यह है कि यदि काउन्सिल के प्रधान त्यागपत्र देना चाहें तो वह अपना त्यागपत्र मुख्य न्यायाधिपति को देंगे । प्रधान का नामनिर्देशन मुख्य न्यायाधिपति ने करना है और उनका त्यागपत्र भी उन्हीं के पास जाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार के पास नहीं । मैं समझता कि माननीय मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार कर लेंगे ।

जब कोई स्थान रिक्त हो तो प्रधान के अतिरिक्त सभी रिक्तियां उसी वर्ग के व्यक्तियों से भरी जायेंगी । यह अनुबन्ध कर दिया जाना चाहिये ।

विधेयक में व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति छः वर्ष से अधिक अवधि के लिये काउन्सिल का सदस्य नहीं रहेगा । मैं इस प्रतिबन्ध के पक्ष में नहीं हूं । प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर ऐसा प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये ।

प्रेस काउन्सिल के सदस्यों की पदावधि के सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह अवधि 6 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये । परन्तु सेवा से निवृत्त होने वाले ऐसे व्यक्तियों को 18 महीनों के व्यतीत हो जाने के पश्चात पुनर्नियुक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिये, जो प्रेस काउन्सिल में अच्छा कार्य कर सकते हों । ऐसा करने से काउंसिल को उनके अनुभव से लाभ उठाने का अवसर मिल सकेगा और काउन्सिल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहेगी ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : श्रीमान्, मैं अपने माननीय मित्र श्री दांडेकर द्वारा प्रस्तुत किये गये पहले संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं । जब प्रधान की नियुक्ति मुख्य न्यायाधिपति द्वारा की जानी है तो उसके त्यागपत्र को स्वीकार करने की शक्ति भी मुख्य न्यायाधिपति में ही निहित होनी चाहिये न कि केन्द्रीय सरकार में ।

परन्तु मैं श्री दांडेकर द्वारा प्रस्तुत किये गये इस संशोधन का समर्थन नहीं कर सकता हूं कि अनुभवी तथा योग्य व्यक्तियों को उनके सेवा से निवृत्त होने के पश्चात, पुनर्नियुक्त किया जाय । इसीलिये मैंने अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत किया है ताकि ऐसे व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति न की जा सके जो काउन्सिल के पहले सदस्य रह चुके हों । यह तर्क अनावश्यक है कि हमें और योग्य व्यक्ति नहीं मिल सकेंगे और इस से काउन्सि के कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकेगा । यदि इस खण्ड को ऐसे रहने दिया जायेगा तो पुराने सदस्य ही किसी न किसी प्रकार से अपना पुनःचुनाव कराने में सफल होते रहेंगे और इस प्रकार नये व्यक्तियों को कार्य करने का अवसर ही नहीं मिलेगा । अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करे ।

श्री नारायण दास (दरभंगा) : श्रीमान्, खण्ड 5 के उपखण्ड (2) में प्रेस काउंसिल द्वारा किसी सदस्य की निन्दा किये जाने के पश्चात उस सदस्य के लिये जो दण्ड की व्यवस्था की जा रही है वह पर्याप्त तथा भयोत्पादक नहीं है। अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि वह पांच वर्ष तक काउंसिल का पुनः सदस्य न बन सके । मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे इस सुझाव पर विचार करे ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : श्री दांडेकर द्वारा प्रस्तुत किये गये पहले संशोधन के बारे में प्रेस आयोग ने प्रेस काउन्सिल के सभापति तथा सदस्यों की कोई पदावधि निश्चित नहीं की है । मेरे विचार में तीन वर्ष की पदावधि काफी रहेगी और यदि बाद में इसे बढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ी तो उस समय एक संशोधन लाकर इसे बढ़ा दिया जायेगा ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रधान द्वारा प्रस्तुत किये गये त्यागपत्र को स्वीकार करने की बात है इस सम्बन्ध में आपत्ति की गई है कि जब प्रधान की नियुक्ति मुख्य न्यायाधिपति द्वारा की जानी है तो उसके त्यागपत्र को स्वीकार करने की शक्ति भी मुख्य न्यायाधिपति में ही निहित होनी चाहिये न कि केन्द्रीय सरकार में । इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि चूंकि वास्तव में नियुक्ति सम्बन्धी सभी अधिसूचनाये केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाती है अतः काउंसिल के प्रधान को नियुक्त करने का प्राधिकार केन्द्रीय सरकार को ही प्राप्त होगा । उसे वेतन भी भारत की संचित विधि से दिया जायेगा । त्यागपत्र को स्वीकार करने का तो एक प्रक्रियात्मक मामला है और मुख्य न्यायाधिपति को इसके लिये कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

श्री दांडेकर के तीसरे संशोधन, जिसमें खण्ड 5 के उप-खण्ड (6) में "Other than that of the Chairman" शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है, के बारे में यह कहना है कि इन शब्दों के जोड़ देने से यह खण्ड अस्पष्ट हो जायेगा । वास्तव में इस खण्ड से हमारा उद्देश्य यह है कि प्रधान के लिये रिक्त स्थान को भरने के हेतु, उसी अधिकारी द्वारा नियुक्ति की जाये जिसने सेवा से निवृत होने वाले प्रधान की नियुक्ति की थी । इस बात को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन अनावश्यक है क्योंकि खण्ड 4(2) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभापति का नामनिर्देशन भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा किया जायेगा ।

श्री बारियर चाहते हैं कि पंक्ति 15 को हटा दिया जाये ताकि सेवा से निवृत होने वाले सदस्य का पुनर्नियुक्ति न की जा सके । यदि हम पंक्ति 15 को हटा भी दें तब भी धारा 5 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत परन्तुक तो बना ही रहेगा जिसका वही अर्थ रहेगा जो पंक्ति 15 के न हटाने से है । अतः इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है । यदि माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि तीन वर्ष की पदावधि के पश्चात किसी सदस्य को भी पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होना चाहिये, तो ऐसा करना काउन्सिल के हित में नहीं होगा । वास्तव में संयुक्त समिति ने इन सभी बात पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात यह सुझाव दिया है कि कोई भी सदस्य 6 वर्षों की पूरी पदावधि पूरी कर लेने के पश्चात इस पद पर नहीं बना रहना चाहिये । मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता हूं ।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

श्री दांडेकर चाहते हैं कि प्रधान की कार्यावधि के बारे में कोई उच्चतम सीमा नहीं निर्धारीत की जानी चाहिये । इस मामले पर भी संयुक्त समिति ने विचार किया था और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस विशाल देश में विभिन्न योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध हैं और काउन्सिल में नये व्यक्तियों को अवसर दिया जाना चाहिये, यह निर्णय किया गया था कि कोई भी सदस्य अथवा सभापति 6 वर्षों से अधिक कार्यालय में नहीं रहना चाहिये । अतः इस उपबन्ध में भी कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

जहां तक श्री दांडेकर द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 19 का सम्बन्ध है कि 18 महीने व्यतीत होने के पश्चात सुयोग्य व्यक्तियों को पुनर्नियुक्त किये जाने की व्यवस्था की जाये, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सुझाव को भी संयुक्त समिति ने स्वीकार नहीं किया है । यदि बाद में काउन्सिल चाहेगी कि ऐसा उपबन्ध किया जाये तो हम विधि में संशोधन कर देंगे । अतः इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 से 19 मतदान के लिये रखे गये । तथा अस्वीकृत हुए । / *Amendments Nos. 13 to 19 were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*Motion was adopted.*

खण्ड 5 विधेयक में जोड दिया गया ।/*Clause 5 was added to the Bill.*

खण्ड 6

श्री वारियर : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं ।

आश्चर्य है कि कुछ असाधारण कारणों से मुख्य न्यायाधिपति को केवल प्रधान का नाम-निर्देशन करने के लिये बीच में लाया गया है । मुझे आशा है कि वह न केवल नाम-निर्देशन ही करेगा परन्तु नियुक्ति भी करेगा । जब ऐसा है तो त्यागपत्र को स्वीकार करने की शक्ति भी मुख्य न्यायाधिपति में ही निहित होनी चाहिये न कि केन्द्रीय सरकार में । यह भी एक असाधारण प्रस्थापना है कि प्रधान पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा उसको उतना वेतन मिलेगा जितना कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया जायेगा और मुख्य न्यायाधिपति का इन बातों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा । इस प्रयोजन के लिये कि इन सभी बातों से भी मुख्य न्यायाधिपति अवगत रहें, मैंने संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत किया है कि प्रधानपूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और उसे उतना वेतन दिया जायेगा जितना कि मुख्य न्यायाधिपति द्वारा केन्द्रीय सरकार की सलाह से निश्चित किया जायेगा ।

शेष खण्ड में और कोई त्रुटि नहीं है । किन्तु प्रेस परिषद के प्रधान से सम्बन्धित प्रत्येक बात पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण होगा, उसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधिपति द्वारा की जायेगी, किन्तु उस नियुक्ति के अलावा, उसका और कोई भी संबंध नहीं है । प्रेस परिषद के प्रधान का वेतन सरकार निर्धारित करेगी और उसकी सेवा की शर्तें इत्यादि, प्रत्येक वस्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेंगी । मैं जानता हूं कि उपमंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे , तथापि मैं बहुत बड़ी आशा लेकर इसे प्रस्तुत करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महादय : सभा इसे पहले ही अस्वीकृत कर चुकी है ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 20 के सम्बन्ध में कह रहा हूँ ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : मेरा संशोधन केवल "संसद के सभाओं" के बाद "राज्य-विधान मंडलों" शब्दों को जोड़ देने के सम्बन्ध में है। इस संशोधन का अर्थ तथा अभिप्राय पूर्णतः स्पष्ट है क्योंकि राज्य-विधान मंडलों से भी सदस्य आ सकते हैं जिन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए, अतः प्रस्तुत उपबन्ध में उन्हें शामिल करने की व्यवस्था करने इसे और अधिक व्यापक बनाना आवश्यक है।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : प्रेस सलाहकार समिति ने इस मामलेपर विचार किया और उसने ऐसा महसूस किया कि पदधारी का वेतन परिस्थिति के अनुसार निर्धारित करने के सम्बन्ध में सरकार स्वतंत्र होनी चाहिए दास्तव में खण्ड 6(1) में 'मानदेय' की व्यवस्था भी की गई थी किन्तु उसे उपबन्ध से निकाल दिया गया है। संयुक्त समिति ने भी कुछ विचारविमर्श के पश्चात् उसी उपबन्ध को स्वीकार कर लिया। जैसा कि प्रधान का वेतन सरकारी निधि से दिया जायेगा, विधेयक में ऐसी एक विशेष व्यवस्था करना उचित नहीं होगा कि वेतन मुख्य न्यायाधिपति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

[**डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई**
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

यदि, व्यक्तिविशेष की योग्यताएँ तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए, मुख्य न्यायाधिपति परिषद के प्रधान को मनोनीत करने के पश्चात् किसी उपयुक्त वेतन के सम्बन्ध में सिफारिश करें, तो निसन्देह, सरकार उनकी सिफारिश पर उचित विचार करेगी। अतः मैं प्रस्तुत संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

जहां तक श्री वारियर के संशोधन का सम्बन्ध है, वह भी लाभप्रद-पद समिति (offices of Profit Committee) के एक सदस्य थे, वह इस सम्बन्ध में दिये गये विनिर्णयों से भी अवगत हैं। यदि किसी व्यक्ति को प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में छांट लिया गया है, और वह व्यक्ति किसी राज्य विधान मंडल का सदस्य भी हो, तो ऐसी स्थिति में अनर्हता सम्बन्धी आवश्यक छूट सम्बन्धित राज्य विधान-मंडल द्वारा दी जानी चाहिए, इसलिए, मैं इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 20 तथा 21 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*Amendment Nos. 20 and 21 were put and negatived.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 6 was added to the Bill.*

खण्ड 7 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clauses 7 to 9 were added to the Bill.*

खण्ड 10—(परिषद के कर्मचारी)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 22 तथा 23 प्रस्तुत करता हूँ। ये संशोधन इस परिषद को स्वायत्तशासी बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये हैं। संशोधन संख्या 22 स्वीकार करके खण्ड 10 में यह व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि यह परिषद स्वतः अपने नियमों तथा विनियमनों, आदि को बना सके।

[श्री नारायण दांडेकर]

मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधन में से प्रत्येक का उद्देश्य यह है कि इस प्रेस परिषद की स्वायत्तता से उन कमियों को दूर कर दिया जाये जो मेरे निर्णयानुसार, इतनी स्वायत्त नहीं है जितनी सरकार उसे बता रही है।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि प्रेस परिषद के सचिव तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन होगी क्योंकि इस परिषद के लिए सरकार द्वारा धन दिया जाता है और वह व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है। केन्द्रीय सरकार का प्रेस परिषद इन मामलों के सम्बन्ध में केवल पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकार है। विधेयक के खण्ड 23(3) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों को भी संसद के प्रत्येक सभा के समक्ष रखना पड़ेगा और संसद द्वारा अनुमोदित किये जाने पर ही वे लागू हो सकेंगे। प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप यह परिषद सचिव तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र हो जायेगी और सरकार तथा संसद दोनों का ही पर्यवेक्षणात्मक प्राधिकार पूर्णतः छीन लिया जायेगा। इसलिए मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

जहां तक संशोधन संख्या 23 का सम्बन्ध है, प्रेस सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की है कि प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाने पर लागू होनी चाहिए। उक्त सिफारिश को संयुक्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। अतः मैं प्रस्तुत संशोधन को भी स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22 तथा 23 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*Amendment Nos.* 22 *and* 23 *were put and negatived.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 10 विधेयक में जोड दिया गया।/*Clause* 10 *was added to the Bill.*

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause* 11 *was added to the Bill.*

खण्ड 12—(परिषद के उद्देश्य तथा कार्य)

श्री वारियर : मैं अपने संशोधन संख्या 24, 29 तथा 31 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 25, 26, 27, 28, 30 तथा 32 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : विधेयक को देखने से मुझे ऐसा महसूस हुआ है इसे व्यर्थ ही सभा के समक्ष लाया गया है। यह विधेयक सर्वथा निरर्थक है। खण्ड 12 में ऐसी कोई भी शक्ति की व्यवस्था नहीं है जिससे किसी सम्पादक के लिए अर्हता निर्धारित की जा सके। किसी समाचारपत्र के सम्पादक के लिए, जिसे इतना ऊंचा तथा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, अर्हता निर्धारित करने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? सम्पादक के पद के लिए विधेयक में अर्हता निर्धारित करने के सम्बन्ध में

व्यवस्था करना अत्यावश्यक था। परिषद् का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करना और भारत में समाचारपत्रों के स्तर को बनाये रखना तथा उसमें सुधार करना है। किन्तु विधेयक में इस प्रयोजन के लिए कोई भी स्तर निर्धारित नहीं किया गया है।

खण्ड 12 के उपखण्ड (ज) में यह कहा गया है कि "पत्रकारिता के व्यवसाय के व्यक्तियों के उचित शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए सुविधायें देने के लिए"।

क्या इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि जब तक कोई व्यक्ति पत्रकारिता में उपाधि प्राप्त न कर ले, तब तक वह कोई सम्पादक नहीं बन सकता? यदि सरकार समाचारपत्र समुदाय वास्तविक पत्रकारों और उन सम्पादकों के लिए, जिन्होंने बहुत उन्नति कर ली है और जो उन्नति करना चाहते हैं तथा देश के विकास में अंशदान करना चाहते हैं। वास्तविक रुप से कुछ करना चाहती है तो यह अत्यावश्यक है कि उन्हें इस समुदाय के अन्य निकृष्ट वर्ग के व्यक्तियों के साथ समान दर्जा न दिया जाये। इन दो किस्म के व्यक्तियों के बीच विभेद करने के उद्देश्य से कुछ माप-दण्ड की व्यवस्था करना आवश्यक है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि खण्ड 12 जिसमें नियम बनाने के सम्बन्ध में शक्तियों की व्यवस्था की गई है, उसी खण्ड में आगे यह व्यवस्था करना भी उचित है कि जब तक किसी व्यक्तिने इतनी अवधि तक सेवा न कर ली हो अथवा उसकी निर्धारित अर्हता न हो तब तक उसे एक सम्पादक के रूप में रजिस्टर नहीं किया जायेगा और भारत में काम करने वाले सभी संपादकों का एक रजिस्टर तैयार करना आवश्यक होगा। प्रस्तुत विधेयक से वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसके लिए इसे पुरःस्थापित किया गया है।

श्री वारियर (त्रिचूर) : मेरे संशोधन संख्या 24 का अभिप्राय संपादकीय कर्मचारियों को शामिल किये जाने का है जिसमें रिपोर्टर भी शामिल है।

उप खण्ड (क) में कहा गया है कि "समाचारपत्रों को अपनी स्वतंत्रता बनाये रखने में सहायता देने के लिए" मैं समझता हूँ कि इस बात को यहां और भी अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आवश्यक है कि समाचारपत्रों के अर्थ विशेषकर केवल सम्पादकीय कर्मचारियों से है जिसमें रिपोर्टर्स भी शामिल हैं। अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था करना आवश्यक है। जहां तक मेरा संशोधनसंख्या 29 का सम्बन्ध है, सरकार की शक्तियों के सम्बन्ध में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। किन्तु मैं यह महसूस करता हूँ कि सरकार को किसी विशेष समाचार पत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय केवल परिषद से विचार-विमर्श करने पश्चात किया जाना चाहिए। जहां तक संशोधन संख्या 31 का सम्बन्ध है, कम से कम यह उपबन्ध की व्यवस्था करना आवश्यक है कि परिषद एकाधिकार को सीमित करने अथवा उसे रोकने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे क्योंकि इस व्यवसाय में, जैसा कि एकाधिकार आयोग ने कहा है, एकाधिकार सम्बन्धी प्रकृतियों का जन्म हो चुका है कि इसलिए मेरा सुझाव यह है कि परिषद को इस सम्बन्ध में उपाय सुझाने चाहिए और उसे यह शक्ति भी प्रदान की जानी चाहिए कि वे इस बारे में उचित कार्यवाही कर सकेंगे। प्रेस परिषद को यह शक्ति दिये जाने पर उसकी स्थिति समाचारपत्र स्वामियों के बीच और आमतौर पर समाचारपत्रविश्व में काफी महत्वपूर्ण हो जायेगी।

श्री नि० च० चटर्जी (बर्दवान) : संयुक्त समिति के सदस्य होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रस्तुत विधेयक में सम्पादकों के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक अर्हता निर्धारित सर्वथा अनुचित है क्योंकि ऐसा किये जाने पर परिषद की स्वायत्तता में बाधा पहुंचेगी। विधेयक में परिषद को इस आशय की पूर्ण शक्तियां दी जा रही हैं कि वे ऐसी व्यवस्था की नीव डाले जिससे जनता की रुचि तथा पत्रकारिता का उच्चस्तर प्रतिपादन हो सकें। परिषद को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह इस व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्तियों को समुचित प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यक शिक्षा देने की व्यवस्था करे। इस प्रकार हम एक ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जो कि उच्चतम स्तर के आधारपर देश की समुचित सेवा कर सके और उस स्तर में न्यूनता न आने पाये।

[श्री नि० च० चटर्जी]

हम प्रेस की स्वतंत्रता में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि विधेयक में की गई व्यवस्था पूर्णतः उसके उसके उद्देश्यों के अनुकूल है। विधेयक का उद्देश्य इस व्यवसाय से सम्बन्धित एक ऐसे निकाय की स्थापना करना है जो स्वतः शिक्षा का प्रबन्ध करे, सुधार करे और ऐसे अन्य सुधारात्मक पग उठाये जो निकाय के सुधार तथा उस के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हों। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि विधेयक में की गई व्यवस्था उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल नहीं होगी। हम प्रेस परिषद को पूर्ण शक्तियां दे रहें हैं और हम परिषद के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में केवल सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित कर रहे हैं।

श्री नारायण दांडेकर : यदि सरकार का वास्तव में यह विचार है कि प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाये, तो इस बात का निश्चित रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि परिषद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्य भी कर सके, अर्थात्:—"समाचार पत्रों को तथा सम्पादकीय कर्मचारियों को रिपोर्टरों सहित, समाचारों के संरक्षण के सम्बन्ध में अपने विचार व सम्मत्ति प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो," मेरी धारणा यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता का यह मूल अर्थ है और न कि केवल समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता।

अपने संशोधन संख्या 26 के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि नागरिकता के अधिकार तथा उत्तरदायित्व की भावनाओं को प्रेरित करने के लिए यह आवश्यक है।

जहां तक संशोधन संख्या 27 का सम्बन्ध है वह प्रेस की इस स्वतन्त्रता का आधारभूत अंग है कि वह कौन से समाचारों का प्रकाशन न करे। इसलिए मेरा सुझाव है कि खण्ड 12 के उप-खण्ड (ग) से "लोक-हित तथा महत्व" शब्दों को हटा दिया जाये।

संशोधन संख्या 28 का जहां तक संम्बन्ध है, मेरे विचार से समाचारपत्रों को विदेशों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अथवा विज्ञापनों द्वारा प्राप्त होनेवाली सहायता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में जांच करने का अधिकार भी सरकार को नहीं अपितु परिषद् को दिया जाना आवश्यक है।

खण्ड 12 के उप खण्ड (ज) और (झ) में पत्रकारिता से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए निर्धारित उचित शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक नहीं है, अतः मैं समझता हूँ कि विधेयक में से इन उप-खण्डों को निकाल दिया जाना चाहिए। उपरोक्त खण्ड के उपखण्ड (ट) में पत्रकारों के प्राविधिक तथा अनुसंधान सम्बन्धी शिक्षा का उल्लेख किया गया है, जब खण्ड 12(एक) के अन्तर्गत परिषद का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण और स्तर को बढ़ाना है, तो वे प्राविधिक तथा अनुसंधान सम्बन्धी कार्य भी सुगमता से कर सकते हैं। यद्यपि मैंने इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है, तथापि यह विषय विचारणीय है।

मेरा अन्तिम संशोधन संख्या 32, खण्ड 12 के उप खण्ड (ज) के सम्बन्ध में है। विभिन्न समाचार पत्रों का स्वामित्व एक ही व्यक्ति में केन्द्रित हो जाने पर किसी भयानक स्थिति की उत्पन्न हो जाने की आशंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस सम्बन्ध में सुझाये गये उपाय निरर्थक हैं। अतः आवश्यकता ऐसे उपायों की हैं जो कि इस प्रकार के अनेक समाचारपत्रों के केन्द्रित स्वामित्व के परिणामस्वरुप अवांछनीय गतिविधियों को रोक सकें।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : विचारों की निर्बाध स्वातंत्र्य अभिव्यक्ति ही स्वतंत्रता है। विधेयक के खण्ड 12 के सम्बन्ध में माननीय श्री चटर्जी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मैं सहमत हूँ और हम इन्हीं मूलभूत अधिकारों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इस खण्ड में प्रेस आयोग द्वारा की गई सिफारिशें ही अन्तर्विष्ट है, इसमें केवल एक अथवा मौखिक संशोधन संयुक्त समिति ने जोड दिये है। यह आयोग की सिफारिशों के न्यूनाधिक अनुरुप है। भारत में समाचारपत्रों के स्तर को बनाय रखने और उसमें सुधार करने के लिये सम्पादकीय स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लखों और सम्पादकीय का अन्यत्र उल्लेख किया जाता है। भारत में समाचारपत्रों का स्तर बहुत ऊंचा है। हमारे कार्टूनों तक की अन्यत्र नकल की जाती है। श्रमजीवी पत्रकारों की परिभाषा में पहले ही कर चुका हूं। श्री दांडेकर अपने संशोधन द्वारा ये शब्द जोडना चाहते है "और समाचारों को तैयार करने और विचार ओर मत अभिव्यक्त करन के बारे में उनकी स्वतंत्रता"। इसको खंड 12(2) (ङ) के अन्तर्गत उनके कृत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है।

मैं संशोधन संख्या 26 स्वीकार नहीं करता हूं। क्यों कि ऐसा करने से विधेयक को फिर से राज्य सभा को भेजना पडेगा।

उपखंड (ङ) में वह "लोक हित और महत्व के (of public interest and importance)" शब्द हटाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि सरकार को इसमें नहीं आना चाहिए। तथ्य यह है कि प्रेस काउन्सिल को इस पर ध्यान देना होगा और शत्रु संसाधनों से समाचारों, गुप्त जानकारी के बारे में समाचारों, गैर-सरकारी पक्षों और नागरिकों के बारे में समाचारों और अन्य देशों से मैत्री सम्बन्ध बिगाडने वाले समाचारों को भेजने और फैलाने पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। दूसरे यदि ये शब्द हटा दिये गये तो इसका मतलब होगा कि काउन्सिल को समाचारों के भेजने और फैलाने पर प्रतिबन्ध लगाने की संभावना पर विचार करना होगा चाहे वह समाचार लोक-हित में हो और महत्वपूर्ण हो। काउन्सिल यह निर्णय करने में समर्थ होगी कि कौनसा समाचार महत्वपूर्ण है या लोक-हित में है। अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

जहां तक "जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशित किये जायं (as are referred to by the Central Government)" शब्दों को हटाने वाले संशोधन का सम्बन्ध है, इस न्यायाधिकरण को जांच-पडताल करने के अधिकार देना असंभव है। यह सब जानकारी गृह मंत्रालय के पास होगी।

श्री नारायण दांडेकर : इस खंड का मतलब है कि केन्द्रीय सरकार जिसको चाहे कह सकती है कि इस समाचार पत्र की जांच की जाये और इस समाचारपत्र की जांच न की जाय। मैं समझता हूं कि एक लोकतंत्री देश में, जहां सरकार राजनीतिक दलों की है, यह बहुत जरूरी है कि सरकार यह न कहे कि उनके समाचारपत्रों की जांच न की जाय।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : विदेशी संसाधनोंद्वारा भारतीय समाचारपत्रों को कोई भी सहायता अनधिकृत तौर पर दी जायगी। प्रैस काउन्सिल को कैसे पता चलेगा कि संसाधन क्या हैं और कैसे धन देते रहे हैं? केवल धन ही नहीं, कुछ और भी वस्तुएं हो सकती हैं। और फिर इस मामले की जांच तो केन्द्रीय सरकार को ही करनी चाहिए। यदि सरकार को प्राप्त जानकारी से हम समझते हैं कि इसमें प्रथम दृष्ट्या (प्राइमाफेसी) मामला बनता है, जिसमें सम्बन्धित समाचारपत्रों के स्तर और कार्यचालन में गिरावट शामिल है, तो सरकार निश्चित ही इस मामले को जांच के लिये प्रैस काउन्सिल को सौंपेगी। मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

जहां तक श्री वारियर के संशोधन का सम्बन्ध है, शायद वह यह चाहते हैं कि किसी समाचारपत्र अथवा समाचार अभिकरण द्वारा किसी विदेशी संसाधन से प्राप्त सहायता के मामले में सरकार को कोई कार्यवाही करने से पहले प्रस काउन्सिल से परामर्श करना चाहिए। प्रेस आयोग की राय है कि लोकतंत्री व्यवस्था में समाचारपत्रों को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्राथमिक

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

जांच सरकार द्वारा की जायगी और यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि एक मामले विशेष की जांच प्रैस परिषद द्वारा की जानी चाहिये, वह मामला प्रैस परिषद को सौंपा जायगा। अन्यथा परिषद का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कुछ मामलों में सरकार नीति सम्बन्धी निर्णय भी कर सकती है।

जहां तक संशोधन संख्या 30 का सम्बन्ध है, इन कृत्यों की प्रैस आयोग ने ही सिफारिश की थी। ये कृत्य भारत में समाचारपत्रों के स्तर और कार्य को सुधारने के लिये आवश्यक हैं।

श्री वारियर के संशोधन संख्या 31 में तीन भाग हैं दो भाग तो केवल शब्द बदलने के बारे में हैं जो "study" शब्द के स्थान पर "watch" शब्द रखने के बारे में है। "study" शब्द एक व्यापक शब्द है और यही शब्द रखा जाना चाहिये। तीसरा भाग "to suggest remedies therefor (उसके लिये उपायों का सुझाव देना)" के स्थान पर "to take appropriate action rhereon (उस पर उचित कार्यवाही करना)" शब्द रखने के बारे में है। इससे सरकार को बजाय काउन्सिल को अधिक अधिकार मिलते हैं। यह अव्यावहारिक है क्योंकि काउन्सिल को इस मामले में कार्यवाही करने के अधिकार नहीं हैं। काउन्सिल का काम रिपोर्ट देना है और सरकार का काम उन सुझावों की जांच करना है और यह देखना है कि क्या कार्यवाही की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 24 से 32 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।
Amendment Nos. 24 to 32 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 12 विधेयक में जोड दिया गया।/*Clause 12 was added to the Bill.*

खंड 13 विधेयक में जोड दिया गया।/*Clause 13 was added to the Bill.*

खंड 14—(काउन्सिल की सामान्य शक्तियां)

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वारियर : मैं संशोधन संख्या 34 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर : संशोधन संख्या 33 से उपखंड (2) और (3) के स्थान पर एक अल्प उपखंड (2) रखना है। मैं नहीं समझता कि हम न्यायिक प्रक्रियाओं को इतना महत्वहीन समझें जैसे इनका कोई महत्व ही न हो और हम विविध व्यक्तियों को इस प्रकार के अधिकार देते रहें। इस काउन्सिल को विचार करने के तरीके बनाने चाहिये। जहां एक ही व्यवसाय के व्यक्तियों द्वारा अपने ही व्यवसाय के व्यक्तियों को, स्तर के लिये, अपराध के लिये नहीं, जांच की जानी है तो खंड 14 के उपखंड (2) और (3) के स्थान पर मेरे संशोधन को रखा जाना चाहिए।

श्री वारियर : कागजात पेश करने के बारे में यह खंड बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रैस काउन्सिल को न्यायालयों के अधिकार दे दिये गये तो कोई भी पत्रकार स्वतंत्रता पूर्वक कैसे कार्य कर सकेगा है। वास्तव में प्रैस काउन्सिल को पत्रकारों की सहायता करनी चाहिए और पत्रकार के उसकी जानकारी का स्त्रोत न बताने के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। अन्यथा यह नहीं कहना चाहिये कि यह विधेयक श्रमजीवी पत्रकारों की स्वतंत्रता का संरक्षण करने के लिए है।

हमारे देश में लोकतंत्र की बजाय नौकरशाही अधिक पनप रही है। नौकरशाहों का ही हर चीज पर नियंत्रण है। उदाहरणत: त्रिवेन्द्रम में एक सम्वाददाता ने समाचारपत्र में मुख्य सचिव के किसी दुष्कृत्य के बारे में समाचार प्रकाशित कर दिया और फलस्वरूप उस संवाददाता को कुछ सप्ताह तक त्रिवन्द्रम में अपने यात्रा-पास से हाथ धोना पडा। यह कार्यवाही पत्रकार के उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार वे तानाशाहों के इच्छाओं के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। अत: पत्रकारों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। यदि प्रैस काउन्सिल ही उनको संरक्षण नहीं देगी तो और कौन देगा ? यदि प्रैस काउन्सिल न्यायालय की तरह काम करेगी और इनके कानूनों को मान कर पत्रकारों से अपनी जानकारी का स्त्रोत बताने को कहेगी तो पत्रकार कहां जायेंगे ? यह बडी आपत्तिजनक बात है और इस खंड में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिये।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वर्तमान उपबन्ध में केवल यह नहीं है कि यह सभी कार्यों के लिये सिविल न्यायालय होगा और प्रेस काउन्सिल पर समूची सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होगी। काउन्सिल के काम को ठीक से चलाने के लिये इसको न्यूनतम आवश्यक अधिकार दिय गये है। इन अधिकारों के बिना काउन्सिल का कार्य कुशलतापूर्वक नहीं चल सकेगा। काउन्सिल में विख्यात और अनुभवी श्रमजीवी पत्रकार, सम्पादक और समाचारपत्रों के मालिक होंगे और वे इन अधिकारों का प्रयोग करने में अपने विवेक इस्तेमाल करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि इससे पत्रकारों को तंग किया जायेगा। काउन्सिल सरकार से हर मामले में अधिकार प्राप्त करने के बजाय किसी मामले विशेष में जो भी आवश्यक समझे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी। प्रस्तावित संशोधन का मतलब है कि प्रेस काउन्सिल को हर बार केन्द्रीय सरकार से हर मामले में अधिकार प्राप्त करने होंगे। इससे मामला निपटाने में काफी विलम्ब होगा क्योंकि केन्द्रीय सरकार को प्रेस काउन्सिल को अधिकार देने से पूर्व हर मामले का परीक्षण करना पडेगा। इन अधिकारों के बिना काम नहीं चल सकता।

जहां तक श्रमजीवी पत्रकारों का सम्बन्ध है, कानून बडा स्पष्ट है। साक्ष्य अधिनियम बडा स्पष्ट है। पत्रकार नागरिकों से भिन्न तो हैं ही नहीं। आखिर वे भी नागरिक हैं। यह सभी जानते हैं कि आप पत्रकारों को जानकारी बताने के लिये बाध्य नहीं कर सकते। इसलिये इस प्रकार के संविधि उपबन्ध से काउन्सिल को खंड 14(2) के अन्तर्गत अधिकारों से वंचित रखना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 33 और 34 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/

Amendment Nos. 33 and 34 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 14 was added to the Bill.*

खंड 15 विधेयक में जोड दिया गया।/*Clause 15 was added to the Bill.*

खंड 16—(काउन्सिल की निधि)

श्री वारियर : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 35 और 37 प्रस्तुत करता हूं।

[श्री नारायण दांडेकर]

मेरे संशोधन संख्या 35 का अर्थ यह है कि परिषद को किसी भी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी से अनुदान और दान लेने का अधिकार होना चाहिये।

संशोधन संख्या 37 द्वारा मैं इस काउन्सिल को अधिक स्वायत्त बनाना चाहता हूं। मैं नहीं समझता कि ये व्यक्ति अशिक्षित होंगे और इन्हें यह पता नहीं होगा कि किस बैंक में रुपया जमा किया जाये और फालतू निधि को किस प्रकार खर्च किया जाये। मेरा सुझाव है कि इसमें केन्द्रीय सरकार की अनुमति अनावश्यक है।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : खंड 16 में पहले ही यह उपबंध है कि किसी भी अन्य प्राधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा इसको दिये गये अनुदान और पेशगियां निधि में जमा की जायेंगी और काउन्सिल द्वारा सभी अदायगियां उसमें से की जायंगी। अतः कोई संशोधन आवश्यक नहीं है।

दूसरे यह आवश्यक है कि रुपया विनियोजित करने के तरीके पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति होनी ही चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 37 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/*Amendment No.* 37 *was put and negatived.*

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 35 वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या 35 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।/*Amendment No.* 35 *was, by leave, withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 16 विधेयक में जोड दिया गया।/*Clause* 16 *was added to the Bill.*

खंड 17 से 21 विधेयक में जोड दिये गये।/*Clauses* 17 *to* 21 *were added to Bill.*

खंड 22—(नियम बनाने की शक्ति)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 38, 39, 40 और 41 प्रस्तुत करता हूं।

काउन्सिल को अधिक अधिकार देने के विचार से मैं चाहता हूं कि जहां कहीं भी ऐसी व्यवस्था हो कि केन्द्रीय सरकार से आज्ञा लेनी पडे या उनकी पूर्वानुमति लेनी पडे, ये शब्द हटा दिये जायें।

संशोधन संख्या 41 द्वारा मैं यह चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से परामर्श लिये बिना काउन्सिल के लेखों को तैयार करने और उनके लेखा-परीक्षित किये जाने सम्बन्धी नियम न बनाये जायें। इस काउन्सिल को सरकार बना रही है और वित्तीय रूप से यह सरकार पर ही निर्भर करेगी।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : कुछ मामलों में अधिनियम के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नियम बनाने के अधिकार केन्द्रीय सरकार को हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मामले प्रेस काउन्सिल को स्वयं उपयुक्त विनियम बना कर तय करने होंगे। अतः ये तो भिन्न मामले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 38,39, 40 और 41 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*Amendment Nos.* 38, 39, 40 *and* 41 *were put and Negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 22 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 22 was added to the Bill.*

खंड 23—(विनियम बनाने की शक्ति)

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 42 और 43 प्रस्तुत करता हूं । इन संशोधनों से काउन्सिल को और अधिक स्वायत्तता मिलेगी और केन्द्रीय सरकार की बिना पूर्व अनुमति के विनिमय बनाने के अधिकार मिल सकेंगे ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : प्रेस सलाहकार समिति ने भी इस पर विचार किया है और उन्होंने सिफारिश की कि प्रेस काउन्सिल द्वारा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में बनाये गये विनियमों पर भी केन्द्रीय सरकार की अनुमति होनी चाहिये । इससे केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित कर सकेगी कि प्रेस काउन्सिल के कर्मचारियों को उनकी अर्हता और अनुभव के आधार पर समान वेतन स्तर और सेवा की शर्तें प्राप्त हो सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 42 और 43 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।
Amendment Nos. 42 and 43 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 23 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 23 विधेयक में जोड दिया गया ।/*Clause 23 was added to the Bill.*

खंड 1—(संक्षिप्त नाम और विस्तार)

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं । मैं नहीं समझता कि यह कानून जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर क्यों लागू न हो । इसीलिये मैंने सुझाव दिया है कि "जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोडकर (Except the State of Jammu and Kashmir)" शब्द हटा दिये जायें ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : प्रेस काउन्सिल विधेयक का सम्बन्ध समवर्ती सूची की मद 39 और संघ सूची की मद 44 से है । यद्यपि समवर्ती सूची की मद संख्या 39 जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू होती है, संघ सूची की मद संख्या 44 वकीलों और डाक्टरों के निगमों पर लागू होती है । अतः इस विधेयक को उस राज्य पर लागू करने का हमें इस समय अधिकार नहीं है । तथापि, इस बारे में कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण को स्वीकार करता हूं और अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।/*Amendmend No. 1 was by leave, withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 1 विधेयक में जोड दिया गया ।/*Clause 1 was added to the Bill.*

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

केरल के सम्बन्ध म उद्घोषणा को जारी रखे जाने के सम्बन्ध में संकल्प

RESOLUTION RE : CONTINUANCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF KERALA

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं, श्री नन्दा की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1965 से छः मास की अग्रेतर अवधि के लिए लागू रखे जाने का अनुमोदन करती है ।"

जैसा सभा को ज्ञात है उपराष्ट्रपति द्वारा दूसरी उद्घोषणा 24 मार्च, 1965 को जारी की गयी थी जिसका लोक सभा ने 5 मई को राज्य सभा ने 11 मार्च को अनुमोदन किया था। यह 10 नवम्बर, 1965 को समाप्त होने वाला है। संविधान के अनुच्छेद 356(4) के उपबन्धों के अनुसार उद्घोषणा ओर छः महीनों के लिये और अधिकतम तीन वर्षों तक जारी रखी जा सकती है। अतः जब तक इसको प्रतिसंहृत नहीं किया जायेगा, यह छः महीने बाद समाप्त मानी जाती है।

सरकार ने उद्घोषणा जारी रखने के प्रश्न पर सावधानी से विचार किया है। गृह मंत्री ने 13 जुलाई, 1965 को राज्यपाल को लिखा था कि वह राज्य में राजनीतिक स्थिति का निकट से अध्ययन करें कि क्या संविधान के अनुसार वहां स्थायी सरकार बनायी जा सकती है और वहां नये सिरे से सामान्य चुनाव कराये जा सकते हैं। राज्यपाल की 17 अक्तुबर, 1965 का प्रतिवेदन मिल गया है। इसका अध्ययन करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि उद्घोषणा को छः महीने तक और जारी रखा जाय।

हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि केरल में लोकतंत्रीय व्यवस्था हो, लेकिन वहां पर जैसा राज्यपाल ने बताया है, स्थिति ऐसी है जिनमें वहां सामान्य निर्वाचन करके स्थायी सरकार नहीं बनायी जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना भाषण कल जारी रखे ।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, 4 नवम्बर, 1965/13 कार्तिक, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, November 4, 1965/Kartika 13, 1887 (Saka).

आ.स.मु.नासिक—वि० 1—43 लोकसभा—65—26-7-66—600.